



केवल सरकारी प्रयोगार्थ



1 राष्ट्र
जी.एस.टी. कर
बाजार

वार्षिक प्रतिवेदन

2018-2019



वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश



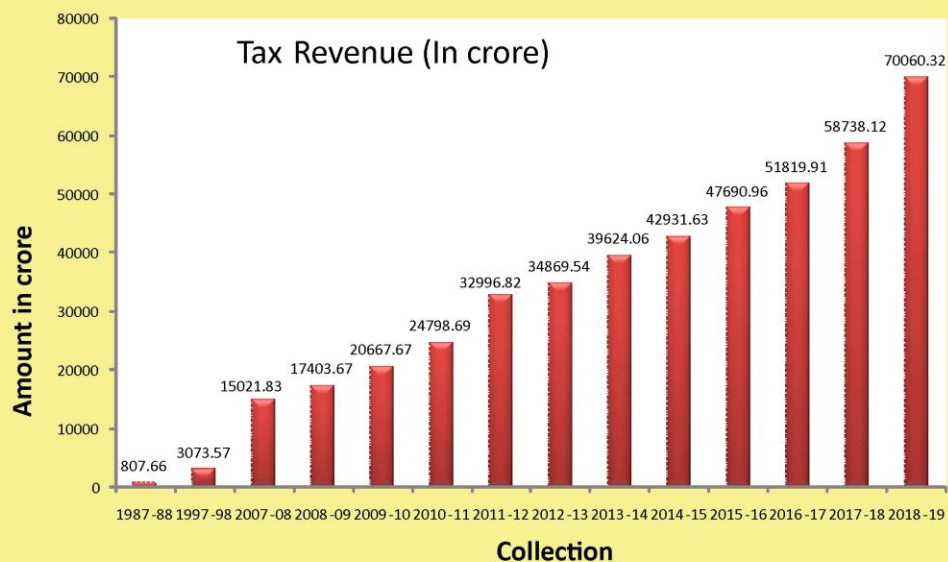
“मधुदोहं दुहेद् राष्ट्रं भ्रमरा इव पादपम्”

जिस प्रकार भौरा फूल से रस (पराग) लेता है, उसी प्रकार राज्य को कर (टैक्स) लेना चाहिए, भौरा के रसपान से पुष्प का एवं कर-संचयन से राज्य का सर्वांगीण विकास होता है।

The State Should collect its taxes without hurting its subjects as a bee collects honey without harming the flowers.

VISION

To develop effective and efficient system of collection of taxes based on progressive use of Information Technology and ensure an environment which is congenial to prospering of Trade and Commerce.

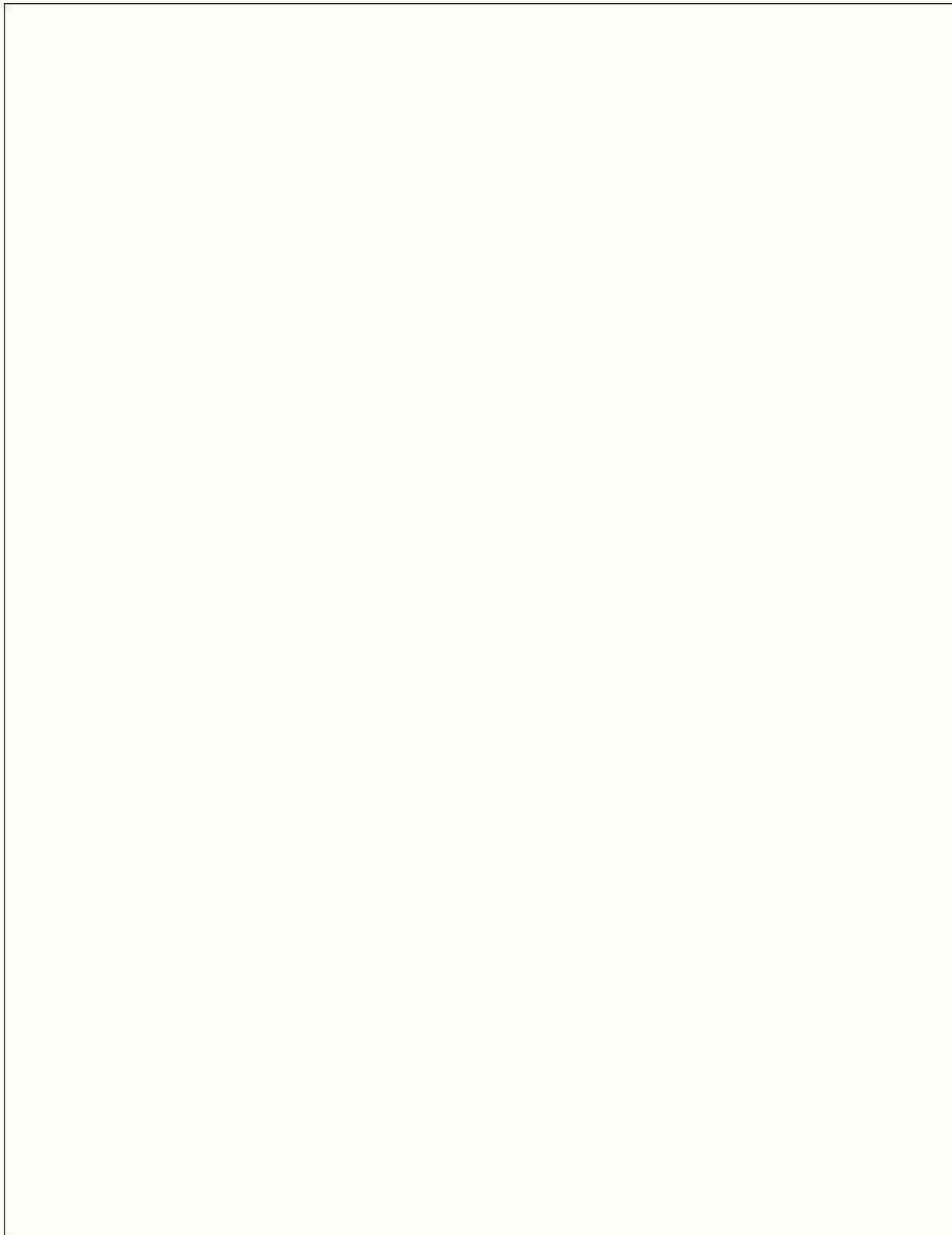


वार्षिक प्रतिवेदन



2018-2019

**वाणिज्य कर विभाग
उत्तर प्रदेश**



अनुक्रमणिका

	विषय	पृष्ठ सं०
	वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र० : एक परिचय...	1-8
तालिका		
1	वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र० : एक दृष्टि में...	9
2	उ० प्र० का कर राजस्व का शीर्षवार विवरण	10
	वर्ष 2018-19 में विभागवार कर राजस्व प्राप्तियों का विवरण व पाई चार्ट	11
	वाणिज्य कर की माहवार राजस्व प्राप्तियों का विवरण व रेखाचित्र	12
2.अ	वाणिज्य कर राजस्व प्राप्तियों का विवरण	13
3	अधिकारियों का विवरण	14
3.अ	कर्मचारियों का विवरण	15
4	व्यापार/वाणिज्य कर संग्रह, वृद्धि दर तथा वास्तविक व्यय कर विवरण	16
5	केन्द्रीय बिक्री कर का विवरण	17
6	उ० प्र० में पेट्रोल/डीजल की बिक्री पर प्राप्त कर संग्रह का विवरण	18
7	माहवार राजस्व का विवरण (Actwise GST/VAT)	19
8	वाणिज्य कर राजस्व का निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्तियों का माहवार विवरण	20
9	वाणिज्य कर राजस्व का बजट अनुमान/लक्ष्य का विवरण	21
10	विभिन्न वर्षों में वाणिज्य कर बकाया का विवरण	22
11	सचल दल इकाईयों के कार्य प्रगति का विवरण	23
12	विशेष अनुसंधान शाखा के कार्य प्रगति का विवरण	24
13	वाणिज्य कर से सम्बन्धित समस्त कर निर्धारण वादों की प्रगति का विवरण	25
14	वर्ष 2018-19 में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट) वाणिज्य कर के स्तर से निस्तारित कर निर्धारण वादों की प्रगति का विवरण	26
15	डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर के स्तर से निस्तारित कर निर्धारण वादों की प्रगति का विवरण	27
16	अपीलों के निस्तारण एवं अवशेष का विवरण	28
17	निस्तारित प्रथम अपीलों का परिणामवार संख्या एवं कुल निस्तारित अपीलों में प्रतिशत अंश का विवरण	29

विषय		पृष्ठ सं०
तालिका		
18	वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा द्वितीय अपीलों की प्रगति का विवरण	30
19	जी०एस०टी० के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों का राज्यवार विवरण	31
20	व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित निस्तारित/अनिस्तारित प्रकरणों की स्थिति का विवरण	32
21	व्यापारी दुर्घटना बीमायोजना से सम्बन्धित निस्तारित/अनिस्तारित प्रकरणों की स्थिति का विवरण	33
22	वाणिज्य कर विभाग के जोनल एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)/ ज्वाइंट कमिश्नर (वि०अनु०शा०/प्रवर्तन)का अधिक्षेत्र का विवरण	34-36
23	सचल दल यूनिटों का जोनवार/सम्मागवार विवरण	37
24	वाणिज्य कर विभाग के जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील) के न्यायिक सम्माग एवं क्षेत्राधिकार	38-41
	जी०एस०टी० के अन्तर्गत आधार वर्ष राजस्व का मूल एवं संशोधन आदेश	42-43
	जी०एस०टी० कम्पन्सोन के आदेश	44-45
	आई०जी०एस०टी० सेटेलमेंट के माहवार आदेश	46-57
	कार्यालय आदेश	58-60
	जी०एस०टी० के अन्तर्गत विभिन्न लेखाशीर्ष एवं 2018-19 का बजट अनुमान	61-64
	जी०एस०टी० के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा खोले गये नये लेखाशीर्ष	65-66
	वैट के अन्तर्गत व्यापारियों का केन्द्र व राज्य में बंटवारा का आदेश	67-68
	वाणिज्य कर विभाग का प्रशासनिक ढांचा	69
	अधिकारियों का ई-मेल आई०डी०	70-75



वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र०

वाणिज्य कर प्रदेश के कर राजस्व का महत्वपूर्ण विभाग है। वर्ष 2017-18 में जून, 2017 तक देय वैट, सी०एस०टी० व प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व जमा हुआ है। दिनांक 01.07.2017 से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक समेकित कर के रूप में **माल एवं सेवा कर (जी०एस०टी०)** लागू हुआ तदुपरान्त जी०एस०टी० से आच्छादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर जी०एस०टी० राजस्व जमा हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, कूड आयल, वायुयान ईंधन, नेचुरल गैस, मानवीय उपयोग हेतु शराब जी०एस०टी० से आच्छादित नहीं है, इसलिये उक्त वस्तुएं नॉन जी०एस०टी० के अन्तर्गत हैं और इन पर पूर्व की भांति वैट राजस्व जमा हो रहा है। वर्ष 2018-19 में समेकित राजस्व संग्रह रु० 70080.32 करोड़ है। वर्ष 2019-20 का वार्षिक लक्ष्य रु० 77640.10 करोड़ निर्धारित है।

वाणिज्य कर विभाग में कर व्यवस्था के विकास के विभिन्न सोपान :-

विभाग के स्थापना के समय से अनेक ऐसे निर्णय लिये गये हैं जिनका विभाग के वर्तमान स्वरूप में महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे कुछ निर्णयों का उल्लेख निम्नप्रकार है :-

- बहुसूत्रीय कर प्रणाली का सूत्रपात वर्ष 1948 में किया गया था, वर्ष 1952 में कुछ विशिष्ट वस्तुओं को एक सूत्रीय प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया तथा वर्ष 1975 में बहुसूत्रीय कर प्रणाली समाप्त कर एक सूत्रीय कराधान की व्यवस्था की गयी।
- विशेष अनुसंधान शाखा की प्रथम इकाई कानुपर में वर्ष 1954 में खोली गयी।
- बिक्रीकर अधिकरण का गठन वर्ष 1980 में किया गया।
- वर्ष 1994 में दि० 01-06-1994 से बिक्रीकर के स्थान पर व्यापार कर कर दिया गया।
- प्रवेश कर वर्ष 1989 में लागू किया गया।
- फ्लोर रेट प्रणाली वर्ष 2000 में लागू की गयी, नई इकाईयों की छूट समाप्त की गयी।
- वर्ष 2000-01 से विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू।
- वर्ष 2000-01 से मोटर सिग्रेट की बिक्री पर प्राप्त होने वाला व्यापार कर राज्य आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश से व्यापार कर विभाग को हस्तान्तरित।
- वर्ष 2005-06 में मई 2005 से विकास कर अरोपित किया गया जो वैट लागू होने के पूर्व दिसम्बर 2007 तक प्रभावी।
- वर्ष 2007-08 में दि० 01-01-2008 से उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर प्रणाली (वैट) लागू किया गया।
- दि० 30/31 जुलाई 2009 की रात्रि से प्रदेश की वाणिज्य कर चेक पोस्ट व्यवस्था समाप्त।
- वर्ष 2009-10 में वाणिज्य कर राजस्व संग्रह के लिए ई-पेमेंट सुविधा एसबीआई तथा पीएनबी द्वारा प्रारम्भ की गयी। वर्ष 2009-10 में रु० 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर के व्यापारियों हेतु ई-रिटर्न का प्रावधान किया गया।
- दिनांक 01-07-2017 से जी०एस०टी० अधिनियम लागू किया गया।
- दिनांक 01-04-2018 से इण्टरस्टेट परिवहन के लिये नेशनल ई-वे -बिल लागू किया गया।
- दिनांक 15-04-2018 से इण्ट्रास्टेट परिवहन के लिये ई-वे -बिल लागू किया गया।
- दिनांक 01.04.2018 से जीएसटी के अन्तर्गत पंजीयन की सीमा रु० 20 लाख से बढ़ाकर रु० 40 लाख तथा समाधान के व्यापारियों की सीमा रु० 1 करोड़ से बढ़ाकर रु० 1.50 करोड़ किया गया।
- दिनांक 01.04.2019 से सेवक्षेत्र के रु० 50 लाख टर्नओवर तक के व्यापारियों के लिए समाधान योजना 5 प्रति० की समाधान योजना लायी गयी।
- शासनादेश दिनांक 28.12.2018 द्वारा उ०प्र० व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन।

मिशन :-

"धर्मरा इव पादपम्"

उद्देश्य :-

- जी०एस०टी० अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में माल एवं सेवा की आपूर्ति पर देय कर को जमा कराना।



- नॉन-जीएसटी0 गुड्स पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत देय कर को जमा कराना।
- राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन देना।
- व्यापारियों के हितों की रक्षा करना।

संगठन :-

वाणिज्य कर विभाग का संगठन मुख्यतः तीन भागों में विभक्त है। प्रथम प्रशासनिक/कर निर्धारण कार्य, द्वितीय न्यायिक कार्य तथा तृतीय प्रवर्तन कार्यों से सम्बन्धित है।

प्रशासनिक :-

उ0 प्र0 शासन के कर एवं निबन्धन विभाग के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग है। वर्ष 2018-19 में श्री आलोक सिन्हा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। कमिश्नर, वाणिज्य कर के विभागाध्यक्ष हैं। उनके सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण में विभाग का कार्य सम्पन्न होता है। वर्ष 2018-19 श्रीमती कामिनी चौहान रतन दिनांक 13.01.2018 से दिनांक 18-01-2019 तक कमिश्नर रही हैं। वर्तमान में श्रीमती अमृता सोनी, कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं।

क्षेत्र :-

विभागीय कार्यों के सुगमता से संचालन हेतु प्रदेश की भौगोलिक सीमा में वाणिज्य कर विभाग 20 जोन, 45 संभाग तथा 436 खण्ड कार्यालयों में विभाजित है। विभागीय कार्यालय 93 स्थलों पर स्थापित हैं, जिन्हें वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय कहा जाता है। बड़े करदाताओं की सुविधा हेतु 21 कारपोरेट सर्किल सभी जोन में एवं एक ऑयल कारपोरेट सर्किल मुख्यालय पर स्थापित है।

प्रथम अपील :-

विभाग में कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील दायर करने हेतु एडी0 कमिश्नर, ग्रेड-2 (अपील) के 56 न्यायिक सम्भाग विभिन्न मण्डल कार्यालयों पर स्थापित हैं। वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ में 31646 प्रथम अपीलों निस्तारण हेतु अवशेष थी, वर्ष में 38900 नई अपीलों दायर हुई तथा 45482 अपीलों निस्तारित हुई। इस प्रकार वर्ष के अन्त में 25054 अपीलों निस्तारण हेतु अवशेष रही है।

द्वितीय अपील :-

दिनांक 03.10.1980 में व्यापार कर अधिकरण की स्थापना के फलस्वरूप द्वितीय अपीलों का निस्तारण व्यापार कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। वाणिज्य कर अधिकरण के उत्तर प्रदेश में 31 पीठें हैं। मा0 अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0 इस कार्यालय के विभागाध्यक्ष हैं।

मा0 अधिकरण की सभी पीठों में कुल मिलाकर वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ में 13877 द्वितीय अपीलों निस्तारण हेतु अवशेष थी। वर्ष में 7755 द्वितीय अपीलों व्यापारी द्वारा तथा 5321 द्वितीय अपीलों सरकार द्वारा दायर की गई। वर्ष में 15740 द्वितीय अपीलों निस्तारित हुई तथा वर्ष के अन्त में 16258 द्वितीय अपीलों निस्तारण हेतु अवशेष रही हैं।

वाणिज्य कर राजस्व संग्रह :-

विगत वर्षों में वाणिज्य कर राजस्व संग्रह निम्न प्रकार रहा है:-

वर्ष	राजस्व करोड़ रु0 में	गत वर्ष से वृद्धि की धनराशि करोड़ रु0 में
2011-12	32996.83	--
2012-13	34869.54	1872.71
2013-14	39624.06	4754.52
2014-15	42931.54	3307.48
2015-16	47690.96	4759.42
2016-17	51819.91	4128.95
2017-18	58738.12	6918.21
2018-19	70060.32	11322.20



प्रवर्तन कार्य :-

- करापवंचन के प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी 20 जोन में जोनल स्तर पर एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) के कार्यालय स्थापित है। इनके अधीन सम्भागीय स्तर पर ज्वाइंट कमिशनर (वि0अनु0शा0) के कार्यालय हैं। इन सभी कार्यालयों से अपने-अपने अधिक्षेत्र के सचल दल तथा वि0अनु0शा0 इकाईयों के कार्य नियंत्रित व सम्पादित होते हैं। प्रदेश में 150 सचल दल इकाईयों सभी जोनल कार्यालयों में तथा 02 वाणिज्य कर मुख्यालय पर कुल 150 सचल दल इकाईयों एवं 45 विशेष अनुसन्धान शाखा की प्रवर्तन इकाईयों कार्यरत हैं।
- विभाग की प्रदेश में स्थापित 150 सचलदल इकाईयों द्वारा वर्ष 2018-19 में अपंजीकृत व्यापारियों के करापवंचित माल के वाहनों की जाँच करके ₹0 256.60 करोड़ की जमानत/अर्थदण्ड जमा करायी गयी है जो गतवर्ष से 1.61 प्रतिशत अधिक है।
- विभाग की 45 विशेष अनुसन्धान शाखा इकाईयों द्वारा निर्माता व्यापारियों के व्यापार स्थल की जाँच करके वर्ष 2018-19 में ₹0 948.66 करोड़ का अपवंचित कर प्रकाश में लाया गया तथा जी0एस0टी0 व्यवस्था के अन्तर्गत सीजर के समय ही उपलब्ध करापवंचित स्टॉक पर देय राजस्व ₹0 153.77 करोड़ जमा कराया गया।

पंजीकृत व्यापारियों के लिये मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना :-

- इस योजना के अंतर्गत विभाग में पंजीकृत सभी व्यापारी स्वतः बीमित माने जाते हैं। इससे सम्बन्धित प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी की हत्या व दुर्घटना में मृत्यु/आंशिक व पूर्ण विकलांग हो जाने की स्थिति में पंजीकृत व्यापारी के नाभिनी/उत्तराधिकारी/स्वयं व्यापारी को बीमित धनराशि का भुगतान किया जाता है।
- दिनांक 27-10-2017 से बीमित धनराशि को ₹0 5 लाख से बढ़ाकर ₹0 10 लाख कर दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के 142 मामलों में तथा वर्ष 2017-18 के 57 दावों का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा सम्बन्धित व्यापारियों के परिजन को प्राप्त कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में दिनांक 31-03-17 से दिनांक 15-06-17 तक (सांय 6.13 बजे तक) अवधि बाधित रही है जिससे सम्बन्धित 22 प्रकरणों में विभाग द्वारा भुगतान किया जा चुका है।
- उक्त योजना हेतु वर्ष 2017-18 में दिनांक 15-6-2017 से एक वर्ष हेतु दि ओरिएन्टल इश्योरेन्स कंपनी लि0 लखनऊ का चयन दिनांक 14.06.2018 तक किया गया। इस अवधि में मात्र 110 व्यापारी के परिजन को इस बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जा चुका है।
- दिनांक 15.06.2018 से विभाग द्वारा ही उक्त बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है।
- दिनांक 27.10.2017 से 14.06.2018 तक के प्राप्त दावों में ₹0 5 लाख का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा तथा ₹0 5 लाख का भुगतान शासन की स्वीकृति के उपरान्त विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- दिनांक 15.06.2018 से प्राप्त दावों में प्रत्येक लाभार्थी को ₹0 10 लाख की धनराशि शासन से स्वीकृत कराकर विभाग द्वारा दी जा रही है। जिनमें दिनांक 31.07.2019 तक 42 व्यापारी के परिजन लाभान्वित हो चुके हैं।

जी0एस0टी0 राजस्व बढ़ाने हेतु किये गये प्रयास

- जीएसटी के अन्तर्गत जुलाई, 18 से अक्टूबर, 18 तक वाणिज्य कर विभाग आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के व्यापार स्थल पर जाकर तकनीकी व व्यवहारिक कठिनाईयों का निदान कराया गया, जिसमें 02 लाख से अधिक व्यापारी लाभान्वित हुए।
- वर्ष 2018-19 में रिफण्ड में आने वाली कठिनाईयों के दृष्टिगत प्रत्येक मण्डल कार्यालय में रिफण्ड का एक पृथक पटल बनाया गया और रसीद दिये जाने की अनिवार्यता की गयी।
- मासिक व त्रैमासिक रिटर्न दाखिल किये जाने हेतु लगभग सभी करबों में अधिकारी द्वारा कम्प्यूटर व अन्य सामग्री साथ ले जाकर शिविर लगाकर व्यापारियों व स्टैकहोल्डर्स को प्रशिक्षित किया गया तथा मण्डल कार्यालयों में भी व्यापारियों व स्टैकहोल्डर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गयी। जुलाई व अगस्त 19 में वार्षिक कर विवरणी जीएसटीआर-9 दाखिल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने एवं आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक जनपद में व्यापारियों,



अधिवक्तागण व स्टेकहोल्डर्स आदि को प्रशिक्षित करने हेतु विभिन्न कार्यशालायें आयोजित की गयी हैं।

- जी.एस.टी. लगने के उपरान्त विगत दो वर्ष में कर निर्धारण एवं प्रवर्तन कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिससे अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई, नई प्रणाली में उनकी कार्य गुणवत्ता बनी रही।

- आईटी सेल द्वारा विकसित कराए गए मोबाइल एप एवं एमआईएस रिपोर्ट—

अ—ई—वे बिल के सत्यापन व पंजीयन के स्थल सत्यापन के विकसित एप

- 1- EWAY –BILL COLLECTION APP
- 2- GSTIN REGISTRATION SURVEY APP (ABHYUTHAN)

ब—कर निर्धारण कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जीएसटीएन डाटा के आधार पर विकसित MIS-RETURN

- 1.RETURN FILER & NON-FILER GSTIN REPORT
- 2.RETURN FILER & NON-FILER GSTIN REPORT (R4)
- 3.GSTIN RETURN (GSTR3B) REPORT
- 4.GSTIN RETURN (GSTR4) REPORT

REFUND

- 1.REFUND REPORT
- 2.Refund Application Status Report
- 3.Refund Application Status Report(GSTIN-WISE)
- 4.Refund Application Status Report(AF-03)
- 5.Refund Statement by addl. Commissioner

NET-PAYMENT

- 1.GSTIN NETPAYMENT UPLOAD
- 2.GSTIN NETPAYMENT REPORT
- 3.GSTIN NETPAYMENT REPORT (Comparison b/w 2 Year)

Dealer 360 Degree Report

- 1.Dealer 360 Sector Ledger
- 2.Dealer Wise 360 View

OTHER REPORT

- 1.GSTIN WISE R3B DETAIL
- 2.R1 FILED BUT R3B NOT FILED
- 3.DATE WISE REGISTRATION DETAILS(GSTIN)
- 4.HOTLISTED PAN REPORT
- 5.MORE THAN 4 REG. ON SINGLE MOBILE/PAN/E-MAIL
- 6.Interstate EWB & R3B IGST Credit Claimed Difference
- 7.Trans-1
- 8.Turnover Detail

स—प्रवर्तन कार्य की संचल दल इकाईयों की मॉनिटरिंग हेतु विकसित विभागीय एमआईएस

संचल दल के कार्यों को पूर्णतः ऑनलाइन करने के लिए विभाग अपने स्तर से MMS (Mobile Management System) Module बनाया गया जिसके आकड़ों के आधार पर विभिन्न प्रकार की एमआईएस विकसित की गयी।

1. BILL Report

- 1.1. Commodity Wise Bill Detail (OLD)
- 1.2. EWB App Report
- 1.3. Bill Collection Detail



2. Panji5 Report

- 2.1. Panji5 Report
- 2.2. Frequently Detained Report
- 2.3. Panji Wise Report
- 2.4. Interception & Generate of Panji5

3. MS Report

- 3.1. Analytical Data
- 3.2. Type of Seizures
- 3.3. Action Against Marked Transporter
- 3.4. Seizure of Sen. Goods
- 3.5. Bill Upload of Sen. Goods
- 3.6. Place of Supply wise Seizure Detail
- 3.7. Tax & Penalty Deposited by Owner of the Goods or Other Person
- 3.8. Mode of Transportation Wise

4. Zonewise MMS Report

- 4.1. Zone wise MMS Report
- 4.2. Enforcement of Sensitive Good
- 4.3. Scruting of Owner of Goods
- 4.4. Zonewise Interception Details

5. Red Flaged

- 5.1. No. of Red Flaged Dealer Detained
- 5.2. No. of Detained Red Flaged Dealer More than 4 Parameter
- 5.3. EWB Generation & Verification

द-प्रवर्तन कार्य की वि०अनु०शा० इकाईयों की मॉनिटरिंग हेतु विकसित विभागीय एमआईएस- वि०अनु०शा० इकाई की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए समस्त प्रक्रिया को ऑनलाइन किये जाने हेतु विभाग अपने स्तर से SMS (S.I.B. Management System) Module विकसित किया गया है, जिसपर उपलब्ध डाटा का समेकित विश्लेषण करने हेतु विभिन्न प्रकार एमआईएस रिपोर्ट विकसित की गयी।

1. SMS Report

- 1.1. Summary of SMS(Date wise)
- 1.2. SIB 01 Report(Year & Month Wise)
- 1.3. SIB 02 Report(Year & Month Wise)
- 1.4. SIB 03 Report(Year & Month Wise)
- 1.5. SIB 04 Report(Year & Month Wise)
- 1.6. SIB 05 Report(Year & Month Wise)
- 1.7. SIB 06 Report(Year & Month Wise)
- 1.8. SIB 06A Report (5 Sen. Commodity)
- 1.9. SIB 07 Report (Detail of Red flag Dealer)

2. Zonewise SMS Report

- 2.1. Details of Monetary Limit Wise Tax Evasion Report(Tax Evasion Wise)
- 2.2. Details of Monetary Limit Wise Tax Evasion Report
- 2.3. Non Existing Dealer Report
- 2.4. Officer Performance Report
- 2.5. Login Report



3. Red Flaged

3.1. No. of Red Flaged Dealer Detained

3.2. No. of Detained Red Flaged Dealer More than 4 Parameter

य-E-WAY-BILL की मॉनिटरिंग हेतु विकसित विभागीय एमआईएस

- 1.Top 100 EWB cancellation/rejection
- 2.EWB Download But Return Not Filed Report
- 3.EWB-Return Detail GST inwise
- 4.GST inwise EWB Download
- 5.EWB-wise Report
- 6.Vehicle-Wise Report
- 7.Dealer Having Only Outward And No Inward Ewb With No ITC Claim
- 8.Red flagged vehicles carrying pan masala
- 9.Red flagged vehicles carrying packing material of pan masala

RED FLAGGING

- 1.RED FLAGGING (ZONEWISE)
- 2.LIST OF COMMON DEALER IN DIFFERENT PARAMETER
- 3.RED FLAGGING (MONTH-WISE)
- 4.Red Flag Data Provided by GSTN

RETURN SCRUTINY

1. EWB CANCELLATION/REJECTION SCRUTINY (ENTRY)
2. EWB DOWNLOAD BUT RETURN NOT FILED SCRUTINY (ENTRY)
4. Interstate EWB & R3B IGST Credit Claimed Difference SCRUTINY (ENTRY)
5. EWB SCRUTINY REPORT
6. Return Non-Filer SCRUTINY REPORT
7. Return Filer SCRUTINY REPORT
8. ZONAL PROFILE
10. Good Work Entry Report

डीलर मॉनिटरिंग सिस्टम DMS

VERIFICATION REPORT

1. NEW REGISTRATION VERIFICATION REPORT
2. Red Flag Verification Report
3. NEW REGISTRATION VERIFICATION REPORT (DateWise) DMS

- Login Report
- ZERO SALE PURCHASE
- ZERO TAX-PAYER REPORT
- RETURN FILER & NON-FILER REPORT
- RETURN (R3B) NOT FILE FOR LAST 6 MONTH
- New Registration ITC Claimed Report as Per Amount
- Zone Wise Work Contract Report

जीएसटीएन द्वारा प्रवर्तन कार्यों के लिए जुलाई, 19 में माब्यूल विकसित किये गये हैं जिनपर अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिसे यथाशीघ्र क्रियान्वित कराया जाएगा।



MONTHLY MEETING के लिए विकसित किये गये एमआईएस

जीएसटी लागू होने के उपरान्त प्रथम बार राजस्व संग्रह के साथ-साथ विभागीय कार्यों के नियमित अनुश्रवण हेतु अधिकारियों के लिए राजस्व लक्ष्य के साथ-साथ कार्यात्मक लक्ष्य भी निश्चित किये गये जिसके इन्डिकेटर पर नियमित समीक्षा के लिए ऑनलाइन एमआईएस विकसित किये गये।

1. Registration Report

1.1 Registration Report (Application)

1.2 Registration Physical Verification Report

2. Return Scrutiny (R3B)

2.1 Non Filer

2.2 Filer

3. SIB- 3.1 SIB

4. Tax Audit

4.1 Tax Audit

4.2 MPR 11

5. RC- 5.1.RC

6. REFUND Scrutiny- 6.1. REFUND Scrutiny

7. NETPAYMENT- 7.1 GSTIN NETPAYMENT REPORT

8. Meeting Minutes

8.1 Upload Meeting Minutes

8.2 Upload Compliance Report

8.3 View Meeting Minutes

9. Remark-

9.1 Weekly Meeting Remark

- जीएसटी रिटर्न न दाखिल करने वाले व्यापारियों की जोन/सम्भाग तथा खण्डवार रिपोर्ट उपलब्ध कराना।
- जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा तथा एमएमएस व एसएमएस माईयूल के माध्यम से प्राप्त डाटा के आधार पर व्यापारियों का प्रोफाइल निर्माण।
- कम्पोजीशन व्यापारियों के द्वारा फाइल किये गये रिटर्न तथा जमा किये गये कर से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध कराना।
- जीएसटीएन पोर्टल पर आरएफबी-01 दाखिल कर हार्ड कापी न दाखिल करने वाले व्यापारियों को प्रत्येक सप्ताह एसएमएस प्रेषित करना।
- रिटर्न फाइल करने हेतु सभी डीलर को प्रत्येक माह की 15 तथा 18 तारीख को एस0एम0एस0 द्वारा सूचना प्रेषण तथा नॉन फाइलर्स को 22 तारीख को आटोजनरेटेड नोटिस जारी किया जाना।

विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों का प्रभाव-

विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार किये गये प्रयासों से वैट के अन्तर्गत विभाग में पंजीकृत 8.4 लाख व्यापारियों में से 8.25 लाख व्यापारियों द्वारा सफलतापूर्वक जी0एस0टी0 में माईग्रेट किया गया, जो देश में सर्वाधिक है। साथ ही जी0एस0टी0 लागू होने के बाद अब तक प्रदेश में 8.63 लाख नये व्यापारियों के द्वारा पंजीयन लिया गया जो देश स्तर पर एक रिकार्ड है। जिससे स्पष्ट है कि जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त प्रदेश के कर आधार में आशातीत वृद्धि हुई है।

- वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति शून्य रही है।

- माननीय उच्च न्यायालय में प्रवेश कर सम्बन्धी वाद राज्य के पक्ष में निर्णय-

दिनांक 04-05-2018 को उक्त निर्णय के फलस्वरूप वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2010-11 तक मूल धन रु0 3652.54 करोड़ एवं अनुमानित ब्याज रु0 5910.20 करोड़ कुल देयता रु0 9562.75 करोड़ के सापेक्ष रु0 3561.74 करोड़ जमा। ब्याज की धनराशि सर्वश्री आई0ओ0सी0 की सर्वाधिक है जो विधिक प्रक्रिया में है।

जीएसटी प्रतिपूर्ति में विशेष प्रयास

जीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित आधार वर्ष 2015-16 के प्रदेश के आधारभूत राजस्व में विज्ञापनों पर प्राप्त कर सम्मिलित नहीं था जिसे दो वर्षों से निरन्तर प्रयास करके रु0 28.98 करोड़ भारत सरकार के आदेश दिनांक 19.08.2019 द्वारा सम्मिलित



कराया गया, तदनुसार संशोधित आधारभूत राजस्व रु0 33387.85 करोड़ निश्चित हुआ है। इससे प्रदेश को वर्ष 2017-18 के लिए रु0 28.25 करोड़ अतिरिक्त प्रतिपूर्ति का दावा प्रेषित किया जा चुका है। वर्ष 2018-19 में राजस्व अधिक होने से दावा नहीं बनता है। इस प्रकार जीएसटी प्रतिपूर्ति की अवधि जुलाई, 17 से जुलाई, 2022 तक रु0 154.17 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी।

- भारत सरकार द्वारा विभाग के अनुरोध पर वर्ष 2019-20 से जीएसटी के अन्तर्गत दिये गये मैनुअल रिफण्ड की राशि का भी प्रतिपूर्ति के समय संज्ञान लिया जाने लगा है।

वाणिज्य कर विभाग द्वारा किये जा रहे जनकल्याणकारी कार्य

- व्यापारियों के हित में व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना।
- रिटर्न दाखिल करने हेतु ड्यू डेट पर 2 बार एस0एम0एस0 किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- वर्ष 2018-19 में पेट्रोल व डीजल के मूल्य अधिक होने पर दिनांक 04.10.2018 को वैट कर की राशि में रु0 2.5 प्रति लीटर की कमी की गयी फलस्वरूप दिनांक 19.08.2019 तक राज्य सरकार को लगभग रु0 3200 करोड़ के राजस्व प्रभावित हुए।
- यूरिया निर्माता व्यापारियों को छोड़कर नेचुरल गैस पर कर की दर 28 प्रति0 से घटाकर 10 प्रति की गयी। जिससे आम उपभोक्ता की आपूर्ति की गैस के मूल्य तदनुसार कम हुए हैं।
- प्रदेश में यूरिया के मूल्य अन्य प्रदेशों के समकक्ष किये जाने हेतु यूरिया की आपूर्ति में उपयोग नेचुरल गैस पर देय 5 प्रति0 अतिरिक्त कर को समाप्त कर दिया गया जिससे यूरिया प्रति बोरी लगभग 50 रु0 सस्ती हो गयी।
- भारत सरकार की प्राथमिकता के अन्तर्गत व्यापारियों के जीएसटी के रिफण्ड के प्राप्त 20715 प्रार्थना पत्रों में से 20082 (97 प्रतिशत) प्रार्थना पत्र निस्तारित हुए हैं।
- वर्ष 18-19 में व्यापारियों के देय रिफण्ड का कोषागारों से रु0 804.18 करोड़ भुगतान किया जा चुका है। वैट के अन्तर्गत भी माह तक रु0 820.39 करोड़ के रिफण्ड दिये जा चुके हैं।
- लगभग 2 लाख छोटे व्यापारियों को रिटर्न दाखिले, पंजीयन व अन्य ऑनलाइन कार्यों में आ रही कठिनाइयों का निदान 'वाणिज्य कर विभाग आपके द्वार' योजना के माध्यम से किया गया।
- एक लाख से अधिक छोटे व्यापारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया तथा उनके ई-मेल आईडी व फोन नंबर अपडेट कराये गये। विभिन्न संभागों में 100 से अधिक शिविरों का आयोजन कर व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण।
- व्यापारियों के पंजीयन की मौद्रिक सीमा रु0 05 लाख से बढ़ाकर रु0 20 लाख की गयी।
- रु0 01 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर तक के व्यापारियों के लिए केवल 01 प्रतिशत करदेयता की समाधान योजना व रेस्टोरेन्ट व्यापारियों के लिए 05 प्रतिशत की समाधान योजना लागू।
- दिनांक 01.04.2019 से सेवखेत्र के रु0 50 लाख टर्नओवर तक के व्यापारियों के लिए 5 प्रति0 की समाधान योजना लागू की गयी।
- जी0एस0टी0 के अन्तर्गत आम जन के उपभोग की अधिकांश वस्तुएं कर मुक्त की गयी अथवा 5 प्रतिशत पर रखी गयी तथा विगत 1 वर्ष में 200 से अधिक वस्तुएं 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत में लायी गयी। अब 40 से कम वस्तु व वस्तु समूह ही 28 प्रतिशत में रह गए हैं।
- वैट से जी0एस0टी0 में माइग्रेशन करने में छूट गये व्यापारियों को दि0 31.01.2019 तक समय दिया जाना व दिनांक बिना लेट फीस के दिनांक 31.03.2019 तक कर विवरणी दाखिल किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी। वर्ष 2017-18 के जीएसटी की वार्षिक विवरणी दाखिल किये जाने का अन्तिम दिनांक पुनः बढ़ाकर दिनांक 30.11.2019 किया गया है।



तालिका-1
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश : एक दृष्टि में...

वर्ष: 2018-19

क्रमांक	सद का नाम	इकाई	अवधि	विवरण
सामान्य				
1	प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	वर्ग किलोमीटर	2011	240928
2	जनसंख्या (कुल)	लाख	2011	1998.12
	ग्रामीण	लाख	2011	1553.17
	नगरीय	लाख	2011	444.95
	नगर एवं नगर समूह	संख्या	2011	915
	एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर	संख्या	2011	64
3	वाणिज्य कर विभाग में राजस्व संग्रह	करोड़ रुपये	2018-19	70060.32
	(क) वाणिज्य कर राजस्व संग्रह (प्रवेश कर घटाकर)	करोड़ रुपये	2018-19	66368.72
	(ख) प्रवेश कर संग्रह	करोड़ रुपये	2018-19	3691.60
4	कर निर्धारण वाद (वाणिज्य कर के वाद)			
	(1) वर्ष के प्रारम्भ में कुल वाद	लाख	2018-19	0.07
	(2) वर्ष में प्राप्त वाद	लाख	2018-19	3.84
	(3) वर्ष में निस्तारित वाद	लाख	2018-19	3.85
5	अपीलों की स्थिति			
	(1) वर्ष के प्रारम्भ में अवशेष	संख्या	2018-19	31646
	(2) वर्ष में दायर	संख्या	2018-19	38900
	(3) वर्ष में निस्तारित अपील	संख्या	2018-19	45492
	(4) वर्ष के अन्त में अवशेष	संख्या	2018-19	25054
6	द्वितीय अपीलों की स्थिति			
	(1) वर्ष के प्रारम्भ में अवशेष	संख्या	2018-19	13877
	(2) वर्ष में दायर	संख्या	2018-19	13076
	(3) वर्ष में निस्तारित	संख्या	2018-19	15740
	(4) वर्ष के अन्त में अवशेष	संख्या	2018-19	16258
7	जी एस टी के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी	संख्या	2018-19	1467768
विभाग की प्रशासनिक संरचना				
8	एडीओ कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर	संख्या	2018-19	20
9	एडीओ कमिश्नर ग्रेड-2 वाणिज्य कर (वि०अनु०शा०)	संख्या	2018-19	20
10	एडीओ कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील)/ ज्वा० कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर	संख्या	2018-19	56
11	कार्यपालक के वाणिज्य कर सम्भाग	संख्या	2018-19	45
12	वि०अनु०शा०/प्रवर्तन के वाणिज्य कर सम्भाग	संख्या	2018-19	45
13	कारपोरेट सर्किल	संख्या	2018-19	22
14	वाणिज्य कर खण्ड	संख्या	2018-19	436



तालिका-2
प्राप्तियों का मुख्य शीर्षवार विवरण

(₹ लाख में)

प्राप्ति शीर्ष	वास्तविक आंकड़े 2017-2018	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019	पुनर्रक्षित अनुमान 2018-2019	आय-व्ययक अनुमान 2019-2020
अ- कर राजस्व-				
(क) वस्तु एवं सेवाकर				
0005-केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	1,71,829.00	43,70,385.00	49,09,161.00	53,01,894.00
0006-राज्य वस्तु एवं सेवा कर	25,37,396.04	49,42,200.00	54,02,500.00	52,98,010.00
0008-समीकृत वस्तु एवं सेवा कर	12,21,176.00	3,55,831.00	3,77,139.00	4,07,310.00
योग (क) वस्तु एवं सेवा कर	39,30,401.04	96,68,416.00	1,06,88,800.00	1,10,07,214.00
(ख) आय तथा व्यय पर अन्य कर				
0020-निगम कर	37,04,322.00	38,54,142.00	39,74,108.00	42,92,037.00
0021-निगम कर से निम्न आय पर कर	31,28,037.00	33,39,050.00	35,16,862.00	37,98,211.00
0023-बोटल प्राप्ति कर ¹	1,915.09	0.00	0.00	0.00
योग (ख) आय तथा व्यय पर कर	68,34,274.09	71,93,192.00	74,90,970.00	80,90,248.00
(ग) सम्पत्ति पूँजी तथा अन्य संव्यवहारों पर कर				
0029-भू-राजस्व	1,33,646.33	80,000.00	85,000.00	85,600.00
0030-स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस	13,39,757.13	18,00,000.00	19,65,000.00	19,17,907.00
0032-घन कर	-207.83	-127.00	-127.00	-137.00
योग (ग) सम्पत्ति पूँजी तथा अन्य संव्यवहारों पर कर	14,73,195.63	18,79,873.00	20,49,873.00	20,03,370.00
(घ) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर-(राज्य वस्तु एवं सेवा कर को छोड़कर)				
0037-सीमा शुल्क	12,20,800.21	7,58,434.00	6,97,327.00	7,53,113.00
0038-संघ उत्पाद शुल्क	12,76,080.00	6,77,127.00	6,79,529.00	7,33,891.00
0039-राज्य उत्पाद शुल्क	17,32,026.62	23,00,000.00	25,10,000.00	31,51,741.00
0040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर	31,11,252.12	22,07,800.00	24,07,500.00	24,66,000.00
0041-वाहन कर	6,40,364.69	7,40,000.00	8,00,000.00	7,86,342.00
0042-माल तथा यात्री कर	3.95	0.00	0.00	0.00
0043-विद्युत कर तथा शुल्क	2,12,412.93	2,00,000.00	2,60,000.00	3,12,000.00
0044-सेवा कर	13,71,880.80	0.00	0.00	0.00
0045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क ¹	30,522.36	-2.00	-2.00	-2.00
01-राज्य का स्वयं का राजस्व	30,525.36	0.00	0.00	0.00
02-केंद्रीय कर में राज्यांश	-3.00	-2.00	-2.00	-2.00
योग (घ) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	95,95,343.68	68,83,359.00	73,54,354.00	82,03,085.00
केंद्रीय करों में राज्यांश	1,20,93,914.18	1,33,54,840.00	1,41,53,997.00	1,52,86,317.00
स्वयं का कर राजस्व	97,39,300.26	1,22,70,000.00	1,34,30,000.00	1,40,17,600.00
योग क- कर राजस्व	2,18,33,214.44	2,56,24,840.00	2,75,83,997.00	2,93,03,917.00

स्रोत- उत्तर प्रदेश 2019-2020 की राजस्व एवं पूँजी लेख की प्राप्ति के ब्यौचारे अनुमान (खण्ड-4)

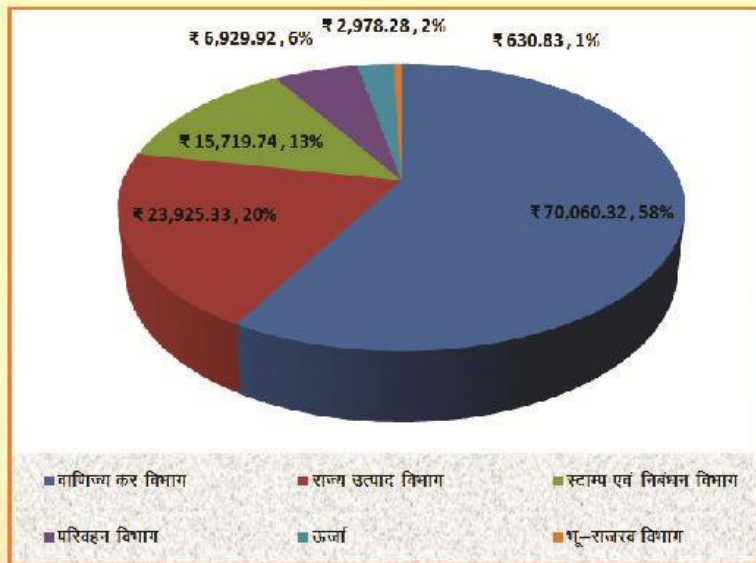
नोट-

- 1- दि 01 जुलाई 2017 से शीर्ष 0023 एवं 0045 का कर जी0एस0टी0 में समाहित हो गया है।
- 2- वाणिज्य कर विभाग उ0प्र0 को शीर्ष 0006 एवं 0040 के तहत कर राजस्व प्राप्त होता है।
- 3- जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त शीर्ष 0040 में केवल नॉन जी0एस0टी0 गूड्स (पेट्रोल, डीजल, वायुयान ईंधन, मानव उपयोग हेतु एल्कोहल, नेचुरल गैस एवं क्रूड ऑयल जिसमें क्रूड ऑयल पर उ0प्र0 में कर लागू नहीं है) की बिक्री पर वैट राजस्व प्राप्त है।



वर्ष 2018-19 में राज्य के कर राजस्व में विभागवार अंश

कर / विभाग	राजस्व संग्रह (₹ करोड़)	% अंशदान
वाणिज्य कर विभाग	70,060.32	58.3
राज्य उत्पाद विभाग	23,925.33	19.9
स्टाम्प एवं निबंधन विभाग	15,719.74	13.1
परिवहन विभाग	6,929.92	5.8
ऊर्जा	2,978.28	2.5
मू-राजस्व विभाग	630.83	0.5
योग	1,20,244.42	100.0



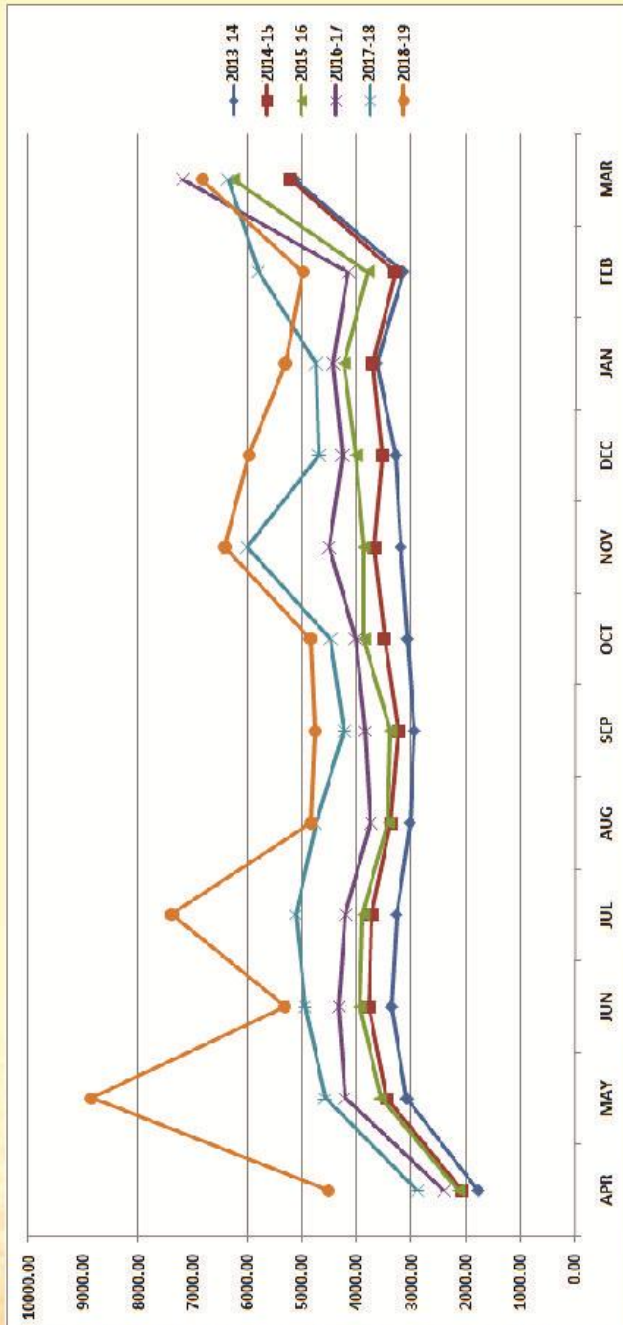
स्रोत: वित्त संसाधन सामान्य विभाग, ७० प्र० शासन।



वाणिज्य कर की माहवार राजस्व प्राप्तिओं का विवरण व रेखाचित्र

(रु करोड़ में)

YEAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	TOTAL	CST Comp.	G.Total
2013-14	1780.50	3086.19	3385.92	3289.79	3025.37	2950.96	3078.49	3199.40	3281.86	3636.98	3150.45	5132.57	38958.48	865.58	39624.06
2014-15	2063.60	3447.25	3773.16	3722.36	3377.36	3233.62	3486.76	3673.87	3521.40	3705.00	3289.52	5213.85	42507.75	423.88	42931.63
2015-16	2139.13	3561.24	3940.59	3880.91	3419.77	3385.08	3869.86	3877.71	4004.32	4234.72	3781.45	6250.10	46344.88	1346.08	47690.96
2016-17	2413.25	4219.91	4324.91	4200.62	3746.73	3849.81	4014.89	4500.41	4260.82	4429.85	4149.12	7170.20	51329.91	490.00	51819.91
2017-18	2903.56	4579.50	4951.93	5126.49	4757.92	4237.07	4485.84	6005.09	4705.08	4751.68	5797.79	6353.43	58667.28	70.84	58738.12
2018-19	4530.72	8843.63	5315.68	7390.37	4845.82	4767.97	4856.62	6418.03	5977.41	5311.27	4981.64	6821.16	70060.32		70060.32





तालिका-2 (अ)
वाणिज्य कर की राजस्व प्रारितियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं०	मद	वार्षिक संग्रह 2013-2014	वार्षिक संग्रह 2014-2015	वार्षिक संग्रह 2015-2016	2014-2015 की तुलना में कमी/वृद्धि का प्रतिशत	वार्षिक संग्रह 2015-2016	2015-2016 की तुलना में कमी/वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आयल	11765.86	12815.32	8.92	13939.36	8.77	15917.96
2	नान-आयल	27192.62	29692.43	9.19	32405.52	9.14	35411.95
	योग	38958.48	42507.75	9.11	46344.88	9.03	51329.91
	केन्द्रीय विक्रीकर की हानिपूर्ति	665.58	423.88		1346.08		490.00
	योग (उपरोक्त)	39624.06	42931.63	8.35	47690.96	11.09	51819.91
	2015-2016 की तुलना में कमी/वृद्धि का प्रतिशत						8.66

क्र.सं०	मद	वार्षिक संग्रह 2017-2018	वार्षिक संग्रह 2018-2019	2017-2018 की तुलना में कमी/वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	जीएस्कटी राजस्व	37812.90	45981.90	21.60
2	सेट राजस्व	18620.94	23753.56	27.56
3	जीएस्कटी में समाहित अन्य कर	97.54	16.86	
	योग	56543.28	69752.32	23.36
	जीएस्कटी हानिपूर्ति	2124.00	308.00	
	केन्द्रीय विक्रीकर की हानिपूर्ति	70.84		
	योग (उपरोक्त)	58738.12	70060.32	19.28



तालिका-3

अधिकारियों के स्वीकृत तथा कार्यरत पदों का विवरण (दि० 02.07.2019 तक अद्यतन)

क्र०सं०	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	सादृश्य वेतनमान (₹)	सादृश्य ग्रेड वेतन (₹)	लेवल
1	2	3	4	5	6	7
1	कमिश्नर (आई०पी०एस०) (कैडर) सुपर टाइम स्केल	1	1	37400-67000	10000	14
2	एडिशनल कमिश्नर (आई०पी०एस०) (कैडर) सीनियर टाइम स्केल	1	1	37400-67000	8700	13
3	एडिशनल कमिश्नर (आई०पी०एस०) (नान कैडर) सीनियर टाइम स्केल	1	-	37400-67000	8700	13
4	एडिशनल कमिश्नर (प्रशासन) (पी०सी०एस०)	1	1	37400-67000	8900	13A
5	सदस्य सेटेलमेंट कमीशन	6	-	37400-67000	10000	14
6	सदस्य अधिकरण, वाणिज्य कर	16	16	37400-67000	10000	14
7	एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1	21	20	37400-67000	8900	13A
8	एडिशनल कमिश्नर (लेखा)	1	1	37400-67000	8900	13A
9	एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2	77	73	37400-67000	8700	13
10	एडिशनल कमिश्नर (पुलिस) (आई०पी०एस०)	1	1	37400-67000	8700	13
11	ज्वाइंट कमिश्नर/संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)	157	153	15600-39100	7600	12
12	ज्वाइंट डायरेक्टर (संख्या)	1	1	15600-39100	7600	12
13	डिप्टी कमिश्नर	494	462	15600-39100	6600	11
14	उप निदेशक (संख्या)	4	4	15600-39100	6600	11
15	वरिष्ठ अर्थशास्त्री	1	-	15600-39100	6600	11
16	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	1	-	15600-39100	6600	11
17	वित्तीय परामर्शदाता	1	-	15600-39100	6600	11
18	पुलिस उपाधीक्षक	8	-	15600-39100	5400	10
19	संख्यिकीय अधिकारी	24	6	15600-39100	5400	10
20	असिस्टेंट कमिश्नर	964	756	15600-39100	5400	10
21	सहायक अभियन्ता (सिविल)	1	-	15600-39100	5400	10
22	वाणिज्य कर अधिकारी	1275	916	9300-34800	4800	8
23	अपर संख्यिकीय अधिकारी	74	53	9300-34800	4600	7
24	सहायक लेखा अधिकारी	2	1	9300-34800	4800	8
योग		3133	2486			



तालिका-3 (अ)

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश में तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालकों के संवर्गवार कुल स्वीकृत तथा कार्यरत पदों का विवरण (दि 31.03.2019 तक अद्यतन)

क्र० सं०	संवर्ग का नाम	पदनाम	सदृश्य वेतन बैंड (वेतनमान)	सदृश्य ग्रेड वेतन	वर्तमान में कुल स्वीकृत पदों की संख्या	वर्तमान में कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	लिपिक संवर्ग	परिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800	4800	1	1
2		प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800	4600	262	243
3		प्रधान सहायक	9300-34800	4200	888	785
4		परिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	2407	753
5		कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	1707	1220
6		उर्दू अनुवादक	5200-20200	2000	63	33
7	आशुलिपिक संवर्ग	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	9300-34800	4600	195	135
8		वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	9300-34800	4200	456	81
9		आशुलिपिक	5200-20200	2800	651	473
10	संख्या संवर्ग	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	9300-34800	4200	111	74
11	लेखा परीक्षक संवर्ग	परिष्ठ लेखा परीक्षक	9300-34800	4200	68	26
12		लेखा परीक्षक	5200-20200	2800	23	0
13	लेखा संवर्ग	लेखाकार	9300-34800	4200	98	30
14		लेखा परीक्षा अधिकारी	9300-34801	4200	13	0
15		सहायक लेखाकार	5200-20200	2800	33	1
16	ई०डी०पी० संवर्ग	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी	5200-20200	2800	20	19
17		कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए	5200-20200	2400	215	143
18	पुलिस	निरीक्षक	9300-34800	4200	6	4
19		उप निरीक्षक	9300-34800	4200	17	7
20	संग्रह अमीन संवर्ग	संग्रह अमीक्षक	5200-20200	4200	6	0
21		संग्रह पर्यवेक्षक	5200-20200	2800	95	70
22		संग्रह अमीन	5200-20200	2000	380	232
23	वाहन संवर्ग	वाहन चालक विशेष ग्रेड	9300-34800	4600	46	38
24		वाहन चालक ग्रेड-1	9300-34800	4200	69	48
25		वाहन चालक ग्रेड-2	5200-20200	2800	92	58
26		वाहन चालक ग्रेड-3	5200-20200	2400	114	48
27		वाहन चालक ग्रेड-4 (सीधी मर्ती)	5200-20200	1900	111	164
28		वाहन चालक ग्रेड-4 (पदोन्नति द्वारा)	5200-20200	1900	27	24
29	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	दफतरी	5200-20200	1800	145	8
30		सेवक	5200-20200	1800	3289	1352
31		संग्रह सेवक	5200-20200	1800	558	200
32		सफाई कर्मचारी	5200-20200	1800	145	0
33		माली	5200-20200	1800	2	0
योग					12313	6270



तालिका-4
व्यापार/वाणिज्य कर संग्रह, वृद्धि दर तथा व्यय का विवरण

वर्ष	विभाग में जमा कर राजस्व	विभाग में जमा कर राजस्व में गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि	कालम-2 का मदवार विभाजन										व्यापार/ वाणिज्य कर विभाग में जमा राजस्व में वार्षिक व्यय का प्रतिशत
			प्रवेश कर	मोटर रिफ्ट पर प्राप्त कर (पेट्रोल व डीजल की बिक्री पर कर)	केंद्रीय बिक्री कर	VKAS TAX (From May, 05 to Dec., 07)	B.G. Encashment, E.T.Antar (2011-12) & E.T.Antar (2010-11)	केंद्रीय बिक्री कर प्रतिपूर्ति	बलु एवं सजाकर प्रतिपूर्ति	GST (SGST + IGST)	व्यापार कर/ व्यापार कर विभाग में कुल व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2001-02	6158.55	5.70	290.89	1600.39	536.22						3731.05	141.05	2.29
2002-03	7100.93	15.30	375.52	1817.46	605.36						4302.59	164.33	2.31
2003-04	7651.35	7.75	342.54	1988.47	665.54						4654.80	192.19	2.51
2004-05	9226.37	20.58	587.44	2177.00	783.52						5678.41	173.58	1.88
2005-06	11805.35	27.95	1012.31	2586.47	956.06	431.17					6819.34	193.51	1.64
2006-07	14053.85	19.05	1302.84	3636.59	1,236.38	608.96					7269.08	200.19	1.42
2007-08	15021.83	6.89	546.77	3796.46	1,384.97	525.01					8768.62	213.35	1.42
2008-09	17403.67	15.86	831.95	4197.42	1,436.05						10936.25	272.54	1.57
2009-10	20667.67	18.75	999.11	4665.02	1,450.86						13552.68	358.43	1.73
2010-11	24798.69	19.99	591.14	5404.85	1,848.93			118.87			16834.90	424.17	1.71
2011-12	32996.82	33.06	1389.68	7048.79	1,769.59		3504.81				19283.95	505.27	1.53
2012-13	34869.54	5.68	2581.11	8106.50	1,745.81						22436.12	481.59	1.38
2013-14	39624.06	13.64	2653.95	9508.51	1,793.33			665.58			25002.69	513.67	1.30
2014-15	42931.63	8.35	2769.50	10252.31	1,775.85			423.88			27710.09	556.97	1.30
2015-16	47690.96	11.09	2196.31	12007.17	1,886.88			1346.08			30254.52	591.16	1.24
2016-17	51819.91	8.66	2375.01	14019.15	1,995.08			490.00			32940.67	651.56	1.26
Apr-17- July-17	17561.48		873.80		690.65						15997.03		
जुलै 2017 के उपरान्त													
Aug-17- Mar-18	41176.64				298.30			70.84		25312.86	15494.64		
2017-18	58738.12	13.35	873.80	15938.50	988.95			70.84	2124.00	25312.86	13429.17	789.92	1.34
2018-19	70060.32	19.28		17157.37	451.24		3691.60		308.00	45981.90	2470.21	749.97	1.07



तालिका-5
केन्द्रीय बिली कर का विवरण

(द्वाराशि र लाख में)

वर्ष	अर्जन	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	वार्षिक योग
2007-08	5,280.25	8,770.52	12,092.68	11,161.85	10,964.19	10,788.77	13,029.22	12,747.28	11,622.46	13,491.25	10,020.87	18,547.98	1,38,497.32
2008-09	12,674.10	11,367.75	12,755.51	12,416.54	10,240.85	9,369.47	11,563.10	10,363.45	10,149.30	11,193.66	13,942.82	17,749.73	1,43,806.28
2009-10	6,676.59	8,334.05	11,016.37	10,886.64	10,586.55	10,291.24	12,326.51	11,395.05	12,784.71	11,872.88	12,715.14	25,528.29	1,45,086.00
2010-11	12,119.51	12,396.26	14,137.77	15,599.25	13,922.09	15,703.09	16,410.85	14,988.55	15,146.97	18,752.26	17,850.14	16,866.75	1,84,893.49
2011-12	11,766.32	14,499.09	16,000.75	14,521.49	16,396.21	11,960.96	13,193.43	15,021.62	12,850.50	15,165.03	12,055.10	23,528.54	1,76,959.04
2012-13	13,382.55	10,662.78	13,271.61	13,873.88	11,867.27	13,885.96	16,898.84	13,180.76	13,393.02	16,432.55	14,154.25	23,618.29	1,74,580.76
2013-14	12,148.43	10,757.32	13,863.77	16,134.81	13,462.24	12,402.41	15,517.02	13,903.20	13,249.31	16,511.02	14,694.14	26,889.18	1,79,332.85
2014-15	14,217.28	12,848.72	13,823.25	12,773.53	13,142.09	13,832.39	15,308.31	13,516.49	13,736.27	16,385.89	14,367.82	23,633.51	1,77,585.55
2015-16	13,970.53	12,980.81	14,032.96	15,908.35	14,038.53	13,692.64	16,710.90	15,349.41	14,575.61	16,400.85	15,446.22	25,580.63	1,88,687.64
2016-17	13,082.50	13,702.09	15,793.35	16,930.84	13,787.42	15,762.46	17,960.99	17,880.28	12,957.78	17,634.74	15,375.64	28,629.71	1,99,507.80
2017-18	14,709.00	14,972.00	17,928.00	21,456.00	3,434.00	3,321.00	3,520.00	3,338.00	3,412.00	3,374.00	2,483.00	6,948.00	98,895.00
2018-19	2,359.00	4,507.00	3,745.00	4,218.00	4,093.00	4,249.00	4,186.00	4,432.00	4,258.00	3,833.00	3,363.00	1,881.00	45,124.00

CST Compensation Received From Government of India

Year	2010-11	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	Total
Amount (In Lakh)	11887	66558	42388	134608	49000	7084	311525

नोट- सितम्बर 01 जुलाई 2017 से जीएसटी00 लागू होने के उपरान्त जीएसटी00 संग्रह हो गया है, उसके पश्चात् फेब्रुवरी 2017 में जीएसटी00 संग्रह हो रहा है।



तालिका-6
उत्तर प्रदेश में पेट्रोल/डीजल की बिक्री पर प्राप्त कर/वाणिज्य कर संग्रह का
विवरण

(घनराशि ₹ करोड़ में)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	वर्ष में प्राप्त कर	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
1	1999-2000	1359.31	34.82
2	2000-01	1747.08	28.53
उत्तराखण्ड के गठन के बाद			
3	2001-02	1600.39	-
4	2002-03	1817.46	13.56
5	2003-04	1988.47	9.41
6	2004-05	2177.00	9.48
7	2005-06	2586.47	18.81
8	2006-07	3636.59	40.60
9	2007-08	3796.46	4.40
10	2008-09	4197.42	10.56
11	2009-10	4665.02	11.14
12	2010-11	5404.85	15.86
13	2011-12	7048.79	30.42
14	2012-13	8106.50	15.01
15	2013-14	9508.51	17.29
16	2014-15	10252.31	7.82
17	2015-16	12007.17	17.12
18	2016-17	14019.15	16.76
19	2017-18	15938.50	13.69
20	2018-19	17157.37	7.65

नोट- वर्ष 1999-2000 तक मोटर स्प्रीट की बिक्री पर कर आबकारी विभाग, ज०प्र० में प्राप्त हुआ है। जबकि वर्ष 2000-01 से उक्त कर वाणिज्य कर विभाग, ज०प्र० को प्राप्त हो रहा है।



तलिका-7

Monthwise Revenue Details of Actwise GST/VAT and Other Subsumed Taxes under GST in the State of U.P.

F.Y: 2018-19

F.Y: 2018-19																	(in Crore)	
Month	SGST Head 0006				IGST Settlement by GOI order	Prov./Adv. Settlement from IGST Fund by GOI order	Compensation		VAT Head 0040				Luxury Tax Head 0023	Entertainment Tax Head 0045	Sub Head 0039-107 of Excise			
	As GSTN	As FSD	Refund	Due Month			Amount	Net col.	Non-GST	Subsumed VAT(Diff.)	Refund							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9-10)	12	13	14	15				
Apr-18	2119.31	2109.57	33.54	1886.75				733.24	676.06	57.18	38.24	0.12	1.04	0.00				
May-18	1505.89	1511.03	32.09	1624.64		March	308.00	5399.01	1738.59	3,660.42	61.88	0.07	0.87	0.01				
Jun-18	1624.02	1583.25	44.40	1856.15				1873.78	1806.72	67.06	63.94	0.10	2.37	0.03				
Jul-18	1637.23	1637.61	58.14	1865.88	2086.00			1799.66	1764.31	35.35	55.42	0.06	1.35	0.01				
Aug-18	1452.78	1452.05	76.17	1604.04				1788.27	1709.94	78.33	47.07	0.07	1.39	0.00				
Sep-18	1409.01	1096.53	52.11	1603.59	501.00			1565.01	1491.11	73.90	47.27	0.09	1.75	0.00				
Oct-18	1580.76	1541.07	44.81	1711.47				1585.76	1534.37	51.39	28.27	0.11	18.21	0.00				
Nov-18	1616.45	1582.42	31.72	1881.73	1251.44			1719.15	1693.59	25.56	37.29	0.11	-16.82	0.00				
Dec-18	1622.84	1556.16	63.53	1995.05	750.86			1674.39	1653.82	20.57	34.55	0.12	0.83	0.00				
Jan-19	1864.76	1832.79	30.94	1831.13				1646.60	1641.43	5.17	52.78	0.14	0.60	0.01				
Feb-19	1872.16	1615.04	58.66	1843.56				1522.34	1498.95	23.39	48.29	0.10	0.60	0.00				
Mar-19	1872.29	1809.67	78.07	1727.33	834.29			2446.35	2465.47	-19.12	105.40	0.11	3.41	0.00				
Total	19,977.50	19,327.19	604.18	21,231.12	5,423.59		308.00	23,753.56	19,674.36	4,079.20	620.39	1.20	15.60	0.06				



तालिका-8
वाणिज्य कर राजस्व का निर्धारित लक्ष्य एवं प्रतियों का माहवार विवरण
(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह	वर्ष 2016-2017					वर्ष 2017-2018					वर्ष 2018-2019				
	लक्ष्य	प्राप्त राजस्व	विरुद्ध प्राप्ति का प्रतिशत	2016-2017 की तुलना में कमी / वृद्धि प्रतिशत	माह अगस्त 17 से जून 2017 में स्थापित सभी करों का प्राप्त राजस्व	लक्ष्य	प्राप्त राजस्व	विरुद्ध प्राप्ति का प्रतिशत	2016-2017 की तुलना में कमी / वृद्धि प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्त राजस्व	विरुद्ध प्राप्ति का प्रतिशत	2017-2018 की तुलना में कमी / वृद्धि प्रतिशत		
अप्रैल	2,667.92	2,437.90	91.38	12.83	2437.90	2,943.33	2,903.56	98.65	19.10	4,175.75	4,530.72	108.50	56.04		
मई	4,504.23	4,197.64	93.19	17.73	4197.64	5,090.16	4,579.50	89.97	9.10	6,358.11	8,843.63	139.09	93.11		
माह तक	7,172.15	6,635.54	92.52	15.88	6635.54	8,033.49	7,483.06	93.15	12.77	10,533.86	13,374.36	126.97	78.73		
जून	4,979.83	4,324.34	86.84	9.81	4324.34	5,229.37	4,951.93	94.69	14.51	5,542.37	5,315.68	95.91	7.35		
माह तक	12,151.98	10,969.88	90.19	13.41	10969.88	13,262.86	12,434.99	93.76	13.46	16,076.23	18,690.03	116.26	50.30		
जुलाई	4,905.10	4,197.67	85.58	8.22	4197.67	5,081.28	5,126.49	100.89	22.13	6,814.17	7,390.37	108.46	44.16		
माह तक	17,067.08	15,167.55	88.86	11.92	15167.55	18,344.14	17,561.48	95.73	15.86	22,890.40	26,080.40	113.94	48.51		
अगस्त	4,324.81	3,744.80	86.59	9.51	3812.78	4,834.44	4,757.92	98.42	24.79	5,133.26	4,845.82	94.40	1.85		
माह तक	21,381.89	18,902.35	88.40	11.44	18970.33	23,178.58	22,319.40	96.29	17.65	28,023.66	30,926.22	110.36	38.56		
सितम्बर	4,211.12	3,849.98	91.42	13.87	3919.49	4,972.22	4,237.07	85.21	8.10	5,609.39	4,767.97	85.00	12.53		
माह तक	25,593.01	22,752.33	88.90	11.84	22889.82	28,150.80	26,556.47	94.34	16.02	33,633.06	35,694.19	106.13	34.41		
अक्टूबर	4,813.57	4,013.82	83.39	3.73	4071.88	5,203.21	4,485.84	86.21	10.17	6,950.93	4,856.62	69.87	8.27		
माह तक	30,406.58	26,766.15	88.03	10.55	28961.69	33,354.01	31,042.31	93.07	15.13	40,583.96	40,550.81	99.92	30.63		
नवम्बर	4,894.68	4,507.60	92.09	16.32	4564.95	5,815.16	6,005.09	103.27	31.55	5,950.80	6,418.03	107.85	6.88		
माह तक	35,301.26	31,273.75	88.59	11.34	31526.65	39,169.17	37,047.40	94.58	17.51	46,534.78	46,968.84	100.93	26.78		
दिसम्बर	4,979.46	4,252.92	85.41	6.36	4310.41	5,481.59	4,705.08	85.83	9.16	6,994.31	5,977.41	85.46	27.04		
माह तक	40,280.72	35,526.67	88.20	10.72	35837.06	44,650.76	41,752.48	93.51	16.51	53,529.09	52,946.25	98.91	26.81		
जनवरी	5,072.84	4,427.00	87.27	5.77	4482.95	5,729.57	4,751.68	82.93	5.99	6,061.58	5,311.27	87.62	11.78		
माह तक	45,353.56	39,953.67	88.09	10.15	40320.01	50,380.33	46,504.16	92.31	15.34	59,590.67	58,257.52	97.76	25.27		
फरवरी	4,704.98	4,152.88	88.27	9.27	4214.18	5,375.53	5,797.79	107.86	37.58	6,996.66	4,981.64	71.20	-14.08		
माह तक	50,068.54	44,106.55	88.11	10.07	44534.19	55,755.86	52,301.95	93.81	17.44	66,587.33	63,239.16	94.97	20.91		
मार्च	7,881.46	7,223.36	91.65	15.16	7298.27	9,244.13	6,353.43	68.73	-12.95	9,912.67	6,821.16	68.81	7.36		
माह तक	57,940.00	51,329.91	88.59	10.76	51832.46	65,000.00	58,667.28	90.26	13.19	76,500.00	70,060.32	91.58	19.42		
सीएमएचटी, सीएमएल		490.00			490.00		70.84								
योग उपरोक्त	57,940.00	51,819.91	89.44	8.66	52322.46	65,000.00	58,738.12	90.37	12.26	76,500.00	70,060.32	91.58	19.28		



तालिका-9

वाणिज्य कर राजस्व का लक्ष्य, बजट अनुमान व पुनरीक्षित बजट अनुमान तथा लक्ष्य से प्राप्ति का प्रतिशत

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क्र० सं०	वर्ष	शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट अनुमान	पुनरीक्षित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	1990 - 91	1,450.00	1,289.40	1,371.83	1,369.66	94.46
2	1991 - 92	1,800.00	1,582.00	1,582.19	1,577.51	87.64
3	1992 - 93	1,800.00	1,740.00	1,720.00	1,648.79	91.60
4	1993 - 94	1,875.00	2,035.00	1,820.00	1,837.05	97.98
5	1994 - 95	2,125.00	2,000.00	1,929.00	2,060.05	96.94
6	1995 - 96	2,310.00	2,131.00	2,240.18	2,330.71	100.90
7	1996 - 97	2,647.00	2,464.20	2,579.20	2,757.20	104.16
8	1997 - 98	2,988.70	2,988.70	2,988.70	3,073.57	102.84
9	1998 - 99	4,000.00	4,000.00	3,450.00	3,377.89	84.45
10	1999-2000	4,420.00	4,420.00	3,830.00	3,784.74	85.63
11	2000 - 01	6,300.00	6,300.00	5,667.83	6,132.06	97.39
12	2001 - 02	7,161.70	7,161.70	6,189.24	6,186.94	86.39
13	2002 - 03	7,708.33	7,708.33	6,850.00	7,100.93	92.12
14	2003 - 04	8,117.25	8,117.25	7,600.00	7,651.35	94.26
15	2004 - 05	8,978.76	8,978.76	8,978.76	9,226.37	102.76
16	2005 - 06	11,650.00	11,650.00	11,686.00	11,805.32	101.33
17	2006 - 07	14,400.00	14,828.00	14,828.00	14,053.85	97.60
18	2007 - 08	17,314.00	17,314.00	17,167.25	15,021.83	86.76
19	2008 - 09	20,555.00	19,555.00	17,175.41	17,403.68	84.67
20	2009 - 10	21,616.25	20,591.00	21,860.34	20,667.67	95.61
21	2010 - 11	26,824.67	26,824.67	24,311.95	24,798.69	92.45
22	2011 - 12	31,885.34	31,885.34	31,462.62	32,996.82	103.49
23	2012 - 13	38,492.18	38,375.34	36,500.00	34,869.66	90.59
24	2013 - 14	43,800.00	43,800.00	41,897.32	39,624.06	90.47
25	2014 - 15	47,500.00	47,497.91	44,826.23	42,931.63	90.38
26	2015 - 16	53,500.00	52,670.68	49,452.62	47,690.96	89.14
27	2016 - 17	57,940.00	57,937.75	51,508.93	51,819.91	89.44
28	2017-18	65,000.00	62,069.10	57,205.83	58,738.12	90.37
29	2018-19	76,500.00	71,500.00	76,500.00	70,060.32	91.58
30	2019-20	77,640.10	77,640.10			



तालिका-10

विभिन्न वर्षों में वसूली प्रमाण पत्रों (RC) से आच्छादित वाणिज्य कर बकाया व वसूली का विवरण

(धनराशि करोड़ ₹ में)

क्र०सं०	मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एक अप्रैल को बकाया	9583.50	10024.21	10532.16	11731.43	12687.03	12815.72
2	वर्तमान वित्तीय वर्ष में सृजित की गई माँग	4135.56	4424.71	5535.98	5988.96	6945.75	13473.90
3	कुल माँग [1+2]	13719.06	14448.92	16068.14	17720.39	19632.78	26289.62
4	मद-3 के विरुद्ध अपील आदि से कम हुई या बढ़ते खाते में डाली गई कुल धनराशि	1627.89	1591.03	1831.42	2027.27	4532.84	5838.49
5	मद-3 के विरुद्ध वसूल की गई कुल धनराशि	2066.96	2325.73	2505.29	3006.09	2284.22	2523.79
6	31 मार्च की अवशेष बकाया [3-(4+5)]	10024.21	10532.16	11731.43	12687.03	12815.72	17927.34
7	कोर्ट द्वारा स्थगित/निलम्बित धनराशि	3756.34	3850.05	3565.38	3526.83	2677.89	1350.12
8	शासन या अन्य प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा स्थगित/निलम्बित धनराशि/ अपरिपक्व माँग	832.28	591.91	556.88	786.51	1749.60	2308.98
9	सरकारी विभागों पर बकाया	457.08	450.72	486.52	494.51	169.56	225.77
10	निगम/ अर्द्धसरकारी विभागों तथा सरकारी नियंत्रकों के अधीन फर्मों पर बकाया जिनकी वसूली में कठिनाई है	199.26	110.07	101.06	105.43	90.81	2343.73
11	न वसूल होने वाली धनराशि जिसे बढ़ते खाते में डालना होगा	1627.94	1613.14	1514.74	1671.13	1795.94	6047.31
12	शेष वसूली योग्य बकाया धनराशि [6-(7+8+9+10+11)]	3151.31	3916.27	5506.85	6102.62	6331.92	5651.43
13	ट्रान्सपोर्ट से द्वारा देय धनराशि	40.37	45.02	41.36	53.16	35.94	18.69
14	लिक्विडेशन में गई फर्मों/को को देय धनराशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	अन्य प्रदेशों को प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों में निहित धनराशि	1152.99	1276.72	1195.28	1888.03	1895.71	2188.59
16	वसूली योग्य शुद्ध बकाया [12-(13+14+15)]	1957.95	2594.53	4270.21	4161.43	4430.27	3444.15



तालिका-11

सचल दल इकाईयों के कार्य प्रगति का विवरण (2018-19)

क्र० सं०	जोन का नाम	कार्यरत सचल इकाईयों की संख्या	दोषी पाये गये वाहनों की संख्या	वाहनों से अभिग्रहीत माल का मूल्य (₹ लाख में)	वाहनों से प्राप्त की गयी अर्धदण्ड की धनराशि (₹ लाख में)		गत वर्ष की अपेक्षा कमी/वृद्धि का प्रतिशत
					2018-19	2017-18	
1	2	3	4	5	6	6	8
1	गजियाबाद-प्रथम	6	2647	5117.46	2127.59	1920.53	10.78
2	गजियाबाद-द्वितीय	6	2500	5296.02	2146.54	1731.15	24.00
3	गौतमबुद्धनगर	6	2829	8513.80	3201.72	2782.16	15.08
4	लखनऊ-प्रथम	5	738	1967.92	1164.63	1394.23	-16.47
5	लखनऊ-द्वितीय	4	684	1681.18	785.28	1143.15	-31.31
6	कानपुर-प्रथम	7	907	3088.09	1084.42	921.52	17.68
7	कानपुर-द्वितीय	7	1064	3098.33	1398.41	1248.13	12.04
8	वाराणसी-प्रथम	6	711	1547.09	544.20	839.40	-35.17
9	वाराणसी-द्वितीय	11	903	1530.19	611.20	1000.50	-38.91
10	आगरा	10	2231	5350.41	2291.90	1743.08	31.49
11	प्रयागराज	5	560	1051.03	414.55	486.90	-14.86
12	इटवा	6	1171	1377.91	846.81	869.47	-2.61
13	सहारनपुर	9	1549	2560.31	1241.39	1772.63	-29.97
14	बरेली	6	975	2103.85	956.83	719.39	33.01
15	मेरठ	6	985	1389.54	728.06	715.23	1.79
16	मुरादाबाद	12	1511	3281.09	1467.44	1311.36	11.90
17	अयोध्या	5	677	1272.24	562.89	460.29	22.29
18	गोरखपुर	7	987	1897.33	691.29	642.30	7.63
19	झाँसी	14	2459	2086.78	985.13	1167.38	-15.61
20	अलीगढ़	10	1778	5452.50	2409.85	2384.44	1.07
	योग (ऊपर)	148	27866	59663.07	25660.13	25253.24	1.61



तालिका-12
विशेष अनुसंधान शाखा के कार्य प्रगति का विवरण

क्र०सं०	जोन का नाम	वि०अ०शा० इकाईयों की संख्या	प्रतिकूल सर्वेक्षण		अभियग्रहण		अनुमानित अपवंचित विक्रय धन (रु लाख में)			कुल जमा धनराशि (रु लाख में)	
			2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	गजियाबाद प्रथम	2	123	188	35	74	287.57	6584.48	298.11	705.59	
2	गजियाबाद द्वितीय	2	91	137	40	86	1549.31	4369.41	223.95	487.94	
3	गौतमबुद्ध नगर	2	156	197	140	165	4972.92	12673.99	113.95	2565.41	
4	लखनऊ प्रथम	2	61	61	54	38	1094.35	6004.27	40.53	99.28	
5	लखनऊ द्वितीय	2	86	123	36	64	377.70	2988.77	0.00	51.18	
6	कानूपुर प्रथम	2	66	86	65	78	4099.73	3965.28	139.81	366.34	
7	कानूपुर द्वितीय	2	67	126	44	49	1123.89	2189.42	181.00	623.37	
8	वाराणसी प्रथम	2	112	227	76	163	1238.27	5639.18	25.42	6248.25	
9	वाराणसी द्वितीय	3	127	234	57	158	2633.53	4422.27	149.25	820.02	
10	आगरा	2	118	207	46	124	2321.00	5668.82	84.97	516.14	
11	प्रयागराज	2	52	80	39	68	339.78	1361.86	139.55	234.03	
12	इटवा	2	78	102	26	49	98.46	1600.86	64.93	252.13	
13	सहारनपुर	3	86	136	44	60	2482.63	7417.41	79.79	293.52	
14	बरेली	2	125	83	121	66	631.19	1187.66	0.64	19.21	
15	मेरठ	2	140	87	59	20	1221.40	5250.11	17.94	140.45	
16	मुरादाबाद	3	163	126	96	79	2292.63	3095.60	133.40	946.34	
17	अयोध्या	3	139	150	50	61	1082.65	1048.75	138.17	636.56	
18	गोरखपुर	2	95	143	51	75	1185.15	5657.12	135.49	23.75	
19	झाँसी	2	91	84	57	54	287.30	534.31	0.00	31.29	
20	अलीगढ़	3	200	147	79	58	9881.60	13236.14	2.78	325.08	
	योग	45	2176	2724	1215	1589	39182.06	94865.71	1969.68	15385.88	



तालिका-13

उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर से सम्बन्धित वैट/प्रवेश कर के समस्त कर निर्धारण वादों की प्रगति
(वादों की संख्या लाख में)

वर्ष	1 अप्रैल, 2018 को अनिस्तारित कर निर्धारण वादों की संख्या	वर्ष में प्राप्त वादों की संख्या	निस्तारण हेतु कुल वादों की संख्या (2+3)	वर्ष में निस्तारित वादों की संख्या	वर्ष के अन्त में अनिस्तारित कर निर्धारण वादों की संख्या	कर निर्धारण में लगे अधिकारी		
						वाणि.क.अधि.	असि.कमि.	डिप्टी.कमि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000-01	4.58	4.62	9.20	4.91	4.29	272	289	174
2001-02	4.29	5.24	9.53	4.86	4.67	257	260	170
2002-03	4.67	5.30	9.97	5.22	4.75	257	260	170
2003-04	4.75	4.84	9.59	4.76	4.83	260	268	191
2004-05	4.83	5.86	10.69	5.39	5.30	244	263	195
2005-06	5.30	5.33	10.63	5.22	5.41	249	250	196
2006-07	5.41	5.93	11.34	5.57	5.77	255	254	196
2007-08	5.76	6.02	11.78	2.50	9.02	238	241	174
2008-09	9.39	5.37	14.75	9.53	5.22	305	325	332
2009-10	5.22	1.83	7.05	6.93	0.12	315	376	315
2010-11	0.12	5.45	5.57	5.51	0.06	297	355	328
2011-12	0.06	5.94	6.00	4.16	1.84	294	391	345
2012-13	1.84	4.59	6.43	4.96	1.47	247	369	332
2013-14	1.47	3.91	5.38	5.31	0.07	391	406	312
2014-15	0.07	3.14	3.21	2.55	0.66	371	417	325
2015-16	0.66	2.22	2.88	2.79	0.09	374	417	335
2016-17	0.09	4.43	4.52	4.41	0.11	422	426	320
2017-18	0.11	4.55	4.66	4.59	0.07	431	429	342
2018-19	0.07	3.84	3.91	3.85	0.06	431	429	342

नोट : शासन द्वारा नियमित वादों के निस्तारण की कालबाधन तिथि निम्न वर्षों में बढ़ाई गई-

वर्ष	निर्धारित कालबाधन तिथि	प्रभावी कालबाधन तिथि
2008-09	31-03-12	30-06-12
2009-10	31-03-13	15-05-13
2011-12	31-03-15	30-04-15



तलिका 14

वर्ष 2018-19 में ज्वाइंट कमिशनर (कारपोरेट) वाणिज्य कर के स्तर से निस्तारित वैट/प्रवेश कर के कर निर्धारण वादों की प्रगति

क्र. सं.	ज्वाइंट कमिशनर (कारपोरेट) के सम्भाग	धारा 29/31 वाद		रिमाण्ड वाद		नियमित वाद		योग		कर निर्धारण में लगे ज्वाइंट कमिशनर (कारपोरेट)
		निस्तारण	अवशेष	निस्तारण	अवशेष	निस्तारण	अवशेष	निस्तारण	अवशेष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाजियाबाद-प्रथम	9	2	7	14	46	0	62	16	1
2	गाजियाबाद-द्वितीय	14	0	14	0	111	0	139	0	1
3	नोएडा	16	0	26	12	85	0	127	12	1
4	गौतमबुद्धनगर	8	1	14	1	27	0	49	2	1
5	लखनऊ-प्रथम	10	0	44	8	107	0	161	8	1
6	लखनऊ-द्वितीय	9	0	27	9	50	0	86	9	1
7	कानपुर-प्रथम	15	0	26	12	84	0	125	12	1
8	कानपुर-द्वितीय	12	0	14	4	114	0	140	4	1
9	वाराणसी-प्रथम	0	0	19	9	56	0	75	9	1
10	वाराणसी-द्वितीय (मु0 सोनमद्र)	9	0	14	2	94	0	117	2	1
11	आगरा	6	1	9	15	47	0	62	16	1
12	प्रयागराज	2	0	4	0	40	0	46	0	1
13	इटवा	5	0	27	11	121	0	153	11	1
14	सहारनपुर (मु0 मुजफ्फरनगर)	21	11	46	17	83	0	150	28	1
15	बरेली	23	0	21	11	100	0	144	11	1
16	मेरठ	21	2	12	10	44	0	77	12	1
17	मुरादाबाद	26	3	0	5	66	0	92	8	1
18	अयोध्या	29	0	17	28	86	0	132	28	1
19	गोरखपुर	16	0	21	2	56	0	93	2	1
20	झांसी	71	8	12	42	89	0	172	50	1
21	अलीगढ़	4	0	56	9	87	0	147	9	1
22	मुख्यालय (ऑयल सेक्टर)	4	0	3	1	18	0	25	1	1
	योग	330	28	433	222	1611	0	2374	250	22



तालिका-15

डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर स्तर से निस्तारित वैट/प्रवेश कर के कर निर्धारण वादों की प्रगति का विवरण

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में अवशेष वादों की संख्या	वर्ष में प्राप्त वादों की संख्या	निस्तारण हेतु कुल वादों की संख्या	वर्ष में निस्तारित वादों की संख्या	वर्ष के अन्त में अनिस्तारित वादों की संख्या	निस्तारण में लगे डिप्टी कमिश्नर की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
2000-01	39758	46451	86209	49714	36495	174
2001-02	36495	45621	82116	43765	38351	170
2002-03	38351	61423	99774	52435	47339	170
2003-04	47339	41161	88500	47883	40617	191
2004-05	40617	60802	101419	54477	46942	195
2005-06	46942	47092	94034	48604	45430	196
2006-07	45430	53931	99361	52018	47343	196
2007-08	47343	46318	93661	27850	65811	174
2008-09	65811	96059	161870	109384	52486	325
2009-10	52486	30970	83456	79793	3663	315
2010-11	3663	73211	76874	74681	2193	328
2011-12	2193	101254	103447	77454	26993	345
2012-13	26993	55676	82669	65820	16849	332
2013-14	16849	68455	85304	83107	2197	312
2014-15	2197	70187	72384	64076	8308	325
2015-16	8308	84321	92629	89688	2941	334
2016-17	2941	102152	105093	102009	3084	320
2017-18	3084	95453	98537	96103	2434	342
2018-19	2434	98539	100973	98397	2576	374

नोट : शासन द्वारा नियमित वादों के निस्तारण की कालवाधान तिथि निम्न वर्षों में बढ़ाई गई-

वर्ष	निर्धारित कालवाधान तिथि	प्रभावी कालवाधान तिथि
2008-09	31-03-12	30-06-12
2009-10	31-03-13	15-05-13
2011-12	31-03-15	30-04-15



तालिका-16
वैट के अन्तर्गत दाखिल अपीलों के निस्तारण व अवशेष का विवरण

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में अपीलों की संख्या	वर्ष में दाखिल की गयी अपीलों की संख्या	निस्तारण हेतु कुल अपीलों की संख्या (2+3)	वर्ष में निस्तारित अपीलों की संख्या	वर्ष के अन्त में अवशेष अपीलों की संख्या (4-5)	कार्यरत न्यायिक सम्भागों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	84046	44282	128328	49206	79122	49
1991-92	79122	45957	125079	57103	67976	46
1992-93	67976	45219	113195	48765	64430	47
1993-94	64430	45017	109447	46775	62672	47
1994-95	62672	30150	92822	36520	56302	43
1995-96	56302	36715	93017	36138	56879	39
1996-97	56879	42166	99045	32913	66132	36
1997-98	66132	48794	114926	54932	59994	57
1998-99	59994	61931	121925	61339	60586	58
1999-00	60586	55194	115780	64168	51612	54
2000-01	51612	46876	98488	56626	41862	50
2001-02	39583	44626	84209	56839	27370	58
2002-03	27370	52681	80051	54881	25170	58
2003-04	25170	50110	75280	50065	25215	55
2004-05	25176	45663	70839	45573	25266	58
2005-06	26266	44902	71168	43698	27470	58
2006-07	27470	51727	79197	43554	35643	58
2007-08	35643	53377	89020	42308	46712	56
2008-09	46712	42719	89431	37018	52413	56
2009-10	52413	52607	105020	38650	66370	56
2010-11	66370	77591	143961	58416	85545	56
2011-12	85545	52823	138368	52884	85484	56
2012-13	85484	49109	134593	43245	91348	56
2013-14	91348	45690	137038	59538	77500	56
2014-15	77500	41854	119354	66441	52913	56
2015-16	52913	49308	102221	59221	43000	56
2016-17	43000	43623	86623	49960	36663	56
2017-18	36663	41653	78316	46670	31646	56
2018-19	31646	38900	70546	45492	25054	56



तालिका-17

निस्तारित प्रथम अपीलों का परिणामवार संख्या एवं कुल निस्तारित अपीलों में प्रतिशत अंश का विवरण

वर्ष	निस्तारित अपीलों की संख्या	छाड़िज की गई अपीलों की संख्या	संशोधित अपीलों की संख्या	स्वीकृत की गई अपीलों की संख्या	प्रतिप्रेषित अपीलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1996-97	32913	12832	5792	8598	5691
		38.99	17.60	26.12	17.29
1997-98	54932	24186	9758	13331	7657
		44.03	17.76	24.27	13.94
1998-99	61339	27964	11180	15197	6998
		45.59	18.23	24.78	11.41
1999-00	64168	30108	11040	15252	7768
		46.92	17.20	23.77	12.11
2000-01	56626	25314	9556	14976	6780
		44.70	16.88	26.45	11.97
2001-02	56839	26205	9573	14498	6563
		46.10	16.84	25.51	11.55
2002-03	54881	23799	9837	14698	6547
		43.36	17.92	26.78	11.93
2003-04	50065	21631	9110	14016	5308
		43.21	18.20	28.00	10.60
2004-05	45779	19538	8532	13328	5175
		42.68	18.64	29.11	11.30
2005-06	43698	17912	7613	12889	5284
		40.99	17.42	29.50	12.09
2006-07	43554	17422	7509	12890	5733
		40.00	17.24	29.60	13.16
2007-08	42308	15870	6526	12687	7225
		37.51	15.42	29.99	17.08
2008-09	37018	13941	5400	10684	6976
		37.66	14.59	28.56	18.89
2009-10	38650	14533	4979	10372	8857
		37.64	12.87	26.82	22.70
2010-11	58416	21747	6875	15525	14269
		37.20	11.80	26.60	24.40
2011-12	52884	19832	7245	14808	11000
		37.50	13.70	28.00	20.80
2012-13	43245	13703	6003	11823	11716
		31.69	13.88	27.34	27.09
2013-14	59538	25764	8306	12625	12539
		43.27	13.95	21.20	21.08
2014-15	66441	29101	10815	12406	14122
		43.80	16.28	18.67	21.25
2015-16	59221	23164	9175	11188	15694
		39.11	15.49	18.89	26.50
2016-17	49960	18308	7041	8643	15561
		36.65	14.09	17.30	31.15
2017-18	46670	14815	5805	6746	18608
		31.74	12.44	14.45	39.87
2018-19	45492	13947	6511	6310	19170
		30.66	14.31	13.87	42.14



तालिका-18

वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा वैट की द्वितीय अपीलों की प्रगति का विवरण

क्र० सं०	वर्ष	वर्ष में दायर द्वितीय अपीलें				वर्ष में निस्तारित द्वितीय अपीलें			वर्ष के अन्त में अवशेष द्वितीय अपीलें	कार्यस्त अधिकारियों की संख्या
		वर्ष के प्रारम्भ में अवशेष द्वितीय अपीलें	पार्टी द्वारा	सरकार द्वारा	योग	पार्टी के पक्ष में	सरकार के पक्ष में	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2000-01	53593	9901	6691	16592	7913	3253	11166	59019	26
2	2001-02	59019	8983	5889	14872	8781	3514	12295	62400	28
3	2002-03	62400	15290	9412	24702	13199	7940	21139	65963	27
4	2003-04	65963	13824	24975	38799	13594	27212	40806	63956	30
5	2004-05	63956	10653	8648	19301	15231	8755	23986	59271	30
6	2005-06	59271	9640	8524	18164	13860	10047	23907	53528	30
7	2006-07	53528	11231	8788	20019	13812	10367	24179	49368	31
8	2007-08	49368	8893	7612	16505	13024	10091	23115	42758	31
9	2008-09	42758	8732	6552	15284	13085	9243	22328	35714	31
10	2009-10	35714	7894	6905	14799	10020	8449	18469	32044	24
11	2010-11	32044	6515	6313	12828	7853	7567	15420	29452	31
12	2011-12	29452	8286	7372	15658	8284	4068	12352	32758	31
13	2012-13	32758	8271	9774	18045	9345	9162	18507	32296	31
14	2013-14	32296	5493	5034	10527	5189	6454	11643	31145	31
15	2014-15	31145	3861	5425	9286	7852	6322	14174	26257	29
16	2015-16	26257	10180	6894	17074	7868	9031	16899	26432	22
17	2016-17	26432	4423	2901	7324	6241	4890	11131	22625	28
18	2017-18	22625	3948	2559	6507	8336	6919	15255	13877	30
19	2018-19	13877	7755	5321	13076	11225	4515	15740	16258	30



Table-19
Statewise No. Of Taxpayers As on end of 31/03/2019

State Code	State Name	Normal Taxpayers	Composition Dealers	Input Service Distributor	Casual Taxpayers	Tax Collector at Source	Tax Deductor at Source	Non Resident Taxpayers	DIDAR	Total	Migrated Out of Total	UIN Holders
1	Jammu and Kashmir	88,876	9,458	27	2	65	1,261	0	0	99,689	46,291	7
2	Himachal Pradesh	86,665	21,206	45	1	82	899	0	0	1,08,698	52,109	20
3	Punjab	3,02,670	46,009	97	98	152	1,672	1	0	3,50,699	1,81,929	14
4	Chandigarh	27,444	2,080	85	92	77	634	0	0	30,412	16,852	3
5	Uttarakhand	1,28,270	31,906	69	8	120	2,863	1	0	1,63,237	75,090	10
6	Haryana	4,21,426	24,334	771	39	310	1,612	0	0	4,48,492	2,12,755	23
7	Delhi	7,30,186	18,517	1,289	162	577	2,149	3	0	7,52,883	3,81,332	300
8	Rajasthan	5,51,358	1,60,821	161	51	209	16,043	0	0	7,28,643	4,08,937	73
9	Uttar Pradesh	11,08,375	3,49,557	735	47	437	8,616	1	0	14,67,768	6,62,445	206
10	Bihar	3,04,249	92,736	187	4	125	5,111	0	0	4,02,412	1,61,092	112
11	Sikkim	6,792	835	8	1	41	265	0	0	7,942	2,666	4
12	Arunachal Pradesh	10,736	2,468	5	1	35	935	0	0	14,180	3,144	5
13	Nagaland	6,354	2,201	1	0	42	208	0	0	8,806	2,981	4
14	Manipur	10,929	1,756	7	0	48	434	1	0	13,175	2,970	1
15	Mizoram	5,225	98	1	0	37	196	0	0	5,557	1,828	2
16	Tripura	23,426	2,825	22	1	48	871	0	0	27,193	11,481	4
17	Meghalaya	23,699	2,589	11	3	44	358	0	0	26,704	9,861	5
18	Assam	1,57,200	45,759	74	41	91	2,357	0	0	2,05,522	85,797	31
19	West Bengal	5,82,457	79,545	607	56	282	9,833	2	0	6,72,782	2,57,434	172
20	Jharkhand	1,46,059	21,561	88	4	107	2,696	0	0	1,70,515	72,719	39
21	Odisha	2,18,096	31,214	83	16	107	2,394	0	0	2,51,910	1,19,638	41
22	Chhattisgarh	1,02,264	35,291	32	15	92	2,439	2	0	1,40,135	74,148	19
23	Madhya Pradesh	3,46,685	64,973	174	47	191	3,239	0	0	4,15,309	2,39,677	66
24	Gujarat	8,64,078	1,12,052	337	74	284	10,225	2	0	9,87,052	4,74,208	65
25	Daman and Diu	6,006	331	3	1	41	143	0	0	6,525	3,679	1
26	Dadra and Nagar Haveli	8,171	407	5	1	38	68	0	0	8,690	4,154	0
27	Maharashtra	13,83,916	1,54,707	1,998	151	636	33,526	9	0	15,74,943	7,77,840	235
29	Karnataka	7,06,337	1,10,865	538	116	410	13,382	3	0	8,31,651	4,77,483	74
30	Goa	33,236	4,899	80	17	68	527	0	0	38,827	21,150	9
31	Lakshadweep	210	29	0	0	30	17	0	0	286	11	0
32	Kerala	2,91,158	48,534	96	35	226	5,390	0	0	3,45,439	2,19,170	29
33	Tamil Nadu	8,67,636	90,109	704	117	360	7,222	2	0	9,66,150	5,11,911	112
34	Puducherry Andaman and Nicobar	20,836	2,546	11	3	63	281	0	0	23,740	13,043	3
35	Island	3,750	867	5	0	31	225	0	0	4,878	936	0
36	Telangana	3,19,329	57,784	387	128	264	8,933	5	0	3,66,830	1,74,415	43
37	Andhra Pradesh	2,79,027	1,12,223	106	49	137	1,898	0	0	3,93,440	1,91,175	290
97	Other Territory	66	0	0	0	0	1	0	0	67	0	0
99	Center Jurisdiction	0	0	0	0	0	0	0	294	294	0	0
	Grand Total	1,01,73,197	17,43,092	8,849	1,381	5,907	1,48,923	32	294	1,20,81,675	59,52,351	2,022

Source- GSTN



मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रकरणों की स्थिति (एक दृष्टि में)

ते (एक दृष्टि में)

(दिनांक: 31-07-2019 तक अद्यतन)

[illegible]

योग :-

योजना से आच्छादित न होने वाली अवधि का विवरण :-

1. रामनारायण संख्या-2775/2009-05-अ।3।2000 दिनांक 26.03.2007 को अनुसार दिनांक 01.09.2002 से 30.09.2002 तक तथा दिनांक 01.10.2003 से 31.03.2004 तक।

- [illegible]



मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित निस्तारित/अनिस्तारित पकरणों की स्थिति (एक दृष्टि में)

[illegible]

नाटि:-

दिनांक 27.10.2017 में मुख्यमंत्री खासगी मूदुलता नीमा योजना के अन्तर्गत शीमता वताशी ११० ०००० ताका दूरी गयी । १. विस्फोट अमुनार दिनांक 27.10.2017 में १4.08.2018 परक के मुल 33 उपकरणों में शीमा उपननी द्वारा मुतापित शीमा वताशी ११० 500 ताका के उपकरण पतिशिता वताशी ११० 500 लाठ इति खासगी की दर में मुल ११० 7१९ कसेड का मुतापित बिनाम द्वारा सम्पत्ति दपोषण के किया गया है ।

दिनांक 03.03.2017 को 15.08.2017 तक किसी भी समय कम्पनी में अनुपस्थित हो जाने से कारण उपर्युक्त अवधि अधिक थी। विवरण अन्तर्गत कुल प्राप्ति 39 प्रकल्पों में विभाग द्वारा 990,500 लाख प्रति जापानी की दर से कुल 1.95 करोड़ का मुद्राण विभाग द्वारा सम्पन्नित कारोबार को किया गया है।

हिसार (15/06/2018) में सर्वप्रथम एक हिन्दी रीमा कंपनी में अनुवृत्त न हो जाने की कारण उपाय अवधि शक्ति अवधि है। जिसके अर्न्तगत कुल शाण 80 प्रकरणों में से कुल 42 प्रकरणों में 99।1000 लाख इपी यातापी की दर में कुल 4.20 करोड़ का पुनर्निवेश निधान द्वारा सम्बन्धित राशियों को किया गया है।



तालिका-22
जोन एवं सम्भाग के अधिक्षेत्र का विवरण

क्र. सं०	जोन का नाम	सम्भाग का नाम	अधीनस्थ खण्डों की संख्या	सम्भाग के क्षेत्रधिकार के अन्तर्गत सम्मिलित मण्डल/ मण्डल के विभिन्न खण्ड
1	2	3	4	5
1	गाजियाबाद प्रथम	1. गाजियाबाद-ए	8	गाजियाबाद मण्डल के खण्ड-1 से 7 तक एवं मोदीनगर मण्डल के एकल खण्ड।
		2. गाजियाबाद-बी	9	गाजियाबाद मण्डल के खण्ड-8 से 12 तक एवं हापुड मण्डल के सभी 4 खण्ड।
2	गाजियाबाद द्वितीय	3. गाजियाबाद-सी	7	गाजियाबाद मण्डल के खण्ड-13 से 19 तक।
		4. बुलन्दशहर	9	बुलन्दशहर मण्डल के सभी 4 खण्ड, खुर्जा मण्डल के सभी 2 खण्ड, डिबाई मण्डल के एकल खण्ड, सिकन्दराबाद मण्डल के एकल खण्ड व गुलावटी मण्डल के एकल खण्ड
3	लखनऊ प्रथम	5. लखनऊ-ए	10	लखनऊ मण्डल के खण्ड-1 से 6 तक एवं हरदोई मण्डल के सभी 4 खण्ड।
		6. लखनऊ-बी	10	लखनऊ मण्डल के खण्ड-7 से 13 तक एवं रायबरेली मण्डल के सभी 2 खण्ड।
4	लखनऊ द्वितीय	7. लखनऊ-सी	9	लखनऊ मण्डल के खण्ड-14 से 22 तक।
		8. सीतापुर	9	सीतापुर मण्डल के सभी 4 खण्ड, लखीमपुर मण्डल के सभी 4 खण्ड, एवं पलियाकला मण्डल का एकल खण्ड।
5	कानपुर प्रथम	9. कानपुर-ए	8	कानपुर नगर मण्डल के खण्ड-1 से 6 तक एवं उन्नाव मण्डल के सभी 2 खण्ड।
		10. कानपुर-बी	8	कानपुर नगर मण्डल के खण्ड-7 से 13 तक एवं कानपुर देहात मण्डल के एकल खण्ड।
6	कानपुर द्वितीय	11. कानपुर-सी	9	कानपुर नगर मण्डल के खण्ड-14 से 22 तक।
		12. कानपुर-डी	8	कानपुर नगर मण्डल के खण्ड-23 से 30 तक।
7	आगरा	13. आगरा-ए	10	आगरा नगर मण्डल के खण्ड-1 से 10 तक।
		14. आगरा-बी	10	आगरा नगर मण्डल के खण्ड-11 से 20 तक।
8	इटवा	15. इटावा	11	इटवा मण्डल के सभी 3 खण्ड, मथुरा मण्डल के एकल खण्ड, फर्रुखाबाद (फतेहगढ़) मण्डल के सभी 3 खण्ड, औरैया मण्डल के सभी 2 खण्ड व कन्नौज मण्डल के सभी 2 खण्ड।
		16. मैनपुरी	10	मैनपुरी मण्डल के सभी 3 खण्ड, फिरोजाबाद मण्डल के खण्ड-1 फिरोजाबाद से खण्ड-5 फिरोजाबाद तक व खण्ड-1 व 2 शिकोहाबाद
9	गौतमबुद्ध नगर	17. गौतमबुद्ध नगर-ए मु० नोएडा	8	नोएडा मण्डल के खण्ड-1 से 8 तक
		18. गौतमबुद्ध नगर-बी मु० ग्रेटर नोएडा	9	नोएडा मण्डल के खण्ड-9 से 14 तक व गौतमबुद्ध नगर मण्डल के सभी 3 खण्ड।
10	प्रयागराज	प्रयागराज-ए	10	प्रयागराज मण्डल के खण्ड 1 से 8 तक प्रतापगढ़ मण्डल के सभी 2 खण्ड।
		प्रयागराज-बी	10	प्रयागराज मण्डल के खण्ड 9 से 14 तक फतेहपुर एकल के सभी 3 खण्ड व कौराम्बी मण्डल के एकल खण्ड।



11	अलीगढ़	21. अलीगढ़-ए	9	अलीगढ़ मण्डल के खण्ड 1 से 6 तक व एटा मण्डल के सभी 3 खण्ड।
		22. अलीगढ़-बी	8	अलीगढ़ मण्डल के खण्ड 7 से 12 तक व काशीराम नगर मण्डल के सभी 2 खण्ड।
		23. मथुरा	10	मथुरा मण्डल के सभी 6 खण्ड, कोसीकला मण्डल के एकल खण्ड महामाया नगर (हाथरस) मण्डल के सभी 3 खण्ड।
12	बरेली	24. बरेली-ए	10	बरेली मण्डल के सभी खण्ड-1 से 7 तक एवं बदायूँ मण्डल के सभी 3 खण्ड।
		25. बरेली-बी	10	बरेली मण्डल के सभी खण्ड-8 से 10 तक शाहजहाँपुर मण्डल के सभी 4 खण्ड व पीलीभीत मण्डल के सभी 3 खण्ड।
13	वाराणसी प्रथम	26. वाराणसी-ए	12	वाराणसी प्रथम के खण्ड-1 से 9 तक एवं चन्दौली मण्डल के सभी 3 खण्ड।
		27. वाराणसी-बी	12	वाराणसी मण्डल के खण्ड-10 से 17 तक व गाजीपुर मण्डल के सभी 4 खण्ड।
14	वाराणसी द्वितीय	28. वाराणसी-सी	10	वाराणसी मण्डल के खण्ड-18 से 21 तक जौनपुर मण्डल के सभी 6 खण्ड।
		29. आजमगढ़	12	आजमगढ़ मण्डल के सभी 5 खण्ड, बलिया मण्डल के सभी 4 खण्ड व मऊ मण्डल के सभी 3 खण्ड।
		30. मिर्जापुर	12	मिर्जापुर मण्डल के सभी 4 खण्ड, सोनमढ मण्डल के सभी 5 खण्ड व भदोही मण्डल के सभी 3 खण्ड।
15	सहारनपुर	31. सहारनपुर-ए	8	सहारनपुर मण्डल के खण्ड-1 से 6 तक व देवघन्ट मण्डल के 2 खण्ड।
		32. सहारनपुर-बी	9	सहारनपुर मण्डल के खण्ड-7 से 12 तक व शामली मण्डल के सभी 3 खण्ड।
		33. मुजफ्फरनगर	10	मुजफ्फरनगर मण्डल के सभी 8 खण्ड, खताली मण्डल के सभी 2 खण्ड।
16	मेरठ	34. मेरठ-ए	9	मेरठ मण्डल के खण्ड-1 से 7 तक व सरघना मण्डल के एकल खण्ड मवाना मण्डल के एकल खण्ड।
		35. मेरठ-बी	9	मेरठ मण्डल के खण्ड-8 से 13 तक बदायूँ मण्डल के सभी 2 खण्ड व बागपत मण्डल के एकल खण्ड।
17	मुरादाबाद	36. मुरादाबाद-ए	11	मुरादाबाद मण्डल के खण्ड-1 से 5 तक, ज्योतिबाफूलनगर (अमरोहा) मण्डल के सभी 2 खण्ड व हसनपुर मण्डल के सभी 2 खण्ड व सम्मल मण्डल के सभी 2 खण्ड।
		37. मुरादाबाद-बी	11	मुरादाबाद मण्डल के खण्ड-6 से 10 तक, रामपुर मण्डल के सभी 3 खण्ड व चन्दौली मण्डल के सभी 3 खण्ड।
		38. बिजनौर	8	बिजनौर मण्डल के सभी 2 खण्ड, चोंटपुर मण्डल के सभी 2 खण्ड, धामपुर मण्डल के सभी 2 खण्ड व नजीबाबाद मण्डल के सभी 2 खण्ड।
18	गोरखपुर	39. गोरखपुर-ए	14	गोरखपुर मण्डल के खण्ड-1 से 6 तक बस्ती मण्डल के सभी 4 खण्ड, सिद्धार्थनगर मण्डल के सभी 2 खण्ड व सततकबीरनगर मण्डल के सभी 2 खण्ड।
		40. गोरखपुर-बी	14	गोरखपुर मण्डल के खण्ड-7 से 12 तक, देवरिया मण्डल के सभी 4 खण्ड, महाराजगंज मण्डल के सभी 2 खण्ड व कुशीनगर मण्डल के सभी 2 खण्ड।



19	अयोध्या	41. अयोध्या-ए	8	अयोध्या मण्डल के खण्ड-1 से 2, अम्बेडकर नगर मण्डल के सभी 2 खण्ड अमेठी मण्डल के सभी 2 खण्ड व सुल्तानपुर मण्डल के सभी 3 खण्ड।
		42. अयोध्या-बी	7	अयोध्या मण्डल के खण्ड-3 से 5 तक एवं बाराबंकी मण्डल के सभी 4 खण्ड।
		43. गोण्डा	11	गोण्डा मण्डल के सभी 4 एवं बहराइच मण्डल के सभी 3 खण्ड बलरामपुर मण्डल के सभी 2 खण्ड नानपारा मण्डल के एकल खण्ड एवं श्रावस्ती मण्डल के एकल खण्ड।
20	झाँसी	44. झाँसी	13	झाँसी मण्डल के सभी 8 खण्ड, ललितपुर मण्डल के सभी 2 खण्ड व जालौन मण्डल के सभी 3 खण्ड।
		45. बौदा	7	बौदा मण्डल के सभी 2 खण्ड कवी मण्डल के सभी 2 खण्ड हमीरपुर मण्डल के सभी 2 खण्ड व महोबा मण्डल के एकल खण्ड।

नोट:-

- जोन स्तर पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/प्रवर्तन) तैनात हैं।
- सम्भाग स्तर पर ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) एवं ज्वाइंट कमिश्नर (वि०अनु०शा०/प्रवर्तन) तैनात हैं।

वाणिज्य कर जोन की संख्या-	20
वाणिज्य कर सम्भाग की संख्या-	45
वाणिज्य कर मण्डल की संख्या-	93
वाणिज्य कर खण्डों की संख्या-	436
कारपोरेट कार्यालयों की संख्या-	21+1=22



तालिका-23

प्रदेश में कार्यरत सभल दल यूनिटों का जॉनवार/संभागवार विवरण

क्र० सं०	जॉन का नाम	पंचायत समिति (वि०अनु०२३३०) का संभाग	सभल दल कार्यालय का नाम / स्थान	यूनिट संख्या
1	गाजियाबाद प्रथम	संभाग ए- गाजियाबाद	सचल दल प्रथम, द्वितीय व तृतीय इकाई गाजियाबाद	3
		संभाग बी- गाजियाबाद	सचल दल चतुर्थ, पंचम व षष्ठम इकाई गाजियाबाद	3
2	गाजियाबाद द्वितीय	संभाग सी- गाजियाबाद	सचल दल सप्तम, अष्टम, नवम, दसम व द्वादश इकाई गाजियाबाद	5
		संभाग बुलंदशहर	सचल दल इकाई बुलंदशहर	1
3	गौतमबुद्धनगर	संभाग ए- गौतमबुद्धनगर	सचल दल प्रथम, द्वितीय व षष्ठम इकाई गौतमबुद्धनगर	3
		संभाग बी- गौतमबुद्धनगर	सचल दल तृतीय, चतुर्थ व पंचम इकाई गौतमबुद्धनगर	3
4	लखनऊ प्रथम	संभाग ए- लखनऊ	सचल दल प्रथम व द्वितीय इकाई लखनऊ एवं इरदोई	3
		संभाग बी- लखनऊ	सचल दल पंचम इकाई लखनऊ एवं रायबरेली	2
5	लखनऊ द्वितीय	संभाग सी- लखनऊ	सचल दल तृतीय व चतुर्थ इकाई लखनऊ	2
		संभाग सीतापुर	सचल दल इकाई सीतापुर एवं खीरी	2
6	कानपुर प्रथम	संभाग ए- कानपुर	सचल दल प्रथम व अष्टम इकाई कानपुर एवं उन्नाव	3
		संभाग बी- कानपुर	सचल दल द्वितीय, षष्ठम व नवम इकाई कानपुर एवं सोनमधुपुर इकाई रमाबाई नगर	4
7	कानपुर द्वितीय	संभाग सी- कानपुर	सचल दल तृतीय, दसम व एकादश इकाई कानपुर	3
		संभाग डी- कानपुर	सचल दल चतुर्थ, पंचम, सप्तम व द्वादश इकाई कानपुर	4
8	वाराणसी प्रथम	संभाग ए- वाराणसी	सचल दल तृतीय इकाई वाराणसी, प्रथम व द्वितीय इकाई चटौली एवं मुगलसराय	4
		संभाग बी- वाराणसी	सचल दल प्रथम इकाई वाराणसी एवं गाजीपुर	2
9	वाराणसी द्वितीय	संभाग सी- वाराणसी	सचल दल द्वितीय, चतुर्थ इकाई वाराणसी एवं जौनपुर	3
		संभाग आजमगढ़	सचल दल इकाई आजमगढ़, बलिया एवं मऊ	3
10	आगरा	संभाग ए- आगरा	सचल दल प्रथम व द्वितीय इकाई मीरजापुर एवं प्रथम द्वितीय व तृतीय इकाई सोनमधु	5
		संभाग बी- आगरा	सचल दल प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ दसम इकाई आगरा	5
11	प्रयागराज	संभाग ए- प्रयागराज	सचल दल पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम व नवम इकाई आगरा	5
		संभाग बी- प्रयागराज	सचल दल प्रथम, द्वितीय इकाई प्रयागराज	2
12	इटावा	संभाग ए- प्रयागराज	सचल दल तृतीय व चतुर्थ इकाई प्रयागराज एवं फतेहपुर	3
		संभाग इटावा	सचल दल इकाई इटावा, औरंगा, कान्हाजी व फतेहगढ़	4
13	सहारनपुर	संभाग ए- सहारनपुर	सचल दल इकाई मैनपुरी व फिरोजाबाद	2
		संभाग डी- सहारनपुर	सचल दल प्रथम, द्वितीय, तृतीय इकाई सहारनपुर	3
14	बरेली	संभाग ए- सहारनपुर	सचल दल चतुर्थ इकाई सहारनपुर प्रथम व द्वितीय इकाई शमली	3
		संभाग मुजफ्फरनगर	सचल दल प्रथम व द्वितीय इकाई मुजफ्फरनगर व खतौली	3
15	मेरठ	संभाग ए- बरेली	सचल दल प्रथम, तृतीय बरेली व बदायूं	3
		संभाग बी- बरेली	सचल दल द्वितीय इकाई बरेली, शाहजहापुर व पीलीभीत	3
16	मुगदाबाद	संभाग ए- मेरठ	सचल दल प्रथम, द्वितीय व पंचम इकाई मेरठ	3
		संभाग बी- मेरठ	सचल दल तृतीय, चतुर्थ इकाई मेरठ व बागपत	3
17	अयोध्या	संभाग ए- मुगदाबाद	सचल दल प्रथम इकाई मुगदाबाद, संमल, जे०पी० नगर व गजसैला	4
		संभाग बी- मुगदाबाद	सचल दल द्वितीय, तृतीय, पंचम व षष्ठम इकाई मुगदाबाद एवं रामपुर	5
18	गोरखपुर	संभाग बिजनौर	सचल दल इकाई बिजनौर नजीबाबाद व घामपुर	3
		संभाग ए- अयोध्या	सचल दल इकाई मुलतानपुर	1
19	आंसी	संभाग बी- अयोध्या	सचल दल इकाई अयोध्या व बाराबंकी	2
		संभाग गोण्डा	सचल दल इकाई गोण्डा व बहराइत	2
20	अलीगढ़	संभाग ए- गोरखपुर	सचल दल प्रथम, तृतीय इकाई गोरखपुर बस्ती व सिद्धार्थनगर	4
		संभाग बी- गोरखपुर	सचल दल द्वितीय इकाई गोरखपुर इकाई देवरिया व कुशीनगर	3
21	मुख्यालय	संभाग आंसी	सचल दल प्रथम, द्वितीय इकाई आंसी, खसा, देवरिया, अम्बाबाय, तलितपुर व घिसौली तलितपुर उखई व जालौन	9
		संभाग बांदा	सचल दल प्रथम, द्वितीय इकाई बांदा कर्षी, सदाबा व हमीपुर	5
22	मुख्यालय	संभाग ए- अलीगढ़	सचल दल प्रथम इकाई अलीगढ़ एटा	2
		संभाग बी- अलीगढ़	सचल दल द्वितीय, तृतीय इकाई अलीगढ़ व काशीराम नगर	3
23	मुख्यालय	संभाग मधुश	सचल दल प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ इकाई मधुश व महामाया नगर	5
		संभाग मधुश	सचल दल प्रथम व द्वितीय इकाई मुख्यालय	2
योग				150



तालिका-24

वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र० में एडी०कमि०ग्रेड-2 (अपील) के न्यायिक सभाग एवं क्षेत्राधिकार
(आयुक्त, वाणिज्य कर उ० प्र० के आदेश सं०-140 दि० 21-05-15 से एकीकृत)

क्र० सं०	परिसम्भाग (जोन) का नाम	न्यायिक सम्भाग स्थल का नाम	एडी०कमि० ग्रेड-2 (अपील) का न्यायिक सभाग	एडी०कमि० ग्रेड-2 (अपील) के अधिस्तत्र में सम्मिलित खण्ड/मण्डल के नाम	निहित सचल दल इकाईयाँ	निहित वि०अनु०शा० इकाईयाँ
1	2	3	4	5	6	7
1	गाजियाबाद-प्रथम	गाजियाबाद	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) प्रथम गाजियाबाद	गाजियाबाद खण्ड- 1, 2 व 3 कारपोरेट सर्किल- गाजियाबाद प्रथम, डापुड मण्डल के समी 4 खण्ड।	सचल दल प्रथम, चतुर्थ इकाई गा०बाद	वि०अनु०शा० गाजियाबाद-ए
2		गाजियाबाद	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) द्वितीय गाजियाबाद	गाजियाबाद खण्ड- 8, 9, 10, 11, 12	सचल दल पंचम, षष्ठम इकाई गा०बाद	वि०अनु०शा० गाजियाबाद-बी
3		गाजियाबाद	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) तृतीय गाजियाबाद	गाजियाबाद खण्ड- 4, 5, 6 व 7 तथा मोदीनगर के एकल खण्ड।	सचल दल द्वितीय व तृतीय इकाई गा०बाद	
4	गाजियाबाद-द्वितीय	गाजियाबाद	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) चतुर्थ गाजियाबाद	गाजियाबाद मण्डल के खण्ड- 13, 14 व 15 एवं कारपोरेट सर्किल गाजियाबाद द्वितीय।	सचल दल सप्तम, अष्टम इकाई गा०बाद	वि०अनु०शा० गाजियाबाद-सी
5		गाजियाबाद	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) पंचम गाजियाबाद	गाजियाबाद खण्ड- 16, 17, 18 व 19	सचल दल नवम, दसम व ग्राहक इकाई गा०बाद	
6		बुलन्दशहर	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) बुलन्दशहर	बुलन्दशहर मण्डल के समी 4 खण्ड, खुर्जा मण्डल के समी 2 खण्ड, तिकन्दसबाद मण्डल के एकल खण्ड गुलापटी मण्डल के एकल खण्ड व डिबाई मण्डल के एकल खण्ड।	सचल दल इकाई बुलन्दशहर	वि०अनु०शा० बुलन्दशहर
7	लखनऊ-प्रथम	लखनऊ	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) प्रथम लखनऊ	लखनऊ मण्डल के खण्ड- 1, 2 व कारपोरेट सर्किल- लखनऊ प्रथम तथा शयबरेली मण्डल के 2 खण्ड	सचल दल-प्रथम लखनऊ व एवं सचलदल इकाई	वि०अनु०शा० लखनऊ-ए
8		लखनऊ	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) द्वितीय लखनऊ	लखनऊ मण्डल के खण्ड- 3 से 7 तक	सचल दल-द्वितीय इकाई व पंचम इकाई लखनऊ	
9		लखनऊ	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) तृतीय लखनऊ	लखनऊ मण्डल के खण्ड-8 से 13 तक एवं छरदोई मण्डल के समी 4 खण्ड	सचल दल इकाई छरदोई	वि०अनु०शा० लखनऊ-बी
10	लखनऊ-द्वितीय	लखनऊ	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) चतुर्थ लखनऊ	लखनऊ मण्डल के खण्ड-14 से 18 तथा कारपोरेट सर्किल- लखनऊ द्वितीय, कारपोरेट सर्किल आयल सेक्टर मुख्यालय	सचल दल तृतीय व चतुर्थ इकाई लखनऊ	
11		लखनऊ	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) पंचम लखनऊ	लखनऊ मण्डल के खण्ड-19 से 22, बासबकी मण्डल के समी 4 खण्ड		वि०अनु०शा० लखनऊ-सी
12		सीतापुर	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) सीतापुर लखनऊ	सीतापुर मण्डल के समी 4 खण्ड लखीमपुर खीरी मण्डल के समी 4 खण्ड व पलियाँकला मण्डल का एकल खण्ड।	सचल दल इकाई- सीतापुर व सचलदल-खीरी	वि०अनु०शा० सीतापुर



क्र० सं०	परिसंभाग (जाने का नाम)	न्यायिक संभाग स्थल का नाम	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) का न्यायिक संभाग	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) के अधिष्ठात्र में सम्मिलित खण्ड/मण्डल के नाम	निहित सचल दल इकाईयाँ	निहित वि०अनु०शा० इकाईयाँ
13	कानपुर-प्रथम	कानपुर	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) प्रथम कानपुर	कानपुर मण्डल के खण्ड-1 से 5 तक	सचल दल-प्रथम व अष्टम इकाई कानपुर	वि०अनु०शा० कानपुर-ए
14		कानपुर	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) द्वितीय कानपुर	कानपुर मण्डल के खण्ड-6 से 8 तथा उन्नाव मण्डल के खण्ड 1 व 2. कारपोरेट सर्किल कानपुर- प्रथम तथा कानपुर टेहलत मण्डल	सचल दल द्वितीय कानपुर एवं उन्नाव, मैगनीपुर इकाई	
15		कानपुर	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) तृतीय कानपुर	कानपुर मण्डल के खण्ड-9 से 13 तक	सचल दल षष्ठम व नवम इकाई कानपुर	वि०अनु०शा० कानपुर- बी
16	कानपुर-द्वितीय	कानपुर	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) चतुर्थ कानपुर	कानपुर मण्डल के खण्ड- 14 से 19	सचल दल तृतीय, दसम व एकादस इकाई कानपुर	
17		कानपुर	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) पंचम कानपुर	कानपुर मण्डल के खण्ड- 26 से 30	सचल दल चतुर्थ पंचम इकाई कानपुर	वि०अनु०शा० कानपुर- सी
18		कानपुर	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) षष्ठम कानपुर	कानपुर मण्डल के खण्ड-20 से 25 तक तथा कारपोरेट सर्किल कानपुर-द्वितीय।	सचल दल सप्तम व द्वादस इकाई कानपुर	वि०अनु०शा० कानपुर- डी
19	आगरा	आगरा	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) प्रथम आगरा	आगरा मण्डल के खण्ड- 3, 4, 5, 7, 17, 18 तथा कारपोरेट सर्किल आगरा।	सचल दल-प्रथम द्वितीय, तृतीय इकाई आगरा	वि०अनु०शा० आगरा-ए
20		आगरा	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) द्वितीय आगरा	आगरा मण्डल के खण्ड- 6, 8, 9, 10, 14, 19 व 20	सचल दल-चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, इकाई आगरा	वि०अनु०शा० आगरा-बी
21		आगरा	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) तृतीय आगरा	आगरा मण्डल के खण्ड-1, 2, 11, 12, 13, 15 व 16	सचल दल- सप्तम, अष्टम, नवम व दशम इकाई आगरा	
22	इटावा	इटावा	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील)-इटावा	इटावा मण्डल के सभी 3 खण्ड, बरधना मण्डल के एकल खण्ड फर्रुखाबाद (फतेहगढ़) मण्डल के सभी 3 खण्ड, औरैया मण्डल के 2 खण्ड व कन्नौज मण्डल के सभी 2 खण्ड	सचल दल इकाई-इटावा, औरैया, कन्नौज व फतेहगढ़ इकाई	वि०अनु०शा० इटावा
23		मैनपुरी	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील)- मैनपुरी	फिरोजाबाद मण्डल के सभी 5 खण्ड व शिकोहाबाद खण्ड-1 व 2, मैनपुरी मण्डल के सभी 3 खण्ड कारपोरेट सर्किल इटावा मुख्यालय फिरोजाबाद	सचल दल इकाई-मैनपुरी व फिरोजाबाद	वि०अनु०शा० मैनपुरी
24	गौतमबुद्ध नगर	गौतमबुद्ध नगर	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) प्रथम, नोएडा	नोएडा मण्डल के खण्ड-3, 7, 8, 9, 10, 11 व 12	सचल दल इकाई-प्रथम व द्वितीय नोएडा	वि०अनु०शा० गौतमबुद्ध नगर-ए
25		गौतमबुद्ध नगर	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील) द्वितीय, बाणिज्य	खण्ड-1, 2 व 3 गौतमबुद्ध नगर कारपोरेट मण्डल नोएडा व ग्रेटर नोएडा	सचल दल इकाई-तृतीय व चतुर्थ नोएडा	वि०अनु०शा० गौतमबुद्ध नगर-बी
26		गौतमबुद्ध नगर	एडी० कमि० ग्रेड-2 (अपील)	नोएडा मण्डल के खण्ड-1, 2, 4, 5, 6, 13 व 14	सचल दल इकाई-पंचम व षष्ठम नोएडा	



क्र० सं०	परिसभागा (जोन) का नाम	न्यायिक सभागा स्थल का नाम	एडि०कमि० ग्रेड-2 (अपील) का न्यायिक सभागा	एडि०कमि० ग्रेड-2 (अपील) के अधिक्षेत्र में सम्मिलित डा०ड/मण्डल के नाम	निहित सबल दल इकाइयाँ	निहित वि०अनु०शा० इकाइयाँ
27	पुनर्वसन	प्रयागराज	एडि० कमि० ग्रेड-2 (अपील) प्रथम प्रयागराज	प्रयागराज मण्डल के खण्ड-1 से 5 तक तथा फारमोरेट सर्किल प्रयागराज एवं प्रतापगढ़ मण्डल के सभी 2 खण्ड	सफल दल इकाई- प्र०न० व द्वितीय प्रयागराज	
28		प्रयागराज	एडि० कमि० ग्रेड-2 (अपील) द्वितीय प्रयागराज	प्रयागराज मण्डल के खण्ड-6 से 11 तक एवं फौराबादी मण्डल के एकल खण्ड	सफल दल इकाई- पुत्रीय प्रयागराज	कि०अनु०शा० प्रयागराज-ए व बी
29		प्रयागराज	एडि० कमि० ग्रेड-2 (अपील) पुत्रीय प्रयागराज	प्रयागराज मण्डल के खण्ड-12 से 14 तक एवं फौराबादी मण्डल के सभी 3 खण्ड	सफल दल इकाई- पुत्रीय प्रयागराज व फौराबादी	
30	अलीगढ़	मथुरा	एडि० कमि० ग्रेड-2 (अपील)- मथुरा	मथुरा मण्डल के सभी 6 खण्ड, एवं फौराबादी मण्डल के एकल खण्ड	सफल दल इकाई- प्र०न०, द्वितीय, पुत्रीय व फौराबादी	कि०अनु०शा० मथुरा
31		अलीगढ़	एडि० कमि० ग्रेड-2 (अपील) अलीगढ़	अलीगढ़ मण्डल के सभी 12 खण्ड, हाथरस मण्डल के सभी 3 खण्ड, एटा मण्डल के सभी 3 खण्ड, फासगढ़ मण्डल के सभी 2 खण्ड	सफल दल इकाई- प्र०न०, द्वितीय, पुत्रीय अलीगढ़ व फौराबादी	कि०अनु०शा० अलीगढ़-ए व बी
32	बरेली	बरेली	एडि० कमि० ग्रेड-2 (अपील), प्रथम बरेली	बरेली मण्डल के खण्ड-1 से 6 तक, शाहजहाँपुर मण्डल के सभी 4 खण्ड	सफल दल इकाई- प्र०न०, पुत्रीय बरेली व सफल दल इकाई	कि०अनु०शा० बरेली-ए
33		बरेली	एडि० कमि० ग्रेड-2 (अपील)- द्वितीय, बरेली	बरेली मण्डल के खण्ड-7 से 10 तक, फारमोरेट सर्किल-बरेली, बदायूँ मण्डल के सभी 3 खण्ड, व पीलीभीत मण्डल के सभी 3 खण्ड	सफल दल इकाई- द्वितीय बरेली एवं बदायूँ व पीलीभीत	कि०अनु०शा० बरेली-बी
34	वाराणसी-उत्तर	वाराणसी	एडि० कमि० ग्रेड-2 (अपील), प्रथम वाराणसी	वाराणसी मण्डल के खण्ड-1 से 10 तक, फारमोरेट सर्किल-वाराणसी प्रथम व पटनाली मण्डल के सभी 3 खण्ड	सफल दल इकाई- पटनाली प्रथम, द्वितीय व मुगलसराय	कि०अनु०शा० वाराणसी-ए
35		वाराणसी	एडि० कमि० ग्रेड-2 (अपील), द्वितीय वाराणसी	वाराणसी मण्डल के खण्ड-11 से 17 तक, एवं गाजीपुर मण्डल के सभी 4 खण्ड	सफल दल इकाई- वाराणसी प्रथम, पुत्रीय व गाजीपुर	कि०अनु०शा० वाराणसी-बी
36	वाराणसी-द्वितीय	वाराणसी	एडि० कमि० ग्रेड-2 (अपील), पुत्रीय वाराणसी	वाराणसी मण्डल के खण्ड-18 से 21 तक एवं बलिया मण्डल के सभी 4 खण्ड	सफल दल इकाई- वाराणसी द्वितीय, पुत्रीय एवं बलिया	कि०अनु०शा० वाराणसी-सी
37		आजमगढ़	एडि० कमि० ग्रेड-2 (अपील)- आजमगढ़	आजमगढ़ मण्डल के सभी 5 खण्ड, बलिया मण्डल के सभी 3 खण्ड	सफल दल इकाई- आजमगढ़ व बलिया	कि०अनु०शा० आजमगढ़
38		जौनपुर	एडि० कमि० ग्रेड-2 (अपील)- जौनपुर	जौनपुर मण्डल के सभी 6 खण्ड	सफल दल इकाई- जौनपुर	
39		बिर्जापुर	एडि० कमि० ग्रेड-2 (अपील)- बिर्जापुर	बिर्जापुर मण्डल के सभी 4 खण्ड एवं बदायूँ मण्डल के सभी 3 खण्ड	सफल दल इकाई- प्र०न०, द्वितीय बिर्जापुर	कि०अनु०शा० बिर्जापुर
40		सोनभद्र	एडि० कमि० ग्रेड-2 (अपील)- सोनभद्र	सोनभद्र मण्डल के सभी 5 खण्ड तथा फारमोरेट सर्किल- द्वितीय वाराणसी मुख्यालय सोनभद्र	सफल दल इकाई- प्र०न०, द्वितीय व पुत्रीय सोनभद्र	
41	सहारनपुर	सहारनपुर	एडि० कमि० ग्रेड-2 (अपील)- सहारनपुर	सहारनपुर मण्डल के सभी 12 खण्ड तथा देवबाट मण्डल के 2 खण्ड	सफल दल इकाई- प्र०न०, द्वितीय, पुत्रीय व फौराबादी सहारनपुर	कि०अनु०शा० सहारनपुर-ए व बी
42		मुजफ्फरनगर	एडि० कमि० ग्रेड-2 (अपील)- मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर, मण्डल के सभी 8 खण्ड, शाहली मण्डल के सभी 3 खण्ड, अताली मण्डल के सभी 2 खण्ड व फारमोरेट सर्किल सहारनपुर	सफल दल इकाई- प्र०न०, द्वितीय मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर	कि०अनु०शा० मुजफ्फरनगर



क्र० स०	परिसंभाग (जैन) का नाम	स्थानिक संभाग स्थल का नाम	एड्डो कमि० ग्रेड-2 (अपील) का स्थानिक संभाग	एड्डो कमि० ग्रेड-2 (अपील) के अधिभूत में सम्मिलित खण्ड/मण्डल के नाम	निहित सचल दल इकाईयाँ	निहित वि०अनु०रा० इकाईयाँ
43	मेरठ	मेरठ	एड्डो कमि० ग्रेड-2 (अपील)- प्रथम मेरठ	मेरठ मण्डल के खण्ड-1 से 8 तक, कारपोरेट सर्किल मेरठ व बडौत मण्डल के सभी 2 खण्ड, बागपत मण्डल के एकल खण्ड ।	सचल दल इकाई- प्रथम, द्वितीय, पंचम मेरठ व सचल दल	वि०अनु०रा० मेरठ-ए
44		मेरठ	एड्डो कमि० ग्रेड-2 (अपील), द्वितीय मेरठ	मेरठ मण्डल के खण्ड-7 से 13 तक, सरचना मण्डल के एकल खण्ड, मथाना मण्डल के एकल खण्ड ।	सचल दल इकाई- तृतीय व चतुर्थ मेरठ	वि०अनु०रा० मेरठ-बी
45	मुरादाबाद	मुरादाबाद	एड्डो कमि० ग्रेड-2 (अपील), प्रथम मुरादाबाद	मुरादाबाद मण्डल के खण्ड-6 से 10 तक, कारपोरेट सर्किल मुरादाबाद, रामपुर मण्डल के सभी 3 खण्ड, चन्नीसी मण्डल के 3 खण्ड, सम्मल मण्डल के सभी 2 खण्ड ।	सचल दल इकाई- द्वितीय, तृतीय, पंचम, षष्ठम मुरादाबाद एवं रामपुर	वि०अनु०रा० मुरादाबाद-बी
46		मुरादाबाद	एड्डो कमि० ग्रेड-2 (अपील), द्वितीय मुरादाबाद	मुरादाबाद मण्डल के खण्ड-1 से 5 तक, अमरोहा मण्डल के 2 खण्ड व हसनपुर मण्डल के सभी 2 खण्ड ।	सचल दल इकाई- प्रथम, चतुर्थ (सम्मल)	वि०अनु०रा० मुरादाबाद-ए
47		बिजनौर	एड्डो कमि० ग्रेड-2 (अपील), तृतीय बिजनौर	बिजनौर मण्डल के 2 खण्ड, चौदपुर मण्डल के 2 खण्ड, धामपुर मण्डल के 2 खण्ड, नजीबाबाद मण्डल के सभी 2 खण्ड ।	सचल दल इकाई- बिजनौर, नजीबाबाद व धामपुर इकाई	वि०अनु०रा० बिजनौर
48	गोरखपुर	गोरखपुर	एड्डो कमि० ग्रेड-2 (अपील), प्रथम गोरखपुर	गोरखपुर मण्डल के खण्ड-1 से 8 तक, कारपोरेट सर्किल गोरखपुर, देवरिया मण्डल के 4 खण्ड, कुशीनगर मण्डल के सभी 2 खण्ड ।	सचल दल इकाई- गोरखपुर प्रथम, देवरिया व कुशीनगर	वि०अनु०रा० गोरखपुर-ए
49		गोरखपुर	एड्डो कमि० ग्रेड-2 (अपील), द्वितीय गोरखपुर	गोरखपुर मण्डल के खण्ड-7 से 12 तक, महाराजगंज मण्डल के सभी 2 खण्ड ।	सचल दल इकाई- गोरखपुर द्वितीय व तृतीय	वि०अनु०रा० गोरखपुर-बी
50		बस्ती	एड्डो कमि० ग्रेड-2 (अपील)- बस्ती	बस्ती मण्डल के सभी 4 खण्ड, सिद्धार्थनगर मण्डल के 2 खण्ड, सप्तकबीरनगर मण्डल के सभी 2 खण्ड ।	सचल दल इकाई- बस्ती व सिद्धार्थनगर	
51	अयोध्या	अयोध्या	एड्डो कमि० ग्रेड-2 (अपील)- प्रथम अयोध्या	अयोध्या मण्डल के खण्ड-1 व 2, कारपोरेट सर्किल, अम्बेडकरनगर मण्डल के सभी खण्ड व सुल्तानपुर मण्डल के सभी 3 खण्ड ।	सचल दल इकाई- अयोध्या व सुल्तानपुर	वि०अनु०रा० अयोध्या-ए
52		अयोध्या	एड्डो कमि० ग्रेड-2 (अपील)- द्वितीय अयोध्या	अयोध्या मण्डल के खण्ड-3 से 5 तक व अमैठी मण्डल के सभी 2 खण्ड ।	सचल दल इकाई- बाराबंकी	वि०अनु०रा० अयोध्या-बी
53		गोण्डा	एड्डो कमि० ग्रेड-2 (अपील)- गोण्डा	गोण्डा मण्डल के 4 खण्ड, बहराइच मण्डल के 3 खण्ड, बलरामपुर मण्डल के सभी 2 खण्ड, नानपारा मण्डल के एकल खण्ड व ब्राह्मस्ती	सचल दल इकाई- गोण्डा व बहराइच	वि०अनु०रा० गोण्डा
54	झाँसी	झाँसी	एड्डो कमि० ग्रेड-2 (अपील), प्रथम झाँसी	झाँसी मण्डल के खण्ड-5 से 8 तक, जालौन (उरई) मण्डल के सभी 3 खण्ड, कारपोरेट सर्किल झाँसी ।	सचल दल इकाई- झाँसी द्वितीय व जालौन, उरई	वि०अनु०रा० झाँसी
55		झाँसी	एड्डो कमि० ग्रेड-2 (अपील), द्वितीय झाँसी	झाँसी मण्डल के खण्ड-1 से 4 तक, ललितपुर मण्डल के सभी 2 खण्ड ।	सचल दल इकाई- झाँसी-प्रथम, रवसा, देवरौ अम्बाबाय	
56		बौदा	एड्डो कमि० ग्रेड-2 (अपील), बौदा	बौदा मण्डल के सभी 2 खण्ड, कबी मण्डल के 2 खण्ड, हमीरपुर मण्डल के 2 खण्ड, महोबा मण्डल के एकल खण्ड ।	सचल दल इकाई- बौदा प्रथम, द्वितीय, कबी महोबा व हमीरपुर	वि०अनु०रा० बौदा



No. S-31011/03/2014-SO(ST)-Pt-1
(Comp. No. 300308090)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
State Tax Division

275, North Block, New Delhi.
Dated the 29 August, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Base year revenue (2015-16) under The Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 – Reg.

The undersigned is directed to refer to the subject referred above and to say that section 5 (5) of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 states that "The base year revenue shall be calculated on the basis of the figures of revenue collected and net of refunds given in that year, as audited by the Comptroller and Auditor-General of India".

2. Accordingly, Department of Revenue has obtained the following audited figures for the base year 2015-16 with respect to state of Uttar Pradesh, as certified by Accountant General of the state: -

Item	Revenue figures provided by AG (₹ in Crore)
VAT	29536.50
CST	500.03
Advertisement	0.00
Entertainment Tax	
Lottery, Betting & Gambling	668.82
Luxury Tax	
Entry Tax	2643.86
Cesses & Surcharges	0.00
Duties of Excise on medicinal and toilet preparations	9.66
Total	33358.87

3. In view of the above, it is intimated that a total of ₹ 33358.87 Crore shall be considered as base year revenue (2015-16), as certified by the Accountant General of the state, under section 5(5) of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017. Further, as per section 6 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, the revenue to be protected for the year 2017-18 shall be ₹ 43353.18 Crore $[33358.87 (1+14/100)^2]$. The bi-monthly revenue figure for the year 2017-18, as per section 7 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, works out to be ₹ 7225.53 Crore $[43353.18 / 6]$. Compensation from Goods & Services Tax Compensation Fund shall be considered for shortfall, if any, in the bi-monthly revenues.

4. This is for kind information.

(S.R. Meena)

Under Secretary to the Government of India
Tel: 2309 2976

To,

1. Secretary/Pr. Secretary, Finance Dept., Government of Uttar Pradesh.
2. CCT, Government of Uttar Pradesh, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-221106

Copy to: - Accountant General (E&RSA), Audit Bhawan, TC-35-V-I, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010.



No. S-31011/62/2016-ST-I-DoR
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
State Tax Division

275, North Block, New Delhi.
Dated the 19 August, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Base year revenue (2015-16) under The Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 – Reg.

The undersigned is directed to refer to the subject referred above and to say that section 5 (5) of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 states that "The base year revenue shall be calculated on the basis of the figures of revenue collected and net of refunds given in that year, as audited by the Comptroller and Auditor-General of India".

2. Accordingly, Department of Revenue has obtained the following audited figures for the base year 2015-16 with respect to state of Uttar Pradesh, as certified by Accountant General of the state: -

Item	Revenue figures provided by AG (₹ in Crore)
VAT	29536.50
CST	500.03
Advertisement	28.98
Entertainment Tax	
Lottery, Betting & Gambling	668.82
Luxury Tax	
Entry Tax	2643.86
Cesses & Surcharges	0.00
Duties of Excise on medicinal and toilet preparations	9.66
Total	33387.85

3. In view of the above, it is intimated that a total of ₹ 33387.85 Crore shall be considered as base year revenue (2015-16), as certified by the Accountant General of the state, under section 5(5) of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017. Further, as per section 6 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, the revenue to be protected for the year 2017-18 shall be ₹ 43390.849 Crore $[33387.85 (1+14/100)^2]$. The bi-monthly revenue figure for the year 2017-18, as per section 7 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, works out to be ₹ 7231.808 Crore $[43390.849 / 6]$. Compensation from Goods & Services Tax Compensation Fund shall be considered for shortfall, if any, in the bi-monthly revenues accordingly in case of Uttar Pradesh.

4. This is for kind information.

(Mahendra Nath)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 2309 2419

To,

- Secretary/Pr. Secretary, Finance Dept., Government of Uttar Pradesh.
- CCT, Government of Uttar Pradesh, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-221106

Copy to: - Accountant General (E&RSA), Audit Bhawan, TC-35-V-1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010.

Scanned by CamScanner



F. No. 31011/3/ 2014-SO(ST)

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
State Taxes Section

New Delhi, the 29th May, 2018

To

The Pay & Accounts Officer,
Department of Revenue,
Ministry of finance,
New Delhi.

Subject: - 'On account' Payment of Grant-in-aid to the **Government of Uttar Pradesh** being the compensation for loss of revenue for month of **March, 2018** on account of implementation of Goods and Service Tax.

Sir,

I am directed to convey the sanction of the President to the "on account" Payment of **Rs. 308.00 crore (Rupees Three Hundred Eight Crore only)** as Grant-in-aid to the Government of **Uttar Pradesh** being the compensation for loss of revenue for month of March, 2018 on account of implementation of Goods and Service Tax.

2. The payment may be made to the Government of **Uttar Pradesh**, as usual.
3. The above release of Non-Plan Grant is provisional and subject to the conditions that in case the total GST compensation entitlement of the State Government on the basis of audited revenue figures by Comptroller and General of India falls below the total amount of provisional GST compensation already released to the State Government, the excess payment shall be recovered from future claims or by direct debit to the State Government's Account as per the procedure. Similar procedure shall be followed in case the total cumulative entitlement of the State Government for payment of compensation falls below the total amount of compensation released to the State Government, due to improvement in the revenue performance of the State at a later stage.
4. The above release will be debitible under the Major Head 3601 in Demand No.33, for the year 2018-19, as under:-

3601-Grant-in-aid to States

08-Grants to States

08.112-Compensation for loss of revenue arising out of implementation of GST

01-Compensation for revenue loss to States

01.00.31-Grants-in-aid (2018-19)

5. This issues with the concurrence of IFU vide their Dy. No. 446/2018-IFU-III dated 25.05.2018.



6. Action taken on this letter may kindly be intimated.

Yours faithfully,

(Mahendra Nath)
Under Secretary (State Taxes)

Copy to:-

- 1) Finance Secretary of the State concerned.
- 2) Commissioner of Sales Tax/Commercial Tax/VAT of the State concerned.
- 3) Accountant General (A&E), **Uttar Pradesh**.
- 4) PS to Secretary (Expenditure), Ministry of Finance, New Delhi.
- 5) DEA: Director (Budget), North Block, New Delhi.
- 6) Dy. Director, O/o DGACR, III Floor, AGCR Building, I.T.O., New Delhi.
- 7) NITI Ayog: SP Divn./FR Divn., Yojana Bhawan, New Delhi.
- 8) Secretary, RBI, Central Office, Mumbai.
- 9) Manager, RBI, CAS, Nagpur.
- 10) Chief Controller of Accounts, Ministry of Finance, North Block (3 copies).
- 11) Hindi Section for stencil of Hindi version.
- 12) Budget Division – States Section.
- 13) Resident Commissioner of the State concerned, New Delhi.
- 14) Member-Secretary Empowered Committee, New Delhi.
- 15) IFU.III, Department of Revenue.

(Mahendra Nath)
Under Secretary (State Taxes)

(Sanction No. 21 of 2018-19)



No. S.31013/16/2017-ST-I-DoR/9
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(State Taxes Division)

North Block, New Delhi
Dated the 27th April, 2018

To,

The Pr. Accounts Officer

O/o Pr.CCA, CBEC, (Central Accounting Authority of GST)
1st Floor, AGCR Building, J.P.Estate, New Delhi

Subject: Sanction of Provisional Settlement of IGST for the return filing month of April, 2018 – regarding.

Sanction of the President is hereby conveyed for transfer of funds to the State of Uttar Pradesh, as detailed below, towards settlement of Integrated Goods and Services Tax collected by the Centre on the basis of the cross utilization of Input Tax Credit of IGST and SGST/UTGST and Apportionment in terms of the provisions of IGST Act 2017 and Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017:

RETURN FILING MONTH	April, 2018	STATE / UT CODE	09	
SETTLEMENT MONTH	April, 2018	STATE / UT NAME	UTTAR PRADESH	
Sl. No.	SETTLEMENT DESCRIPTION	GST STL No.	FUNCTIONAL HEAD	CREDIT AMOUNT (In ₹)
1	IGST Liability adjusted against SGST/UTGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.02	0008-02-106-01-09	3,33,89,16,320
2	SGST/UTGST liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.03	0008-02-106-02-09	-19,98,29,32,574
3	Apportionment of IGST Tax to the State/UT	1.04, 1.05, 1.06, 1.09, 5.03	0008-02-953-09-00	-1,68,35,17,738
4	Advance Apportionment of IGST to State/UT	1/10 INST	0008-02-960-09-00	1,46,00,00,000
GRAND TOTAL				₹ -16,86,75,33,992

2. The Pr. A.O. O/o Pr. CCA CBEC, may transfer the funds to the State/UT as detailed above by issue of Inter Government Advice to the Reserve Bank of India.

(S. R. Meena)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel. – 2309 2976

Copy to:

- Pr. CCA, CBEC with a request for further necessary action.
- Pr. Secretary / Secretary (Finance) of the State
- Commissioner (Commercial Tax) of the State
- Accountant General of the State (with a request to make necessary accounting entries under SGST)
- Director (Budget), DEA
- Under Secretary (IFU-III), DoR
- Under Secretary (State Taxes-II), DoR



No. S.31013/16/2017-ST-I-DoR/9
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(State Taxes Division)

North Block, New Delhi
Dated the 29th May, 2018

To,

The Pr. Accounts Officer

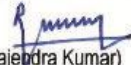
O/o Pr. CCA, CBEC, (Central Accounting Authority of GST)
1st Floor, AGCR Building, I.P. Estate, New Delhi

Subject: Sanction of Provisional Settlement of IGST for the Return filing month of May, 2018– regarding.

Sanction of the President is hereby conveyed for transfer of funds to the State of Uttar Pradesh, as detailed below, towards settlement of Integrated Goods and Services Tax collected by the Centre on the basis of the cross utilization of Input Tax Credit of IGST and SGST/ UTGST and Apportionment in terms of the provisions of IGST Act 2017 and Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017:

RETURN FILING MONTH	<u>May, 2018</u>	STATE / UT CODE	<u>9</u>	
SETTLEMENT MONTH	<u>May, 2018</u>	STATE / UT NAME	<u>Uttar Pradesh</u>	
SL. No.	Settlement Description	GST STL No.	Functional Head	Credit Amount (In ₹)
1	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.02	0008-02-106-01-09	3,521,936,402
2	SGST / UTGST liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.03	0008-02-106-02-09	-19,653,344,299
3	Apportionment of IGST to the State/ UT	1.04, 1.05, 1.06, 1.09, 5.03	0008-02-953-09-00	-1,575,003,134
4	Advance Apportionment of IGST to State/UT	2/10 INST	0008-02-960-09-00	1,460,000,000
GRAND TOTAL				-16,246,411,031

2. The Pr. A O, O/o Pr. CCA CBEC, may transfer the funds to the State, as detailed above, by issue of Inter Government Advice to the Reserve Bank of India.


(Rajendra Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel. – 2309 2976

Copy to:

- Pr. CCA, CBEC with a request for further necessary action.
- Pr. Secretary / Secretary (Finance) of the State
- Commissioner (Commercial Tax) of the State
- Accountant General of the State (with request to make necessary accounting entries under SGST
- Director (Budget), DEA
- Under Secretary (IFU-III), DoR
- Under Secretary (State Taxes-II), DoR



No. S.31013/16/2017-ST-I-DoR/9
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(State Taxes Division)

North Block, New Delhi
Dated the 27th June, 2018

To,

The Pr. Accounts Officer

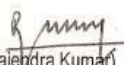
O/o Pr. CCA, CBEC, (Central Accounting Authority of GST)
1st Floor, AGCR Building, I.P. Estate, New Delhi

Subject: Sanction of Provisional Settlement of IGST for the Return filing month of June, 2018- regarding.

Sanction of the President is hereby conveyed for transfer of funds to the State of Uttar Pradesh, as detailed below, towards settlement of Integrated Goods and Services Tax collected by the Centre on the basis of the cross utilization of Input Tax Credit of IGST and SGST/ UTGST and Apportionment in terms of the provisions of IGST Act 2017 and Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017:

RETURN FILING MONTH	<u>June, 2018</u>	STATE / UT CODE	<u>9</u>	
SETTLEMENT MONTH	<u>June, 2018</u>	STATE / UT NAME	<u>Uttar Pradesh</u>	
SL. No.	Settlement Description	GST STL No.	Functional Head	Credit Amount (In ₹)
1	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.02	0008-02-106-01-09	3,194,352,002
2	SGST / UTGST liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.03	0008-02-106-02-09	-20,064,977,098
3	Apportionment of IGST to the State/ UT	1.04, 1.05, 1.06, 1.09, 5.03	0008-02-953-09-00	-1,690,840,750
			GRAND TOTAL	-18,561,465,846

2. The Pr. A O, O/o Pr. CCA CBEC, may transfer the funds to the State, as detailed above, by issue of Inter Government Advice to the Reserve Bank of India.


(Rajendra Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel. - 2309 2976

Copy to:

- Pr. CCA, CBEC with a request for further necessary action.
- Pr. Secretary / Secretary (Finance) of the State
- Commissioner (Commercial Tax) of the State
- Accountant General of the State (with request to make necessary accounting entries under SGST
- Director (Budget), DEA
- Under Secretary (IFU-III), DoR
- Under Secretary (State Taxes-II), DoR



No. S.31013/16/2017-ST-I-DoR/9

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(State Taxes Division)

North Block, New Delhi
Dated the 28th July, 2018

To,

The Pr. Accounts Officer

O/o Pr. CCA, CBEC, (Central Accounting Authority of GST)
1st Floor, AGCR Building, I.P. Estate, New Delhi

Subject: Sanction of Provisional Settlement of IGST for the Return filing month of July, 2018– regarding.

Sanction of the President is hereby conveyed for transfer of funds to the State of Uttar Pradesh, as detailed below, towards settlement of Integrated Goods and Services Tax collected by the Centre on the basis of the cross utilization of Input Tax Credit of IGST and SGST/ UTGST and Apportionment in terms of the provisions of IGST Act 2017 and Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017:

RETURN FILING MONTH	<u>July, 2018</u>	STATE / UT CODE	<u>9</u>
SETTLEMENT MONTH	<u>July, 2018</u>	STATE / UT NAME	<u>Uttar Pradesh</u>

SL. No.	Settlement Description	GST STL No.	Functional Head	Credit Amount (In ₹)
1	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.02	0008-02-106-01-09	299,19,87,663
2	SGST / UTGST liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.03	0008-02-106-02-09	-1992,45,91,391
3	Apportionment of IGST to the State/ UT	1.04, 1.05, 1.06, 1.09, 5.03	0008-02-953-09-00	-172,41,77,246
GRAND TOTAL				-1865,67,80,974

2. The Pr. A O, O/o Pr. CCA CBEC, may transfer the funds to the State, as detailed above, by issue of Inter Government Advice to the Reserve Bank of India.

(Rajendra Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. – 2309 2976

Copy to:

- Pr. CCA, CBEC with a request for further necessary action.
- Pr. Secretary / Secretary (Finance) of the State
- Commissioner (Commercial Tax) of the State
- Accountant General of the State (with request to make necessary accounting entries under SGST)
- Director (Budget), DEA
- Under Secretary (IFU-III), DoR
- Under Secretary (State Taxes-II), DoR



No. S.31013/16/2017-ST-I-DoR/9
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(State Taxes Division)

North Block, New Delhi
Dated the 28th August, 2018

To,

The Pr. Accounts Officer
O/o Pr. CCA, CBEC, (Central Accounting Authority of GST)
1st Floor, AGCR Building, I.P. Estate, New Delhi

Subject: Sanction of Provisional Settlement of IGST for the Return filing month of August, 2018 regarding.

Sanction of the President is hereby conveyed for transfer of funds to the State of Uttar Pradesh, as detailed below, towards settlement of Integrated Goods and Services Tax collected by the Centre on the basis of the cross utilization of Input Tax Credit of IGST and SGST/ UTGST and Apportionment in terms of the provisions of IGST Act 2017 and Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017:

RETURN FILING MONTH	<u>August, 2018</u>	STATE / UT CODE	<u>9</u>	
SETTLEMENT MONTH	<u>August, 2018</u>	STATE / UT NAME	<u>Uttar Pradesh</u>	
SL. No.	Settlement Description	GST STL No.	Functional Head	Credit Amount (In ₹)
1	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.02	0008-02-106-01-09	322,13,47,093
2	SGST / UTGST liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.03	0008-02-106-02-09	-1763,27,67,475
3	Apportionment of IGST to the State/ UT	1.04, 1.05, 1.06, 1.09, 5.03	0008-02-953-09-00	-162,89,59,457
			GRAND TOTAL	-1604,03,79,839

2. The Pr. A O, O/o Pr. CCA CBEC, may transfer the funds to the State, as detailed above, by issue of Inter Government Advice to the Reserve Bank of India.


(Rajendra Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. - 2308 2976

Copy to:

- Pr. CCA, CBEC with a request for further necessary action.
- Pr. Secretary / Secretary (Finance) of the State
- Commissioner (Commercial Tax) of the State
- Accountant General of the State (with request to make necessary accounting entries under SGST)
- Director (Budget), DEA
- Under Secretary (IFU-III), DoR
- Under Secretary (State Taxes-II), DoR



No. S.31013/16/2017-ST-I-DoR/9
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(State Taxes Division)

North Block, New Delhi
Dated the 27th Sept, 2018

To,

The Pr. Accounts Officer
O/o Pr. CCA, CBEC, (Central Accounting Authority of GST)
1st Floor, AGCR Building, I.P. Estate, New Delhi

Subject: Sanction of Provisional Settlement of IGST for the Return filing month of September, 2018 regarding.

Sanction of the President is hereby conveyed for transfer of funds to the State of Uttar Pradesh, as detailed below, towards settlement of Integrated Goods and Services Tax collected by the Centre on the basis of the cross utilization of Input Tax Credit of IGST and SGST/ UTGST and Apportionment in terms of the provisions of IGST Act 2017 and Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017:

RETURN FILING MONTH	<u>September, 2018</u>	STATE / UT CODE	<u>9</u>
SETTLEMENT MONTH	<u>September, 2018</u>	STATE / UT NAME	<u>Uttar Pradesh</u>

Sl. No.	Settlement Description	GST STL No.	Functional Head	Credit Amount (In ₹)
1	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.02	0008-02-106-01-09	334,39,92,457
2	SGST / UTGST liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.03	0008-02-106-02-09	-1766,47,68,899
3	Apportionment of IGST to the State/ UT	1.04, 1.05, 1.06, 1.09, 5.03	0008-02-953-09-00	-171,51,28,402
	GRAND TOTAL			-1603,59,04,844

2. The Pr. A.O, O/o Pr. CCA CBEC, may transfer the funds to the State, as detailed above, by issue of Inter Government Advice to the Reserve Bank of India.


(Rajendra Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. - 2309 2976

Copy to:

- | | |
|---|---|
| > Pr. CCA, CBEC with a request for further necessary action. | > Director (Budget), DEA |
| > Pr. Secretary / Secretary (Finance) of the State | > Under Secretary (IFU-III), DoR |
| > Commissioner (Commercial Tax) of the State | > Under Secretary (State Taxes-II), DoR |
| > Accountant General of the State (with request to make necessary accounting entries under SGST | |



No. S.31013/16/2017-ST-I-DoR/9
 Government of India
 Ministry of Finance
 Department of Revenue
 (State Taxes Division)

North Block, New Delhi
 Dated the 29th Oct, 2018

To,

The Pr. Accounts Officer
 O/o Pr. CCA, CBEC, (Central Accounting Authority of GST)
 1st Floor, AGOR Building, I.P. Estate, New Delhi

Subject: Sanction of Provisional Settlement of IGST for the Return filing month of October, 2018 regarding.

Sanction of the President is hereby conveyed for transfer of funds to the State of Uttar Pradesh, as detailed below: towards settlement of Integrated Goods and Services Tax collected by the Centre on the basis of the cross utilization of Input Tax Credit of iGST and SGST/ UTGST and Apportionment in terms of the provisions of IGST Act 2017 and Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017:

RETURN FILING MONTH	<u>October, 2018</u>	STATE / UT CODE	<u>9</u>	
SETTLEMENT MONTH	<u>October, 2018</u>	STATE / UT NAME	<u>Uttar Pradesh</u>	
SL. No.	Settlement Description	GST STL No.	Functional Head	Credit Amount (In ₹)
1	IGST Liability adjusted against SGST/ JTGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.02	0008-02-106-01-09	470,22,02,727
2	SGST / UTGST liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.03	0008-02-106-02-09	-2013,12,92,250
3	Apportionment of IGST to the State/ UT	1.04, 1.05, 1.06, 1.09, 5.03	0003-02-953-09-00	-168,55,96,112
	GRAND TOTAL			-1711,46,85,635

2. The Pr. A.O., O/o Pr. CCA CBEC, may transfer the funds to the State, as detailed above, by issue of Inter Government Advice to the Reserve Bank of India.


 (Rajendra Kumar)
 Under Secretary to the Govt. of India
 Tel. - 2309 2976

Copy to:

- Pr. CCA, CBEC with a request for further necessary action.
- Pr. Secretary / Secretary (Finance) of the State
- Commissioner (Commercial Tax) of the State
- Accountant General of the State (with request to make necessary accounting entries under SGST)
- Director (Budget), DEA
- Under Secretary (IFU-III), DoR
- Under Secretary (State Taxes-II), DoR



No. S.31013/16/2017-ST-I-DoR/9
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(State Taxes Division)

North Block, New Delhi
Dated the 28th Nov, 2018

To,

The Pr. Accounts Officer

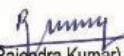
O/o Pr. CCA, CBEC, (Central Accounting Authority of GST)
1st Floor, AGCR Building, I.P. Estate, New Delhi

Subject: Sanction of Provisional Settlement of IGST for the Return filing month of November, 2018 regarding.

Sanction of the President is hereby conveyed for transfer of funds to the State of Uttar Pradesh, as detailed below, towards settlement of Integrated Goods and Services Tax collected by the Centre on the basis of the cross utilization of Input Tax Credit of IGST and SGST/ UTGST and Apportionment in terms of the provisions of IGST Act 2017 and Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017:

RETURN FILING MONTH	<u>November, 2018</u>	STATE / UT CODE	<u>9</u>	
SETTLEMENT MONTH	<u>November, 2018</u>	STATE / UT NAME	<u>Uttar Pradesh</u>	
SL. No.	Settlement Description	GST STL No.	Functional Head	Credit Amount (In ₹)
1	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.02	0008-02-106-01-09	492,50,59,421
2	SGST / UTGST liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.03	0008-02-106-02-09	-2159,43,58,117
3	Apportionment of IGST to the State/ UT	1.04, 1.05, 1.06, 1.09, 5.03	0008-02-953-09-00	-214,80,13,897
			GRAND TOTAL	-1881,73,12,593

2. The Pr. A O, O/o Pr. CCA CBEC, may transfer the funds to the State, as detailed above, by issue of Inter Government Advice to the Reserve Bank of India.


(Rajendra Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. - 2309 2976

Copy to:

- Pr. CCA, CBEC with a request for further necessary action.
- Pr. Secretary / Secretary (Finance) of the State
- Commissioner (Commercial Tax) of the State
- Accountant General of the State (with request to make necessary accounting entries under SGST)
- Director (Budget), DEA
- Under Secretary (IFU-III), DoR
- Under Secretary (State Taxes-II), DoR



No. S.31013/16/2017-ST-I-DoR/9
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(State Taxes Division)

North Block, New Delhi
Dated the 27th Dec, 2018

To,

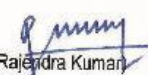
The Pr. Accounts Officer
O/o Pr. CCA, CBEC, (Central Accounting Authority of GST)
1st Floor, AGCR Building, I.P. Estate, New Delhi

Subject: Sanction of Provisional Settlement of IGST for the Return filing month of December, 2018 regarding.

Sanction of the President is hereby conveyed for transfer of funds to the State of Uttar Pradesh, as detailed below, towards settlement of Integrated Goods and Services Tax collected by the Centre on the basis of the cross utilization of Input Tax Credit of IGST and SGST/ UTGST and Apportionment in terms of the provisions of IGST Act 2017 and Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017:

RETURN FILING MONTH	<u>December, 2018</u>	STATE / UT CODE	<u>9</u>	
SETTLEMENT MONTH	<u>December, 2018</u>	STATE / UT NAME	<u>Uttar Pradesh</u>	
SL. No.	Settlement Description	GST STL No.	Functional Head	Credit Amount (In ₹)
1	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.02	0008-02-106-01-09	378,03,97,599
2	SGST / UTGST liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.03	0008-02-106-02-09	-2211,18,68,410
3	Apportionment of IGST to the State/ UT	1.04, 1.05, 1.06, 1.09, 5.03	0008-02-953-09-00	-161,90,19,760
GRAND TOTAL				-1995,04,90,571

2. The Pr. A O, O/o Pr. CCA CBEC, may transfer the funds to the State, as detailed above, by issue of Inter Government Advice to the Reserve Bank of India.


(Rajendra Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. - 2309 2976

Copy to:

- Pr. CCA, CBEC with a request for further necessary action.
- Pr. Secretary / Secretary (Finance) of the State
- Commissioner (Commercial Tax) of the State
- Accountant General of the State (with request to make necessary accounting entries under SGST)
- Director (Budget), DEA
- Under Secretary (IFU-III), DoR
- Under Secretary (State Taxes-II), DoR



No. S.31013/16/2017-ST-I-DoR/9
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(State Taxes Division)

North Block, New Delhi
Dated the 29th Jan, 2019

To,

The Pr. Accounts Officer
O/o Pr. CCA, CBEC, (Central Accounting Authority of GST)
1st Floor, AGCR Building, I.P. Estate, New Delhi

Subject: Sanction of Provisional Settlement of IGST for the Return filing month of January, 2019 regarding.

Sanction of the President is hereby conveyed for transfer of funds to the State of Uttar Pradesh, as detailed below, towards settlement of Integrated Goods and Services Tax collected by the Centre on the basis of the cross utilization of Input Tax Credit of IGST and SGST/ UTGST and Apportionment in terms of the provisions of IGST Act 2017 and Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017:

RETURN FILING MONTH	<u>January, 2019</u>	STATE / UT CODE	<u>9</u>	
SETTLEMENT MONTH	<u>January, 2019</u>	STATE / UT NAME	<u>Uttar Pradesh</u>	
SL. No.	Settlement Description	GST STL No.	Functional Head	Credit Amount (In ₹)
1	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.02	0008-02-106-01-09	445,62,75,041
2	SGST / UTGST liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.03	0008-02-106-02-09	-2087,99,81,403
3	Apportionment of IGST to the State/ UT	1.04, 1.05, 1.06, 1.09, 5.03	0008-02-953-09-00	-188,76,17,208
			GRAND TOTAL	-1831,13,23,570

2. The Pr. A O, O/o Pr. CCA CBEC, may transfer the funds to the State, as detailed above, by issue of Inter Government Advice to the Reserve Bank of India.

(N. Gandhi Kumar)

Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel. - 2309 2613

Copy to:

- Pr. CCA, CBEC with a request for further necessary action.
- Pr. Secretary / Secretary (Finance) of the State
- Commissioner (Commercial Tax) of the State
- Accountant General of the State (with request to make necessary accounting entries under SGST)
- Director (Budget), DEA
- Under Secretary (IFU-III), DoR
- Under Secretary (State Taxes-II), DoR



No. S.31013/16/2017-ST-I-DoR/9
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(State Taxes Division)

North Block, New Delhi
Dated the 26th Feb, 2019

To,

The Pr. Accounts Officer

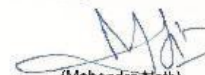
O/o Pr. CCA, CBEC, (Central Accounting Authority of GST)
1st Floor, AGCR Building, I.P. Estate, New Delhi

**Subject: Sanction of Provisional Settlement of IGST for the Return filing month of February, 2019-
regarding.**

Sanction of the President is hereby conveyed for transfer of funds to the State of Uttar Pradesh, as detailed below, towards settlement of Integrated Goods and Services Tax collected by the Centre on the basis of the cross utilization of Input Tax Credit of IGST and SGST/ UTGST and Apportionment in terms of the provisions of IGST Act 2017 and Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017:

RETURN FILING MONTH	<u>February, 2019</u>	STATE / UT CODE	<u>9</u>	
SETTLEMENT MONTH	<u>February, 2019</u>	STATE / UT NAME	<u>Uttar Pradesh</u>	
SL. No.	Settlement Description	GST STL No.	Functional Head	Credit Amount (In ₹)
1	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.02	0008-02-106-01-09	398,75,77,137
2	SGST / UTGST liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.03	0008-02-106-02-09	-2027,81,98,117
3	Apportionment of IGST to the State/ UT	1.04, 1.05, 1.06, 1.09, 5.03	0008-02-953-09-00	-214,50,00,723
			GRAND TOTAL	-1843,56,21,703

2. The Pr. A O, O/o Pr. CCA CBEC, may transfer the funds to the State, as detailed above, by issue of Inter Government Advice to the Reserve Bank of India.


(Mahendra Nath)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel. - 2309 2419

Copy to:

- Pr. CCA, CBEC with a request for further necessary action.
- Pr. Secretary / Secretary (Finance) of the State
- Commissioner (Commercial Tax) of the State
- Accountant General of the State (with request to make necessary accounting entries under SGST)
- Director (Budget), DEA
- Under Secretary (IFU-III), DoR
- Under Secretary (State Taxes-II), DoR



No. S.31013/16/2017-ST-I-DoR/9
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(State Taxes Division)

North Block, New Delhi
Dated the 27th Mar, 2019

To,

The Pr. Accounts Officer

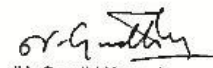
O/o Pr. CCA, CBEC, (Central Accounting Authority of GST)
1st Floor, AGCR Building, I.P. Estate, New Delhi

Subject: Sanction of Provisional Settlement of IGST for the Return filing month of March, 2019 - regarding.

Sanction of the President is hereby conveyed for transfer of funds to the State of Uttar Pradesh, as detailed below, towards settlement of Integrated Goods and Services Tax collected by the Centre on the basis of the cross utilization of Input Tax Credit of IGST and SGST/ UTGST and Apportionment in terms of the provisions of IGST Act 2017 and Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2017:

RETURN FILING MONTH	<u>March, 2019</u>	STATE / UT CODE	<u>9</u>	
SETTLEMENT MONTH	<u>March, 2019</u>	STATE / UT NAME	<u>Uttar Pradesh</u>	
SL. No.	Settlement Description	GST STL No.	Functional Head	Credit Amount (In ₹)
1	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.02	0008-02-106-01-09	392,96,46,591
2	SGST / UTGST liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization)	1.03	0008-02-106-02-09	-1955,31,29,064
3	Apportionment of IGST to the State/ UT	1.04, 1.05, 1.06, 1.09, 5.03	0008-02-953-09-00	-164,98,60,325
			GRAND TOTAL	-1727,33,42,798

2. The Pr. A O, O/o Pr. CCA CBEC, may transfer the funds to the State, as detailed above, by issue of Inter Government Advice to the Reserve Bank of India.


(N. Gandhi Kumar)

Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel. - 2309 2976

Copy to:

- Pr. CCA, CBEC with a request for further necessary action.
- Pr. Secretary / Secretary (Finance) of the State
- Commissioner (Commercial Tax) of the State
- Accountant General of the State (with request to make necessary accounting entries under SGST)
- Director (Budget), DEA
- Under Secretary (IFU-III), DoR
- Under Secretary (State Taxes-II), DoR



पत्र संख्या : 275 /जी0एस0टी0/2017-18/ F.11.10.118 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ दिनांक : 01/07/2017

कार्यालय आदेश

उ0प्र0माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उ0प्र0अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 2 की उपधारा (91) में अधिनियम की विभिन्न धाराओं में अंकित "उचित अधिकारी" (Proper Officer) को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

"इस अधिनियम के अधीन पालन किये जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में "उचित अधिकारी" से राज्य कर का ऐसा आयुक्त या अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा वह कृत्य सौंपा गया है "

उ0प्र0माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उ0प्र0अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश को निम्न अधिकार प्रदान किये गये हैं :-

"आयुक्त के पास सम्पूर्ण राज्य की अधिकारिता होगी, विशेष आयुक्त तथा किसी अपर आयुक्त को समनुदेशित समस्त कृत्यों या किसी कृत्य के संबंध में उनके पास सम्पूर्ण राज्य की अधिकारिता होगी अथवा जहां राज्य सरकार निर्देश दे राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता होगी और अन्य समस्त अधिकारियों के पास यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सम्पूर्ण राज्य की अधिकारिता होगी अथवा ऐसे स्थानीय क्षेत्रों पर अधिकारिता होगी जैसा कि आयुक्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें "

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 3 का परन्तुक निम्नवत है- "परन्तु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझा जायेगा।"

1- उ0प्र0माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उ0प्र0अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की विभिन्न धाराओं में उल्लिखित कृत्य के संबंध में उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 2 (91) तथा धारा 4(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत राज्य कर खण्डों के अधिक्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं को इस परिपत्र के अनुलग्नक "क" के अनुसार, राज्य कर के मण्डलों की भौगोलिक सीमा इस परिपत्र के अनुलग्नक "ख" के अनुसार, राज्य कर के सम्भाग एवं जोन की भौगोलिक सीमा इस परिपत्र के अनुलग्नक "ग" के अनुसार अवधारित करता हूँ।

2- उ0प्र0माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उ0प्र0अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 2 (91) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश, उक्त



अधिनियम की विभिन्न धाराओं के स्तम्भ में नीचे अंकित तालिका के स्तम्भ 2 में अंकित अधिकारियों को उनके सम्मुख स्तम्भ 3 में अंकित अधिनियम की धाराओं के प्रयोजन हेतु उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित करता हूँ:-

क्र०सं०	अधिकारी का पदनाम	उ०प्र०माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उ०प्र०अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा
1	2	3
1	1. खण्ड में तैनात राज्य कर के उप आयुक्त 2. खण्ड में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त 3. खण्ड में तैनात राज्य कर अधिकारी	10, 35, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67(11), 68, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 123, 126, 127, 129, 130, 142
2	1. खण्ड में तैनात राज्य कर के उप आयुक्त 2. खण्ड में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त	25, 27, 28, 29, 30, 60
3	जोन में तैनात संयुक्त आयुक्त कारपोरेट सर्किल	28, 29, 30, 60, 35, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67(11), 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 123, 126, 127, 129, 130, 142
4	1. वि०अनु०शा० इकाई में तैनात राज्य कर के उप आयुक्त 2. वि०अनु०शा० इकाई में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त 3. वि०अनु०शा० इकाई में तैनात राज्य कर अधिकारी	68, 70, 126, 127, 129, 130
5	1. जोन में तैनात राज्य कर के संयुक्त आयुक्त (टैक्स आडिट) 2. जोन में तैनात राज्य कर के उप आयुक्त (टैक्स आडिट) 3. जोन में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त (टैक्स आडिट)	65, 66
6	1. सम्भाग में तैनात राज्य कर के संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) 2. सम्भाग में तैनात राज्य कर के संयुक्त आयुक्त (वि०अनु०शा०)	67, 68, 70, 71, 72
7	1. सचलदल में तैनात राज्य कर के उप आयुक्त 2. सचलदल में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त 3. सचलदल में तैनात राज्य कर अधिकारी	67(11), 68, 70, 126, 127, 129, 130

स्तम्भ 2 में अंकित अधिकारी उनके सम्मुख स्तम्भ 3 में अंकित धाराओं के सम्बन्ध में उचित अधिकारी होंगे एवं उन्हें पूरे प्रदेश की अधिकारिता निम्न शर्तों के अधीन प्राप्त होगी:-

1. खण्ड में तैनात उप आयुक्त राज्य कर, सहायक आयुक्त राज्य कर एवं राज्य कर अधिकारी सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपने खण्ड के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे तथा सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक) द्वारा अधिकृत किये जाने पर सम्भाग के भौगोलिक क्षेत्र एवं जोन में तैनात अपर आयुक्त ग्रेड-1 द्वारा अधिकृत किये जाने पर जोन के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेंगे। आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश अथवा अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिकृत किये जाने पर प्रदेश में सम्बन्धित जोन के बाहर किसी अन्य जोन के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेंगे।

2. सचलदल इकाई में तैनात उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त राज्य कर एवं राज्य कर अधिकारी अपने तैनाती के जनपद में कार्यवाही करेंगे तथा सम्भाग में तैनात संयुक्त आयुक्त (वि०अनु०शा०) द्वारा अधिकृत किये जाने पर सम्भाग के अधिकक्षेत्र में एवं जोन में तैनात अपर आयुक्त ग्रेड-2



(वि०अनु०शा०) अथवा अपर आयुक्त ग्रेड-1 द्वारा अधिकृत किये जाने पर जोन के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेंगे। आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश अथवा अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिकृत किये जाने पर प्रदेश में सम्बन्धित जोन के बाहर किसी अन्य जोन के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेंगे।

3. वि०अनु०शा० इकाई में तैनात उप आयुक्त राज्य कर, सहायक आयुक्त राज्य कर एवं राज्य कर अधिकारी अपनी तैनाती के सम्भाग में कार्यवाही करेंगे तथा जोन में तैनात अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) अथवा अपर आयुक्त ग्रेड-1 द्वारा अधिकृत किये जाने पर जोन के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेंगे। आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश अथवा अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिकृत किये जाने पर प्रदेश में सम्बन्धित जोन के बाहर किसी अन्य जोन के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेंगे।

4. सम्भाग में तैनात संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर, संयुक्त आयुक्त (वि०अनु०शा०), राज्य कर अपने सम्भाग के क्षेत्र में कार्यवाही कर सकेंगे। जोन में तैनात अपर आयुक्त, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०), राज्य कर एवं अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, द्वारा अधिकृत किये जाने पर जोन के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे। आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश अथवा अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिकृत किये जाने पर प्रदेश में सम्बन्धित जोन के बाहर किसी अन्य जोन के भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकेंगे।

5. संयुक्त आयुक्त कारपोरेट सर्किल, आयुक्त राज्य कर द्वारा जोन के विनिर्दिष्ट व्यापारियों के सम्बन्ध में, कार्यवाही करेंगे।

6. जोन में तैनात संयुक्त आयुक्त (टैक्स आडिट), राज्य कर, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०), राज्य कर एवं अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, अपने तैनाती के जोन में कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।

उक्त आदेश दिनांक 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे।

(मुकेश कुमार मिश्रा)

आयुक्त, राज्य कर/वाणिज्य कर उ०प्र०।



वाणिज्य कर विभाग का लेखाशीर्ष
0040 बिक्री/ वाणिज्य कर एवं 0006 राज्य वस्तु एवं सेवा कर

(ऑकड़े लाख रु० में)

	बजट अनुमान 2018-19
0040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर की प्राप्तियाँ	2207800.00
0006 राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्राप्तियाँ	4942200.00
वाणिज्य कर विभाग की कुल प्राप्तियाँ	7150000.00

0040-बिक्री, व्यापार आदि पर की प्राप्तियाँ :-

	बजट अनुमान 2018-19
101 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	48500.00
111 मूल्य संवर्धित कर(वैट) की प्राप्तियाँ	2134300.00
800 अन्य प्राप्तियाँ	25000.00
वाणिज्य कर विभाग की कुल प्राप्तियाँ	2207800.00

व्योरेवार लेखा संख्या-0040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर

101 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	
01 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	48500.02
80 घटायें- वापसियाँ	-0.02
योग-101	48500.00

व्योरेवार लेखा संख्या-0040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर

111 मूल्य संवर्धित कर(वैट) की प्राप्तियाँ	
01 कर संग्रहण	2231608.17
02 अधिभार	-
03 लाइसेन्स और रजिस्ट्री फीस	600.00
04 अन्य प्राप्तियाँ	250.00
05 उ०प्र०, माल के प्रवेश पर कर के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	
0501-कर संग्रहण	0
0502-प्रवेश कर पंजीयन शुल्क	-
योग-05	0
80 घटायें- वापसियाँ	98158.17
योग-111	2134300.00

व्योरेवार लेखा संख्या-0040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर

800 अन्य प्राप्तियाँ	
01 अन्य प्राप्तियाँ	25000.00
02 अन्य विविध प्राप्तियाँ	-
03 केन्द्रीय बिक्रीकर की क्षतिपूर्ति	-
80 घटायें- वापसियाँ	-
योग-800	25000.00



शीर्ष/ उपशीर्ष	विवरण	आय-व्ययक अनुमान 2018-19
0006-राज्य वस्तु एवं सेवाकर		
101-	कर	2530874.00
102-	ब्याज	500.00
103-	शास्ति	400.00
104-	शुल्क	70.00
105-	आई0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 के इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रास यूटिलाइजेशन	1613520.00
106-	कर घटक का समानुपातिक विभाजन	202572.00
107-	ब्याज घटक का समानुपातिक विभाजन	50.00
108-	शास्ति घटक का समानुपातिक विभाजन	50.00
109-	जब्तशुदा सामान की बिक्री से प्राप्तियाँ	8.00
110-	आई0जी0एस0टी0 में से अग्रिम बँटवारा	0
500-	अन्तरण हेतु लम्बित प्राप्तियाँ	5.00
800-	अन्य प्राप्तियाँ	594151.00
	योग:-0006	4942200.00
ब्योरेवार लेखा शीर्ष 0006-राज्य वस्तु एवं सेवाकर		
101-	कर	
01-	कर संग्रहण	2580874.00
02-	वापसियाँ	
201-	जमा किये गये अधिक कर की वापसी	-50.00
202-	निर्यात	-55.00
0203-	डीम्ड निर्यात	0.00
0204-	अनन्तिम निर्धारण	0.00
0205-	अपील दाखिल करने के लिये पूर्व जमा राशि	-500.00
0206-	जांच के दौरान भुगतानित कर की वापसी	-50.00
0207-	दूतावासों द्वारा की गई खरीद	0.00
0208-	कर ढाँचे में बदलाव के कारण संग्रहीत क्रेडिट की वापसी	-25000.00
0209-	वर्ष के अन्त में अथवा मात्रा के आधार पर प्रोत्साहन	-95.00
0210-	विदेश पर्यटकों की पर वापसी	-250.00
0211-	अन्य वापसियाँ	-24000.00



	योग:-02	-50000.00
	योग:-101	2530874.00
ब्योरेवार लेखा शीर्ष 0006-राज्य वस्तु एवं सेवाकर		
102-	ब्याज	
	01-ब्याज संग्रहण	550.00
	02-ब्याज वापसी	-50.00
	योग:-102	500.00
ब्योरेवार लेखा शीर्ष 0006-राज्य वस्तु एवं सेवाकर		
103-	शास्ति	
	01-शास्ति संग्रहण	410.00
	02-शास्ति की वापसी	-10.00
	योग:-103	400.00
ब्योरेवार लेखा शीर्ष 0006-राज्य वस्तु एवं सेवाकर		
104-	शुल्क	
	01-शुल्क संग्रहण	75.00
	02-शुल्क वापसी	-5.00
	योग:-104	70.00
ब्योरेवार लेखा शीर्ष 0006-राज्य वस्तु एवं सेवाकर		
105-	आई0जी0एस0टी0एवं एस0जी0एस0टी0 के इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रास यूटिलाइजेशन	
	01-आई0जी0एस0टी0 से अन्तरण	1894896.00
	02-आई0जी0एस0टी0 को अन्तरण	-281376.00
	योग:-105	1613520.00
ब्योरेवार लेखा शीर्ष 0006-राज्य वस्तु एवं सेवाकर		
106-	कर घटक का समानुपातिक विभाजन	
	01-कर घटक का समानुपातिक विभाजन	202572.00
	योग:-106	202572.00
ब्योरेवार लेखा शीर्ष 0006-राज्य वस्तु एवं सेवाकर		
107-	ब्याज घटक का समानुपातिक विभाजन	
	01-ब्याज घटक का समानुपातिक विभाजन	50.00
	योग:-107	50.00
ब्योरेवार लेखा शीर्ष 0006-राज्य वस्तु एवं सेवाकर		
108-	शास्ति घटक का समानुपातिक विभाजन	
	01-शास्ति घटक का समानुपातिक विभाजन	50.00
	योग:-108	50.00



ब्योरेवार लेखा शीर्ष 0006-राज्य वस्तु एवं सेवाकर		
109-	जब्तशुदा सामान की बिक्री से प्राप्तियों	
	01- जब्तशुदा सामान की बिक्री से प्राप्तियों	8.00
	02-शुल्क,जुर्माना एवं दण्ड	0
	योग:- 109	8.00
ब्योरेवार लेखा शीर्ष 0006-राज्य वस्तु एवं सेवाकर		
110-	आई0जी0एस0टी0 में से अग्रिम बँटवारा	
	01- आई0जी0एस0टी0 में से अग्रिम बँटवारा	0
	योग- 110	0
ब्योरेवार लेखा शीर्ष 0006-राज्य वस्तु एवं सेवाकर		
500-	अन्तरण हेतु लम्बित प्राप्तियों	
	01-अन्तरण हेतु लम्बित प्राप्तियों-जमा	5.00
	02- अन्तरण हेतु लम्बित प्राप्तियों-वापसी	0
	योग:-500	5.00
ब्योरेवार लेखा शीर्ष 0006-राज्य वस्तु एवं सेवाकर		
800-	अन्य प्राप्तियों	
	01-संग्रहण	0
	02-घटाइये वापसियों	0
	03-केन्द्र सरकार से राज्य वस्तु एवं सेवाकर हेतु मुआवजे की प्राप्तियों	594151.00
	योग:-800	594151.00
	योग-0006	4942200.00

नोट- वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, महालेखा नियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली के शुद्धि पर्ची संख्या-896 दि० 31-03-2018 के द्वारा 0006-110 का नया लेखाशीर्ष आई0जी0एस0टी0 में से अग्रिम बँटवारा का लघुशीर्ष अन्तर्स्थापित किया गया है, जो वर्ष 2017-18 से प्रभावी होगा। जिसे उपरोक्त तालिका में 0006-109 के अगली पंक्ति में जोड़ दी गई है। **प्रति संलग्न**



Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 896
Dated: 31-03-2018

Page No. 1 (Reprint of Fourth Edition)

Major Head: 0006 State Goods and Services Tax (SGST)

Insert following new Minor Heads below existing Minor Head '109-Sale Proceeds of Confiscated Goods' (incorporated vide CS 848 dated 19-06-2017):

110 Advance apportionment from IGST

(Effective from 2017-18):
(Authority T-14018/09/2016/GST/Code)

(Vinay Singha)
Sr. Accounts Officer (Code)

विभाग लेखा
व्यय विभाग
सहायक निबंधक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ राज्य राज्य के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों को सूची

शुद्धि संख्या: 896
दिनांक: 31-03-2018

पृष्ठ संख्या : 1 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष : 0006 - राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी)

निम्नलिखित नए लघु शीर्ष को विभाग लघु शीर्ष '109- जबर सामान से विक्रय आय'
(शुद्धि पत्र 848 दिनांक 19-06-2017 द्वारा अंतः स्थापित) के नीचे अंतः स्थापित करें:

110 आईजीएसटी में से अग्रिम बंटवारा

(2017-18 से प्रभावी)
(प्राधिकार टी-14018/09/2016/जीएसटी/कोड)

(विनाय सिंघल)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड)



Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 879

Dated: 01-01-2018

Page No. 77 (Reprint of Fourth Edition)

Major Head: 1601- Grants-in-aid from Central Government

Sub-Major Head: 08- Other Transfer/Grants to States/Union Territories with Legislatures

Insert the following Minor Head's below existing Minor Head '113- Special Assistance' (inserted vide correction slip No. CS 829 dated 06-01-2017)

114- Compensation for loss of revenue arising out of implementation of GST

(Effective from 2017-18)

(Authority T-14018/09/2015/GST:Code)

(Vinay Singhal)
Sr. Accounts Officer (Codes)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महाराष्ट्र निर्वाह विभाग
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा सहायक लेखकों के सूची

शुद्धि जारी संख्या, 879
दिनांक, 01-01-2018

पृष्ठ संख्या : 77 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्षक : 1601 - केंद्रीय सरकार से सहायता (अनुदान)

उप मुख्य शीर्षक : 08 - राज्यों/विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान

निम्नलिखित नए शीर्षक को विभाग/सहाय शीर्षक '113 - विशेष सहायता' (शुद्धि पर्व) संख्या 829 दिनांक 06.01.2017 द्वारा अंतर्भावित के नीचे अंतर्भावित करें:

114 - वस्तु और सेवा कर लागू किए जाने के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए प्रतिकृति

(2017-18 से प्रभावी)

(अधिकार टी-14018/09/2015/जीएसटी:कोड)

(विनाय सिंघल)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड)



पत्र संख्या:: जी0एस0टी0/2017-18/

1088/वाणिज्य कर

कार्यालय: कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0
(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: 05 दिसम्बर, 2017

:: आदेश ::

विषय:- केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य उत्तर प्रदेश में पंजीकृत करदाताओं का विभाजन।

उत्तर प्रदेश में पंजीकृत करदाताओं का विभाजन केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य किये जाने के सम्बन्ध में जी.एस.टी. काउंसिल सचिवालय के परिपत्र संख्या- 01/2017 जारी किए गए विज्ञप्ति संख्या-166/cross Empowerment/GSTC/2017 दिनांक 20.09.2017 के क्रम में गठित राज्य स्तरीय समिति जिसमें श्री पी0एम0 गोवांडे, चीफ कमिश्नर सेन्ट्रल टैक्स, लखनऊ जोन, श्री सैयद हैदर हसन, चीफ कमिश्नर सेन्ट्रल टैक्स, मेरठ जोन एवं श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश सम्मिलित हैं, द्वारा राज्य में पंजीकृत करदाताओं के केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य विभाजन हेतु निम्न प्रकार निर्णय लिया गया -

1. ₹0 1.50 करोड़ से अधिक टर्नओवर के करदाता :-

(a) केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले करदाता- (41,122 करदाताओं की सूची अनुलग्नक "A1" में प्रकाशित है)

Sl.No.	Taxpayer's Name	GSTIN
1.	ARUN KUMAR	09CJZPK6457R1ZP
4122	MAHARAJA AWASTHI	09AGBPA5102E1Z7

(b) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले करदाता- (41,122 करदाताओं की सूची अनुलग्नक "B1" में प्रकाशित है)

Sl.No.	Taxpayer's Name	GSTIN
1.	S B ORNAMENTS PRIVATE LIMITED	09AAJCS0086N1ZS
4122	MADHULIKA SINGH	09AMZPS6085L1ZP

2. ₹0 1.50 करोड़ तक टर्नओवर के करदाता :-

(a) केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले करदाता- (61,522 करदाताओं की सूची अनुलग्नक "A2" में प्रकाशित है)



Sl.No.	Taxpayer's Name	GSTIN
1.	TAJ TOURS & TRAVELS	09AAAF6839J1ZP
61.522	RAVI SHANKAR SINGH	09DUQPS8882B1ZR

(b) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले करदाता— (5,53,691 करदाताओं की सूची अनुलग्नक "B2" में प्रकाशित है)

Sl.No.	Taxpayer's Name	GSTIN
1.	RAKESH FERTILIZER AGENCY	09AACFR2287G1Z2
553691	ARADHANA SRIVASTAVA	09EAXPS6401L1ZS

3. समस्त वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संस्थाओं/एसोसिएशन/चेयरमैन ऑफ कॉमर्स से यह निवेदन है कि उपरोक्त आदेश से सम्बन्धित सूचना अपने समस्त सदस्यों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

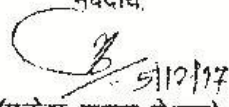
नोट:— उपरोक्त सूची विभागीय वेबसाइट www.comtax.up.nic.in में जी.एस.टी. पोर्टल के अन्तर्गत उपलब्ध Tab- "Taxpayers Jurisdiction (Center/State)" को क्लिक करके अवलोकित की जा सकती है :-

नोट: 1. केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अधीन रू0 1.50 करोड़ से अधिक टर्नओवर के करदाता की सूची "A1"

2. राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अधीन रू0 1.50 करोड़ से अधिक टर्नओवर के करदाता की सूची "B1"

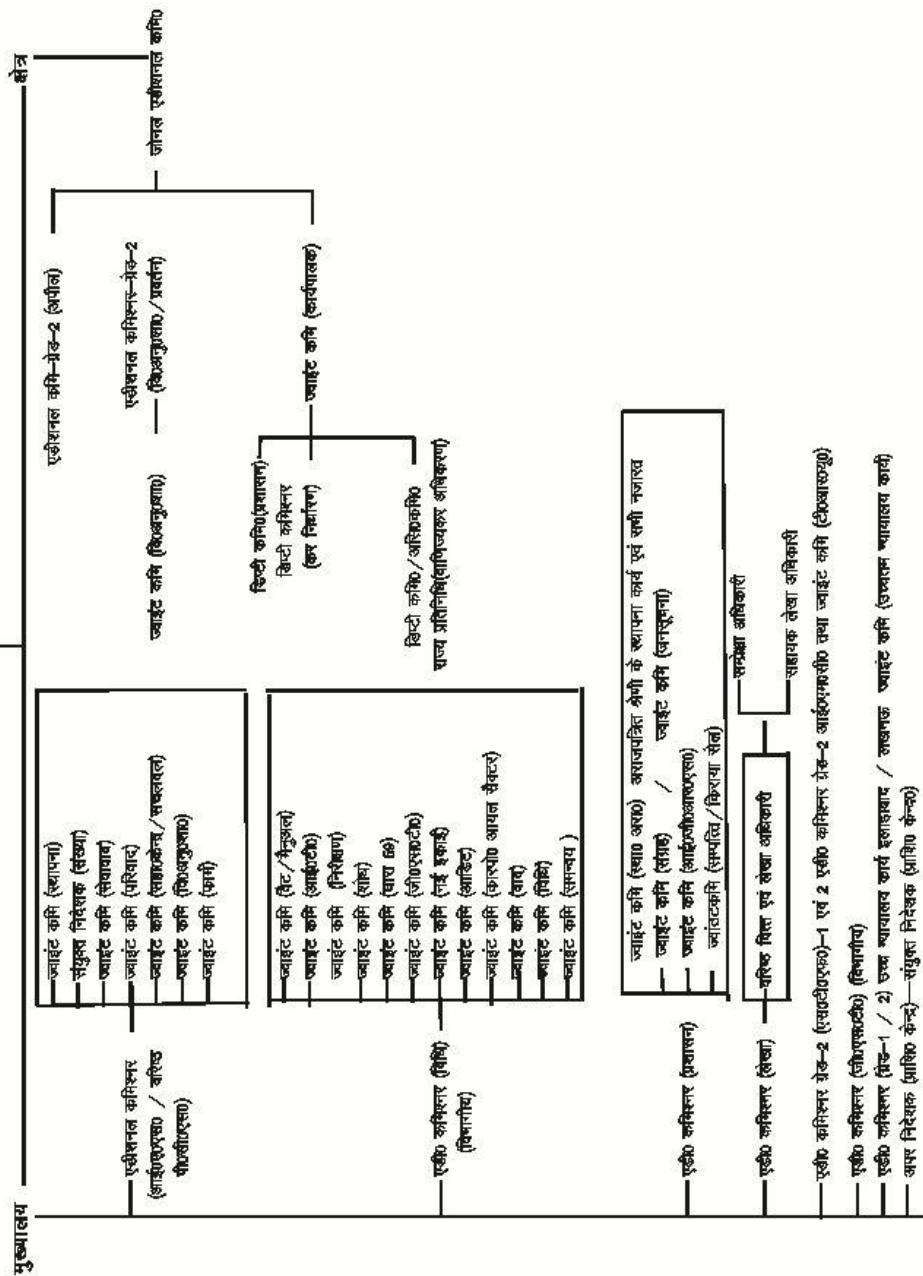
3. केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अधीन रू0 1.50 करोड़ तक टर्नओवर के करदाता की सूची "A2"

4. राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अधीन रू0 1.50 करोड़ तक टर्नओवर के करदाता की सूची "B2"

भवदीय,

 (मुकेश कुमार मिश्र)
 कमिश्नर वाणिज्य कर,
 उत्तर प्रदेश लखनऊ।



वाणिज्य कर विभाग का प्रशासनिक ढांचा
अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर, उ.प्र. शासन
कमिशनर, वाणिज्य कर, उ.प्र.





Head Quarter Officers mail id address

S.No.	Office	e-mail Address
1	Commissioner, Commercial Tax,	ctcomhqlu-up@ncl.in
2	Additional Commissioner, Commercial Tax,	cta1comhqlu-up@ncl.in
3	Additional Commissioner, Commercial Tax,	cta2comhqlu-up@ncl.in
4	Additional Commissioner, (Administration) Commercial Tax,	cta3comhqlu-up@ncl.in
5	Additional Commissioner, (Account) Commercial Tax,	cta4comhqlu-up@ncl.in
6	Additional Commissioner, (Vidhi) Commercial Tax,	cta5comhqlu-up@ncl.in
7	Joint Commissioner (Establishment) Commercial Tax, Head Quarter	ctestbhqlu-up@ncl.in
8	Joint Commissioner (Collection) Commercial Tax,, Head Quarter	ctcollhqlu-up@ncl.in
9	Joint Commissioner (Parivad) Commercial Tax,, Head Quarter	ctcomphqlu-up@ncl.in
10	Joint Commissioner (Vidhi) Commercial Tax, Head Quarter	ctlawhqlu-up@ncl.in
11	Joint Commissioner (Nirikshar) Commercial Tax, Head Quarter	ctinsphqlu-up@ncl.in
12	Joint Commissioner (Manual) Commercial Tax, Head Quarter	ctmanualhqlu-up@ncl.in
13	Joint Commissioner (Section 35) Commercial Tax, Head Quarter	ctsec35hqlu-up@ncl.in
14	Joint Commissioner (I.T.) Commercial Tax,, Head Quarter	ctithqlu-up@ncl.in
15	Joint Commissioner (Forms) Commercial Tax, Head Quarter	ctformshqlu-up@ncl.in
16	Joint Commissioner (Audit) Commercial Tax,, Head Quarter	ctaudithqlu-up@ncl.in
17	Joint Commissioner (S.I.B.) Commercial Tax,, Head Quarter	ctslbhqlu-up@ncl.in
18	Joint Commissioner (Statistics) Commercial Tax,, Head Quarter	ctstathqlu-up@ncl.in
19	Joint Commissioner (Checkpost) Commercial Tax, Head Quarter	ctcphqlu-up@ncl.in
20	Joint Commissioner (Nirman) Commercial Tax, Head Quarter	ctconshqlu-up@ncl.in
21	Joint Commissioner (New Unit) Commercial Tax, Head Quarter	ctnunitshqlu-up@ncl.in
22	Joint Commissioner (Police) Commercial Tax, Head Quarter	ctjcplhqlu-up@ncl.in
23	Joint Commissioner (Research) Commercial Tax, Head Quarter	ctreshqlu-up@ncl.in
24	Joint Commissioner (Vat) Commercial Tax,, Head Quarter	ctvathqlu-up@ncl.in
25	Joint Commissioner (Oil Sektore) Corporate Headquarter	ctchqlu-up@ncl.in
26	Deputy Commissioner & Prabhary Control Room Commercial Tax,, Head Quarter	ctenfohqlu-up@ncl.in



Zonal Additional Commissioner mail id address

S.No.	Office	e-mail Address
1	Additional Commissioner GR I Agra	ctzag-up@nic.in
2	Additional Commissioner GR I Aligarh	ctzal-up@nic.in
3	Additional Commissioner GR I Prayagraj	ctzah-up@nic.in
4	Additional Commissioner GR I Bareilly	ctzbr-up@nic.in
5	Additional Commissioner GR I Etawah	ctzew-up@nic.in
6	Additional Commissioner GR I Ayodhya	ctzfy-up@nic.in
7	Additional Commissioner GR I Ghaziabad	ctzgz-up@nic.in
8	Additional Commissioner GR I Ghaziabad II	ctz2gz-up@nic.in
9	Additional Commissioner GR I Gorakhpur	ctzgr-up@nic.in
10	Additional Commissioner GR I Jhansi	ctzjh-up@nic.in
11	Additional Commissioner GR I Kanpur	ctzkn-up@nic.in
12	Additional Commissioner GR I Kanpur II	ctz2kn-up@nic.in
13	Additional Commissioner GR I Lucknow	ctzlu-up@nic.in
14	Additional Commissioner GR I Lucknow II	ctz2lu-up@nic.in
15	Additional Commissioner GR I Meerut	ctzme-up@nic.in
16	Additional Commissioner GR I Moradabad	ctzmo-up@nic.in
17	Additional Commissioner Noida	ctzgb-up@nic.in
18	Additional Commissioner GR I Saharanpur	ctzsa-up@nic.in
19	Additional Commissioner GR I Varansi	ctzva-up@nic.in
20	Additional Commissioner GR I Varansi II	ctz2va-up@nic.in



Additional Commissioner Grade-2 (SIB) mail id address

S.No.	Office	e-mail Address
1	Additional Commissioner Gr II Agra	ctzgr2ag-up@nic.in
2	Additional Commissioner Gr II Aligarh	ctzgr2al-up@nic.in
3	Additional Commissioner Gr II Prayagraj	ctzgr2ah-up@nic.in
4	Additional Commissioner Gr II Bareilly	ctzgr2br-up@nic.in
5	Additional Commissioner Gr II Etawah	ctzgr2ew-up@nic.in
6	Additional Commissioner Gr II Ayodhya	ctzgr2fz-up@nic.in
7	Additional Commissioner Gr II Ghaziabad	ctzgr2gz-up@nic.in
8	Additional Commissioner Gr II Ghaziabad II	ctz2gr2gz-up@nic.in
9	Additional Commissioner Gr II Gorakhpur	ctzgr2gr-up@nic.in
10	Additional Commissioner Gr II Jhansi	ctzgr2jh-up@nic.in
11	Additional Commissioner Gr II Kanpur	ctzgr2kn-up@nic.in
12	Additional Commissioner Gr II Kanpur II	ctz2gr2kn-up@nic.in
13	Additional Commissioner Gr II Lucknow	ctzgr2lu-up@nic.in
14	Additional Commissioner Gr II Lucknow II	ctz2gr2lu-up@nic.in
15	Additional Commissioner Gr II Meerut	ctzgr2me-up@nic.in
16	Additional Commissioner Gr II Moradabad	ctzgr2mo-up@nic.in
17	Additional Commissioner Gr II Noida	ctzgr2gb-up@nic.in
18	Additional Commissioner Gr II Saharanpur	ctzgr2sa-up@nic.in
19	Additional Commissioner Gr II Varansi	ctzgr2va-up@nic.in
20	Additional Commissioner Gr II Varansi II	ctz2gr2va-up@nic.in



Joint Commissioner (Corporate) mail id address

S.No.	Office	e-mail Address
1	JC Corporate Ghaziabad I	ctc1gz-up@nic.in
2	JC Corporate Ghaziabad II	ctc2gz-up@nic.in
3	JC Corporate Lucknow I	ctc1lu-up@nic.in
4	JC Corporate Lucknow II	ctc2lu-up@nic.in
5	JC Corporate Kanpur I	ctc1kn-up@nic.in
6	JC Corporate Kanpur II	ctc2kn-up@nic.in
7	JC Corporate Agra	ctcag-up@nic.in
8	JC Corporate Etawa	ctcew-up@nic.in
9	JC Corporate G B Nagar	ctcgb-up@nic.in
10	JC Corporate Prayagraj	ctcah-up@nic.in
11	JC Corporate Aligarh	ctcal-up@nic.in
12	JC Corporate Bareilly	ctcbr-up@nic.in
13	JC Corporate Varanasi I	ctc1va-up@nic.in
14	JC Corporate Varanasi II	ctc2va-up@nic.in
15	JC Corporate Shaharanpur	ctcss-up@nic.in
16	JC Corporate Meerut	ctcme-up@nic.in
17	JCCorporateMoradabad	ctcmo-up@nic.in
18	JC Corporate Gorakhpur	ctcgr-up@nic.in
19	JC Corporate Ayodhya	ctcfz-up@nic.in
20	JC Corporate Jhansi	ctcjh-up@nic.in



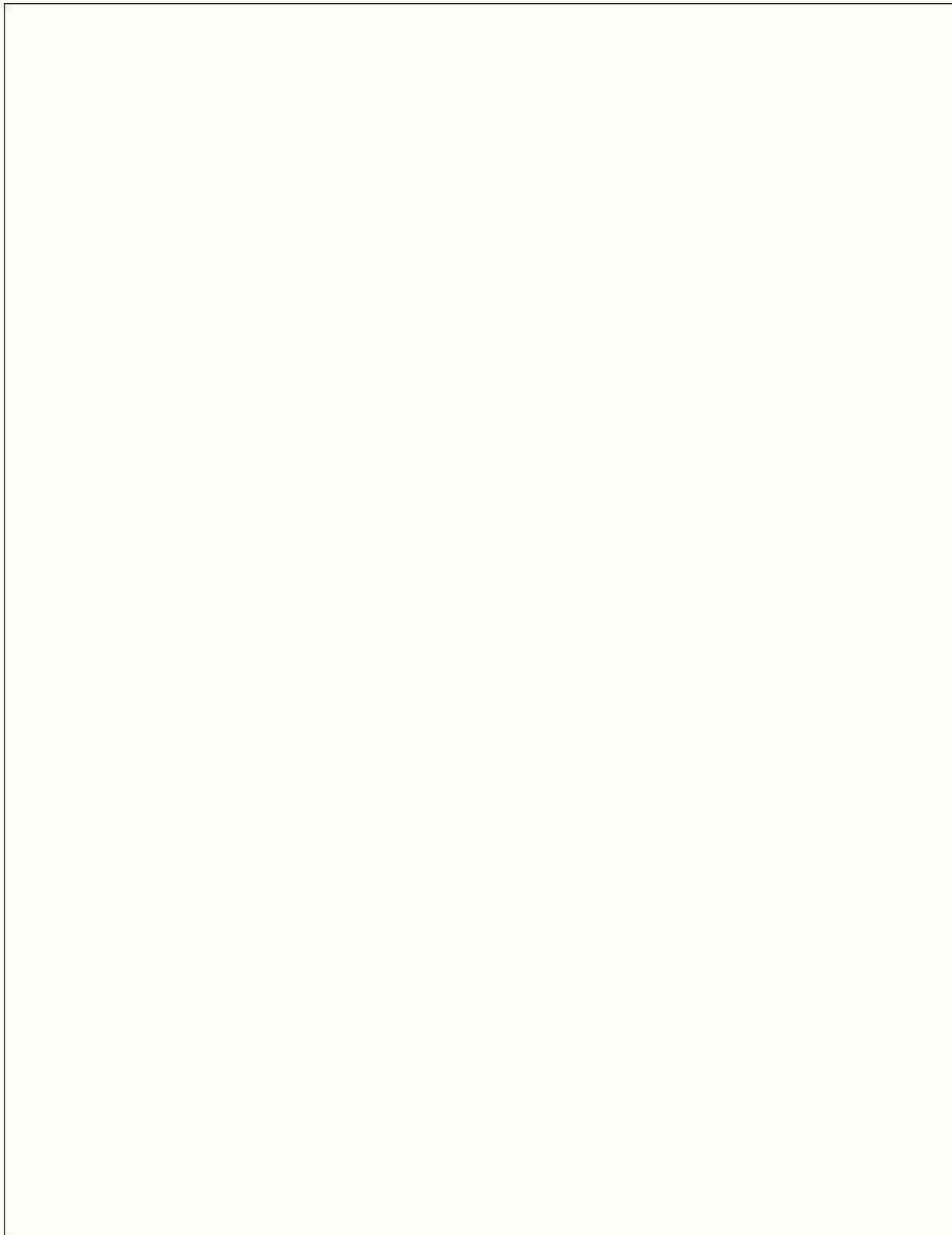
Joint Commissioner (E)

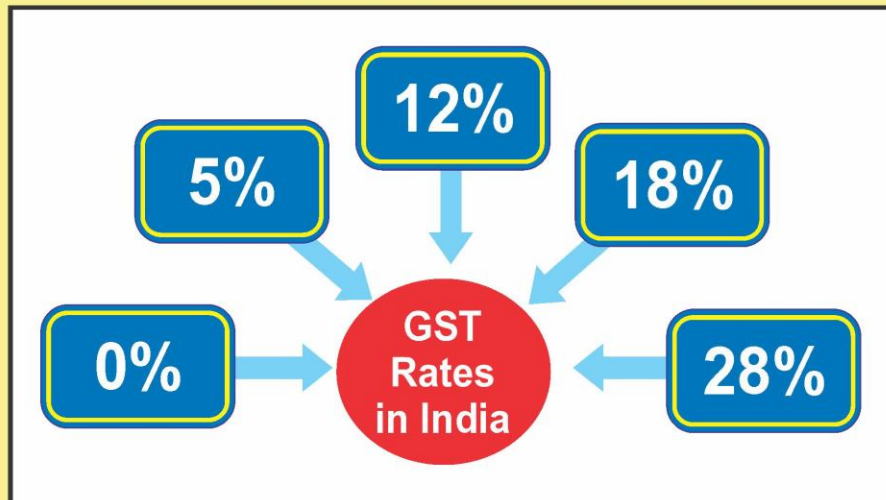
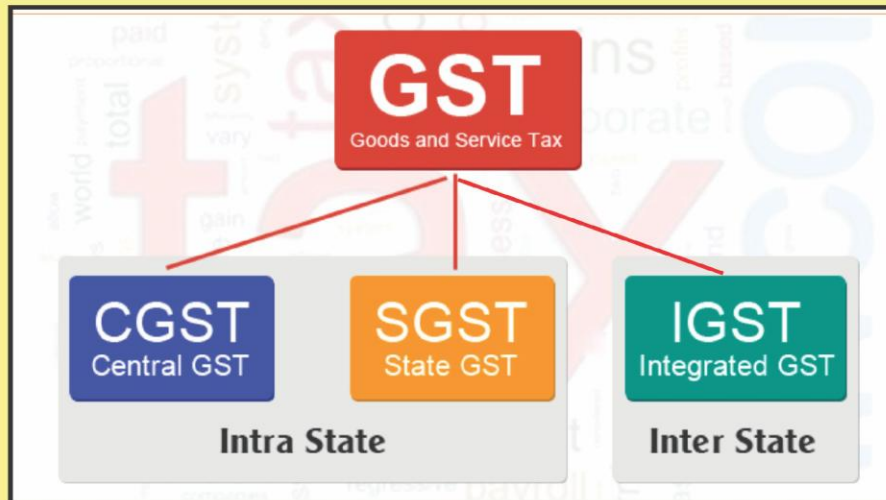
S.No.	Office	e-mail Address
1	Joint Commissioner E Ghaziabad A	ctr1gz-up@nic.in
2	Joint Commissioner E Ghaziabad B	ctr2gz-up@nic.in
3	Joint Commissioner E Ghaziabad C	ctr3gz-up@nic.in
4	Joint Commissioner E Bullandsahar	ctrbu-up@nic.in
5	Joint Commissioner E Lucknow A	ctr1lu-up@nic.in
6	Joint Commissioner E Lucknow B	ctr2lu-up@nic.in
7	Joint Commissioner E Lucknow C	ctr3lu-up@nic.in
8	Joint Commissioner E Sitapur	ctrsl-up@nic.in
9	Joint Commissioner E Kanpur A	ctr1kn-up@nic.in
10	Joint Commissioner E Kanpur B	ctr2kn-up@nic.in
11	Joint Commissioner E Kanpur C	ctr3kn-up@nic.in
12	Joint Commissioner E Kanpur D	ctr4kn-up@nic.in
13	Joint Commissioner E Agra A	ctr1ag-up@nic.in
14	Joint Commissioner E Agra B	ctr2ag-up@nic.in
15	Joint Commissioner E Etawah	ctrew-up@nic.in
16	Joint Commissioner E Mainpuri	ctmp-up@nic.in
17	Joint Commissioner E Noida A	ctr1gb-up@nic.in
18	Joint Commissioner E Noida B	ctr2gb-up@nic.in
19	Joint Commissioner E Prayagraj A	ctr1ah-up@nic.in
20	Joint Commissioner E Prayagraj B	ctr2ah-up@nic.in
21	Joint Commissioner E Aligarh A	ctr1al-up@nic.in
22	Joint Commissioner E Aligarh B	ctr2al-up@nic.in
23	Joint Commissioner E Mathura	ctmt-up@nic.in
24	Joint Commissioner E Bareilly A	ctr1br-up@nic.in
25	Joint Commissioner E Bareilly B	ctr2br-up@nic.in
26	Joint Commissioner E Varanasi A	ctr1va-up@nic.in
27	Joint Commissioner E Varanasi B	ctr2va-up@nic.in
28	Joint Commissioner E Varanasi C	ctr3va-up@nic.in
29	Joint Commissioner E Azamgarh	ctraz-up@nic.in
30	Joint Commissioner E Mirzapur	ctmi-up@nic.in
31	Joint Commissioner E Saharanpur A	ctr1sa-up@nic.in
32	Joint Commissioner E Saharanpur B	ctr2sa-up@nic.in
33	Joint Commissioner E Muzaffamagar	ctmu-up@nic.in
34	Joint Commissioner E Meerut A	ctr1me-up@nic.in
35	Joint Commissioner E Meerut B	ctr2me-up@nic.in
36	Joint Commissioner E Moradabad A	ctr1mo-up@nic.in
37	Joint Commissioner E Moradabad B	ctr2mo-up@nic.in
38	Joint Commissioner E Bijnor	ctrbi-up@nic.in
39	Joint Commissioner E Gorakhpur A	ctr1gr-up@nic.in
40	Joint Commissioner E Gorakhpur B	ctr2gr-up@nic.in
41	Joint Commissioner E Ayodhya	ctr1fz-up@nic.in
42	Joint Commissioner E Ayodhya B	ctr2fz-up@nic.in
43	Joint Commissioner E Gonda	ctrgn-up@nic.in
44	Joint Commissioner E Jhansi	ctrjh-up@nic.in
45	Joint Commissioner E Banda	ctrbn-up@nic.in



Joint Commissioner (SIB)

S.No.	Office	e-mail Address
1	Joint Commissioner SIB Ghaziabad A	ctsib1gz-up@nic.in
2	Joint Commissioner SIB Ghaziabad B	ctsib2gz-up@nic.in
3	Joint Commissioner SIB Ghaziabad C	ctsib3gz-up@nic.in
4	Joint Commissioner SIB Bullandsahar	ctsibbu-up@nic.in
5	Joint Commissioner SIB Lucknow A	ctsib1lu-up@nic.in
6	Joint Commissioner SIB Lucknow B	ctsib2lu-up@nic.in
7	Joint Commissioner SIB Lucknow C	ctsib3lu-up@nic.in
8	Joint Commissioner SIB Sitapur	ctsibsi-up@nic.in
9	Joint Commissioner SIB Kanpur A	ctsib1kn-up@nic.in
10	Joint Commissioner SIB Kanpur B	ctsib2kn-up@nic.in
11	Joint Commissioner SIB Kanpur C	ctsib3kn-up@nic.in
12	Joint Commissioner SIB Kanpur D	ctsib4kn-up@nic.in
13	Joint Commissioner SIB Agra A	ctsib1ag-up@nic.in
14	Joint Commissioner SIB Agra B	ctsib2ag-up@nic.in
15	Joint Commissioner SIB Etawah	ctsibew-up@nic.in
16	Joint Commissioner SIB Mainpuri	ctsibmp-up@nic.in
17	Joint Commissioner SIB Noida A	ctsib1gb-up@nic.in
18	Joint Commissioner SIB Noida B	ctsib2gb-up@nic.in
19	Joint Commissioner SIB Prayagraj A	ctsib1ah-up@nic.in
20	Joint Commissioner SIB Prayagraj B	ctsib2ah-up@nic.in
21	Joint Commissioner SIB Aligarh A	ctsib1al-up@nic.in
22	Joint Commissioner SIB Aligarh B	ctsib2al-up@nic.in
23	Joint Commissioner SIB Mathura	ctsibmt-up@nic.in
24	Joint Commissioner SIB Bareilly A	ctsib1br-up@nic.in
25	Joint Commissioner SIB Bareilly B	ctsib2br-up@nic.in
26	Joint Commissioner SIB Varanasi A	ctsib1va-up@nic.in
27	Joint Commissioner SIB Varanasi B	ctsib2va-up@nic.in
28	Joint Commissioner SIB Varanasi C	ctsib3va-up@nic.in
29	Joint Commissioner SIB Azamgarh	ctsibaz-up@nic.in
30	Joint Commissioner SIB Mirzapur	ctsibmi-up@nic.in
31	Joint Commissioner SIB Saharanpur A	ctsib1sa-up@nic.in
32	Joint Commissioner SIB Saharanpur B	ctsib2sa-up@nic.in
33	Joint Commissioner SIB Muzaffarnagar	ctsibmu-up@nic.in
34	Joint Commissioner SIB Meerut A	ctsib1me-up@nic.in
35	Joint Commissioner SIB Meerut B	ctsib2me-up@nic.in
36	Joint Commissioner SIB Moradabad A	ctsib1mo-up@nic.in
37	Joint Commissioner SIB Moradabad B	ctsib2mo-up@nic.in
38	Joint Commissioner SIB Bijnor	ctsibbi-up@nic.in
39	Joint Commissioner SIB Gorakhpur A	ctsib1gr-up@nic.in
40	Joint Commissioner SIB Gorakhpur B	ctsib2gr-up@nic.in
41	Joint Commissioner SIB Ayodhya	ctsib1fz-up@nic.in
42	Joint Commissioner SIB Ayodhya B	ctsib2fz-up@nic.in
43	Joint Commissioner SIB Gonda	ctsibgn-up@nic.in
44	Joint Commissioner SIB Jhansi	ctsibjh-up@nic.in
45	Joint Commissioner SIB Banda	ctsibbn-up@nic.in







“माल एवं सेवाकर-अच्छा है, सरल है।”

“सबका साथ-प्रदेश का विकास।”

कार्यालय : कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226010

 वेबसाइट
www.comtax.up.nic.in

 @ComtaxU

 ई-मेल
cthelplineu-up@nic.in

 comtaxup

 हेल्प लाइन
0522-3312600, 2721944

 कंट्रोल रूम
0522-2721153

Whatsapp No. and Email-ID Forwarding of Bills :
7235001111, upcbcc@gmail.com

तनवीर टेक्नोग्राफिक्स, लालबाग, लखनऊ।